



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234778
CG-DL-E-01042022-234778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 91]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

अंतिम जांच परिणाम

(मामला संख्या : एडी (ओआई) 25/2020)

विषय: कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित "लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एलडीपीई)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/30/2020- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण), नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) को कैमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीएमए) (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके तहत कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका

(जिन्हें इसके बाद “संबद्ध देशों” के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एलडीपीई)” (जिसे इसके बाद “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत एक पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), जो सीपीएमए की एक सदस्य कंपनी है और भारत में विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक कंपनी है (जिसे इसके बाद “आवेदक उत्पादक” के रूप में भी कहा गया है) ने आवेदन में निर्धारित सूचना प्रदान की है।

2. प्राधिकारी ने विधिवत साक्ष्य सहित दाखिल किए गए एक आवेदन और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/30/2020-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के निर्धारण के लिए और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले पाटनरोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं, प्रयोक्ता संघों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार, दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 की जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने तथा निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके अनुरोधों से अवगत कराने के लिए परामर्श दिया गया था।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति भी प्रदान की।
- ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए परामर्श दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के ब्यौरों के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को अपना प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के लिए समय विस्तार प्रदान किया। दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के पत्र के तहत दिनांक 27 दिसंबर, 2020 तक का समय विस्तार प्रदान किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 21 दिसंबर, 2020 के पत्र के तहत दिनांक 10 जनवरी, 2021 तक का समय विस्तार प्रदान किया गया था। तदोपरान्त, दिनांक 8 जनवरी, 2021 के पत्र के तहत दिनांक 24 जनवरी, 2021 तक का समय विस्तार प्रदान किया गया।
- छ. जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित सरकारों ने अनुरोध प्रस्तुत किए :
 - i. मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनोमी, यूएई
 - ii. जनरल अथॉरिटी ऑफ फोरन ट्रेड, सऊदी अरब

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी :

- i. कतर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (क्यूएपीसीओ) क्यू.पी.जे.एस.सी., कतर
- ii. अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (केईएमवाईए), सऊदी अरब
- iii. इंटरनेशनल पोलिमर्स कंपनी, सऊदी अरब
- iv. राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पैट्रो राबिघ"), सऊदी अरब
- v. सडारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- vi. सऊदी इथाइलीन एंड पोलिइथाइलीन कंपनी (एसईपीसी), सऊदी अरब
- vii. सऊदी केयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- viii. अमिज एक्सपोर्टर्स, सिंगापुर
- ix. एशिया पोलिफिल्म सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- x. यूरो पैसिफिक कोमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xi. निस्सेन केमिकल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xii. दि पोलोलेफिन कंपनी (एस) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xiii. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xiv. थाई पोलिइथाइलीन कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xv. टीपीआई पोलीन पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xvi. बोरो, यूएई
- xvii. चेवरोन फिलिप्स केमिकल, यूएसए
- xviii. डव इन्क., यूएसए
- xix. इक्यूस्टार केमिकल्स एपी., यूएसए
- xx. एक्सोन मोबिल कारपोरेशन, यूएसए
- xxi. फार्मोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन, यूएसए
- xxii. फ्लिन्ट हिल्स रिसोर्सेस एलएलसी, यूएसए
- xxiii. सासोल यूएसए कारपोरेशन, यूएसए
- xxiv. वेस्टलेक केमिकल पार्टनर्स, यूएसए

झ. उपरोक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों तथा उनके संगत निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर प्रस्तुत किया है और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

- i. कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.पी.जे.एस.सी., कतर
- ii. कतर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (क्यूएपीसीओ) क्यू.पी.जे.एस.सी., कतर
- iii. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (केईएमवाईए), सऊदी अरब
- iv. आरामको केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
- v. आबु धाबी पोलिमर्स कंपनी लिमिटेड (बोरोयुगे), एल.एल.सी., सऊदी अरब

- vi डब सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग बी.वी., सऊदी अरब
- vii. साडारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- viii. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, सऊदी अरब
- ix. सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- x. बोरो प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xi. डब केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xii. मारुबेनी एशियन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xiii. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xiv. सुमितोमो केमिकल एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xv. जीसी मार्केटिंग साल्युशंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xvi. पीटीटी ग्लोबल केमिकल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xvii. एससीजी परफार्मेंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xviii. एससीजी प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xix. थाई पोलिथइलीन कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xx. आवु धाबी पोलिमर्स कंपनी लिमिटेड, यूएई
- xxi. बासेल ट्रेडिंग इंटरनेशनल एफजैडई, यूएई
- xxii. डब केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, यूएई
- xxiii. डब केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, यूएई
- xxiv. नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड, यूएई
- xxv. राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी, यूएई
- xxvi. सऊदी इथाइलीन एंड पोलिइथाइलीन कंपनी, यूएई
- xxvii. इक्विस्टार केमिकल्स एलपी., यूएसए
- xxviii. वेस्टलेक लॉगव्यू कारपोरेशन, यूएसए
- xxix. वेस्टलेक पोलिमर्स एलएलसी, यूएसए
- xxx. रेणुका एजेंसीज लिमिटेड, हांग कांग
- xxx. टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाय एसए, स्विट्जरलैंड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी :
 - i. एक्यूलाइफ हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. अमांता हैल्थकेयर लिमिटेड
 - iii. बामर लारी वैन लीर लिमिटेड
 - iv. सिपला लिमिटेड
 - v. इलाइट इंडस्ट्रीज
 - vi. एस्सल प्रोपैक लिमिटेड

- vii. हुतामाकी पीपीएल लिमिटेड
 - viii. इंटरनेशनल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. आईटीसी लिमिटेड
 - x. जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड
 - xi. कुलोडे टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड
 - xii. केवीएन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xiii. लीला पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. ओटसुका फार्मास्युटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. ओवरसीज पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xvi. पोलीकैब इंडिया लिमिटेड
 - xvii. पी पी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xviii. टेटरा पाक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xx. स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 - xxi. सुमति प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
 - xxii. यूफ्लेक्स लिमिटेड
 - xxiii. उमा पोलिमर्स लिमिटेड
 - xxiv. यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड
- ट. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर/ कानूनी अनुरोध और/ अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण प्रस्तुत किया है :
- i. पहाड़पुर 3पी प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. टेटरा पाक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. एसएबीआईसी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. यूफ्लेक्स लिमिटेड
 - v. अल्टीमेट फ्लेक्सीपैक लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी :
- i. आल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज
 - ii. आल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 - iii. आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - iv. एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
 - v. केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - vi. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
 - vii. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)

- viii. दि साउदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (सिमा)
- ड. निम्नलिखित एसोसिएशनों ने जांच की अवधि के दौरान कानूनी अनुरोध किए हैं :
- i. तेलंगाना ऐंड आन्ध्रा प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - ii. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - iii. आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया
- ढ. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 19 मई, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उन्हें मौखिक रूप से प्रस्तुत अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था, उसके बाद रिज्वाइंडर अनुरोध, यदि कोई हो, दाखिल करने का अनुरोध किया गया। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके अगोपनीय अनुरोध को साझा किया और अपने खंडन प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया।
- ण. नियमावली के नियम 17 (1) (क) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक दो माह का जांच का समय विस्तार प्रदान किया। बाद में, केन्द्र सरकार ने जांच पूरी करने की समय अवधि को और दो महीने यानी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया।
- त. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची के साथ-साथ उन सभी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध के अगोपनीय पाठ को ईमेल करने के लिए उसमें अनुरोध करते हुए डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के चलते सार्वजनिक फाइल वस्तविक रूप में सुलभ नहीं थी।
- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2020 तक (15 माह) की है। क्षति जांच की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि और जांच की अवधि को माना गया है।
- द. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई ऐंड एस) से जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किए और सौदों की विधिवत जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- ध. आवेदक से आवश्यकता के अनुसार आगे सूचना की मांग की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यपन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार किया गया था।
- न. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, उत्पादन की इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (इसके बाद इसे “एनआईपी” के रूप में भी कहा गया है) निर्धारित की गई है। ऐसी क्षति रहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों, और जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर उनके साथ दिए गए साक्ष्यों के अनुसार और वर्तमान जांच में संगत पाए जाने पर विचार किया गया है।
- फ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, उनके गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों

को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

- ब. इस जांच में आवश्यक तथ्यों के साथ एक प्रकटीकरण विवरण, जो कि अन्तिम जांच परिणामों का आधार होगा, दिनांक 17.01.2022 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणियां देने के लिए दिनांक 24.01.2022 तक का समय प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर इस अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना में, जहां तक संगत पाया गया, विचार किया गया है।
- भ. जहां कहीं भी एक हितबद्ध पक्षकार ने उसे उपलब्ध कराने से इंकार किया है अथवा जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा पर्याप्त रूप से जांच में छिपाया है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/ टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- म. इन जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 72.69 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरू करने की अवस्था में, विचाराधीन उत्पाद को (जिसे आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) इस प्रकार से परिभाषित किया गया था :

"3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई)" अथवा "हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन" है जिसमें (क) कंपाउंडेड एल डी पी ई, और (ख) 0.925 जीएम/ क्यूबिक सीएम से अधिक डेंसिटी वाला एल डी पी ई शामिल नहीं हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में कंपाउंडिंग के प्रयोजन के लिए आयात किया गया बेस एल डी पी ई विचाराधीन उत्पाद का दायरे में आता है।

4. पॉलीइथाइलीन एक थर्मोप्लास्टिक है, जो मोनोमर इथाइलीन के पॉलिमराइजेशन से बना है। एलडीपीई पॉलीइथाइलीन का एक प्रकार है, जिसकी डेंसिटी रेंज 0.910 – 0.935 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसे प्रायः "ब्रांच" पॉलीइथाइलीन के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इसकी मॉलीक्यूलर संरचना कार्बन एटमों की चेन पर कई विषम शाखाओं (कुछ अपेक्षाकृत लम्बी हैं) की मौजूदगी से प्रभावित है।

5. ट्यूबलर या स्टायर्ड ऑटोक्लेव के माध्यम से हाई प्रेशर वाले रिएक्टरों का उपयोग करके एल पी डी ई का उत्पादन किया जाता है। एक कठिन हाई प्रेशर प्रक्रिया में इथाइलीन फीड को एक प्योरिफाइड रिसाइकल स्टीम के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में इनीसिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट को शामिल किया जाता है और उसके बाद उसे करीब 300 बार में कंप्रेश किया जाता है। उसके बाद फीड को एक हाइपर कंप्रेशर (2000 से 3000 बार) पॉलिमराइजेशन प्रेशर के साथ कंप्रेश किया जाता है और रिएक्टर सैक्शन में डाला जाता है। आउटलेट पर अक्रिय इथाइलीन को हटा लिया जाता है और उत्पाद को शिपमेंट के लिए पैलेटाइज किया जाता है।

6. इसका उपयोग स्पष्टता, निष्क्रियता, प्रसंस्करण में आसानी, सील करने योग्य, नमी की बाधाओं और अच्छे वैद्युतीय गुणों वाले अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग ट्रेष बैग, कृषि फिल्मों, ऑटोमेटिक पैकेजिंग फिल्मों और खाने के थैलों और सैनिटरी वस्तुओं, ठंडे खाद्य पैकेजिंग, थ्रिंक और स्ट्रेच हुड फिल्म, सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म, लेमिनेशन फिल्म, बबल रैप, अडेसिव टेप बैकिंग फिल्म, मैट्रस निर्माण के लिए फोम इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का क्रमांक 51) के अध्याय 39 के तहत सीमा शुल्क शीर्ष 3901 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातक/ उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद को, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं किए गए ग्रेड को शामिल करने के लिए दिनांक 17 सितंबर, 2020 के पत्र के तहत पुनः परिभाषित किया गया था। तथापि, आयातों का मूल्य और मात्रा विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन के बाद संशोधित नहीं किए गए थे।
- ख. विचाराधीन उत्पाद में ऐसी वस्तुएं शामिल हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं की गई हैं। आरआईएल, मुंतजात द्वारा निर्मित सभी फिल्म ऑटोक्लवे ग्रेड का उत्पादन नहीं करता। उदाहरण के लिए, यह एफबी 3003 के समान ग्रेड का उत्पादन नहीं करता, जिसमें कोई एडिटिव नहीं है, उसका लोवर मेल्ट इंडेक्स है और कृषि उपयोग के लिए व्यापक चौड़ाई वाली फिल्म में और थ्रिंक हुड तथा कास्मेटिक पैकेजिंग के लिए सीमलेस मल्टीलेयर ट्यूब में प्रयोग किया जाता है।
- ग. चूंकि वेस्टलेक का ग्रेड ईसी4062एए विशेष रूप से एक टेट्रा पाक के लिए विकसित किया गया है। यह कस्टमाइज ग्रेड है, जिसके भिन्न गुण, उपयोग और कीमत हैं तथा यह घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य निर्यातक द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित एक्सट्रूजन कोटिंग ग्रेड 1070एलए17 की ईसी4062एए के साथ तुलना और उसका प्रतिस्थापन नहीं है। ईसी4062एए का प्रयोग पेपरबोर्ड, एल्युमिनियम फॉइल और पॉलिमर की 6 स्तरिय पैकिंग सामग्री के निर्माण के लिए किया जाता है जो कि लिक्विड खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयोग होता है और इसमें कोल्ड चैन की जरूरत नहीं होती है। जबकि ईसी4062एए में 8.5 ग्राम/10 मिन का मेल्ट फ्लो इंडेक्स है और 917 ग्राम/ घन मी. की डेंसिटी है। इस अन्तर के कारण, 1070एलए 17 का उपयोग होने से उत्पादन की गति कम होगी, एज अस्थिरता उत्पन्न होगी, उच्च तापमान की समस्या और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव होगा। ईसी4062एए अच्छे चिपकाव गुणों, अधिक गति लाइनों पर चलने की योग्यता, तेजी से मेल्ट होने की योग्यता तथा पेपर बोर्ड को साथ रखने, एक्सट्रूजन कोटिंग और लेमिनेशन के लिए उपयुक्त रियोलॉजिकल गुणों के संदर्भ में अन्य ग्रेड से भिन्न है।
- ङ. प्राधिकारी ने विभिन्न जांचों में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए गए उत्पादों को बहर किय हे, जैसे होट रोल्ड फ्लेट उत्पादों, कोटेड पेपर, हाई टेंसिटी पॉलिस्टर यार्न, स्ट्रेट लेंथ बार्स, नाइलोन फिलामेंट यार्न, जिप्सम प्लास्टर बोर्ड और पीवीसी सस्पेंसन ग्रेड रेजिन के आयातों के संबंध में।
- च. आक्सो एल्कोहल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, सेस्टेट ने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए उत्पाद के आयात से उसे क्षति नहीं हो सकती और ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
- छ. पेट्रो राबिघ द्वारा उत्पादित पीआरसीएल 705 एक्सट्रूजन कोटिंग ग्रेड की 1070एलए17 के साथ तुलना नहीं है और प्रतिस्थापनीय नहीं है और यह भिन्न गुणों और उपयोग वाला एक कस्टमाइज ग्रेड है। यह खाद्य पैकेजिंग बैग तथा पेपरवेयर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाए। पीआरसीएल705 की 1070एलए17 से अधिक टेंसाइल स्ट्रेथ, टीयर स्ट्रेथ, बेंडिंग रजिस्टेंस, पंचिंग रजिस्टेंस, हीयर सील स्ट्रेथ और मेल्ट टेम्परेचर है। यह भारी औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाने के लिए भी पर्याप्त है। जबकि पीआरसीएल705 का 8.5 ग्रा./10 मिन. का मेल्ट फ्लो इंडेक्स तथा 0.917 ग्रा./ घन से.मी. की डेंसिटी है। इस अन्तर के कारण, पीआरसीएल705 का प्रयोग 300 एम/ मिन से कम की गति वाली एक्सट्रूजन कोटिंग मशीनों में किया जाता है।
- ज. उत्पाद केटेलॉग भरना यह नहीं दर्शाता कि आवेदक ने उत्पाद तैयार किया है और बेचा है।
- झ. आवेदक ने संबद्ध आयातों के दायरे के भीतर एलडीपीई के कतिपय सौदों पर विचार किया है, जो प्रदान किए गए डेटा की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।
- ञ. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उत्पाद के उपयोग के आधार पर सौदा-वार डेटा कैसे निकाले गए।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन है, जिसमें कंपाउंडेड एलडीपीई और 0.925 जीएम/ क्यूबिक सें.मी. से अधिक डेंसिटी के एलडीपीई शामिल नहीं हैं। दायरे में भारत में कंपाउंडिंग के लिए आयातित बेस एलडीपीई शामिल है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिका को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संशोधन के बाद अद्यतन नहीं किया गया था। तथापि, संशोधित उत्पाद दायरा याचिका में दिए गए उत्पाद दायरे का एक सरलीकृत संस्करण था।
- ग. मुंतजात द्वारा निर्मित एफबी3003 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जाए क्योंकि आवेदक ने तुलनीय ग्रेड 22एफए002 का उत्पादन किया है। दोनों ही ग्रेड हैवी ड्यूटी फिल्म अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और उपयोगकर्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला रहे हैं। उत्पाद की तुलनात्मकता उपयोग के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा उत्पादित ग्रेड मेल्ट फ्लो इंडेक्स और एफबी3003 की डेंसिटी के संदर्भ में आयातित वस्तुओं के साथ तुलनात्मक है। ऐसे समान उपभोक्ताओं की एक सूची आवेदक द्वारा प्रदान की गई है, जो एफबी3003 और 22एफए002 का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।
- घ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल ईसी4062एए को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक द्वारा उत्पादित 1070एलए17 और ईसी4062एए के बीच केवल एक मामूली सा अंतर है। टेट्रा पाक द्वारा ईसी4062एए का आयात किया जा रहा है क्योंकि इसकी वैश्विक खरीद स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय से प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है न कि घरेलू विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण। आवेदक ने अनेक प्रयोक्ताओं को 1070एलए17 की बिक्री की है, जिसने एक ही प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया है, जो कि पेपरबोर्ड कोटिंग और एल्यूमिनियम फॉइल का है। आवेदकों ने ऐसे उपभोक्ताओं को 1070एलए17 की बिक्रियों के इनवायस प्रस्तुत किए हैं, जो उस ग्रेड का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करते हैं, जो कि टेट्रा पाक द्वारा ईसी4062एए के उपयोग का है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, 1070एलए17 का मेल्ट फ्लो इंडेक्स 8.5 ग्रा./ 10 मिन. है। पैट्रो राबिघ द्वारा उत्पादित पीआरसीएल705 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आवेदक द्वारा उत्पादित 1070एलए17 से तुलनीय है। दोनों ही एक्सट्रूजन कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए हैं और समान उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
- च. आवेदक ने उसके द्वारा निर्मित ग्रेड 1070एलए17 की बिक्रियों के इनवायस दाखिल किए हैं।
- छ. जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किया गया है, आयातों के दायरे के भीतर कंपाउंडेड एलडीपीई को शामिल करना एक असावधानीवश चूक थी। इस प्रकार से शामिल किए जाने का प्रभाव नगण्य है। आंकड़ों को ठीक करना यह दर्शाता है कि आयातों की कीमत दावा की गई कीमत से कमतर थी।
- ज. याचिका में आयात संग्रह पद्धति दी गई है। ऐसे सौदों के लिए, जहां उत्पाद को विवरण में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था, विचाराधीन उत्पाद की पहचान उपयोग के आधार पर की गई है। उदाहरण के लिए, ऐसे सौदों के लिए, जहां विवरण स्पष्ट नहीं था, और सौदों में "लेब प्रयोजन" शब्द लिखा गया था, उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है क्योंकि यह मेडिकल ग्रेड एलडीपीई से संबंधित है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एलडीपीई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन है, जिसमें कंपाउंडेड एलडीपीई और ऐसे एलडीपीई शामिल नहीं हैं, जिनकी डेंसिटी 0.925 जीएम/ क्यूबिक से.मी. से अधिक है। भारत में कंपाउंडिंग के प्रयोजन के लिए आयातित बेस एलडीपीई विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है। एलडीपीई पॉलिइथाइलीन का एक प्रकार है, जिसकी डेंसिटी 0.910-0.935 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर की रेंज में है और उसे ब्रांच पॉलिइथाइलीन के रूप में कहा गया है।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क शीर्ष 3901 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का क्रमांक 51) के अध्याय 39 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद को आवेदक द्वारा उत्पादित न किए गए ग्रेड को शामिल करने के लिए पुनः परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूरी जांच के दौरान वही रहा। जांच शुरू होने से पूर्व की चर्चाओं के अनुसार, आवेदक ने इसे सरल बनाने के लिए और समझने में आसान बनाने के लिए उत्पाद को बाहर करने की भाषा को पुनः परिभाषित किया है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।
 10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वेस्टलेक लॉगव्यू कारपोरेशन तथा वेस्टलेक पॉलिमर्स एलएलसी द्वारा उत्पादित ग्रेड ईसी 4062एए भारतीय उत्पादों से पूरी तरह से भिन्न है और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के उत्पादित ग्रेड 1070एलएए और हितबद्ध पक्षकारों के निर्यातित ग्रेड ईसी4062एए के बीच मेल्ट फ्लो इंडेक्स और डेंसिटी के संदर्भ में केवल एक मामूली सा अन्तर दर्शाया गया है। तथापि, दोनों ही ग्रेड समान प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं अर्थात् पेपरबोर्ड कोटिंग और एल्यूमिनियम फॉइल के लिए। यह निर्यातकों के उत्पाद केटालॉग घरेलू उद्योग के केटालॉग से स्पष्ट है। आवेदक ने भारत में ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए ग्रेड 1070एलए17 ग्रेड की बिक्री के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा प्रस्तुत किया है, जो समान प्रयोजन के लिए उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं। केवल इस कारण से कि कोई प्रयोक्ता किसी विशिष्ट सप्लायर से उत्पाद का आयात करना पसंद करता है, उसका यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु नहीं है। एक उत्पाद टाइप को दायरे से केवल तभी बाहर किया जा सकता है, जब घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पाद और बिक्री नहीं कर रहा हो। इस प्रकार से इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, ग्रेड पीआरसी 1705 और 1070एलए17 तुलनात्मक हैं क्योंकि दोनों का ही प्रयोग एक्सट्रूजन कोटिंग अनुप्रयोगों में प्रयोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
 11. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि मुंतजात द्वारा निर्मित ग्रेड एफबी3003 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ग्रेड 22एफए002 के उत्पादन और बिक्री के साक्ष्य प्रदान किए हैं, जो कि एफबी3003 का एक तुलनात्मक ग्रेड है। दोनों ही ग्रेड समान मेल्ट फ्लो इंडेक्स और डेंसिटी के हैं और उनका प्रयोग हैवी ड्यूटी फिल्मों के संबंध में अनुप्रयोगों में किया जाता है। तदनुसार, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रयोक्ता ग्रेड एफबी3003 और 22एफए002 का बदल बदल कर प्रयोग कर रहे हैं।
 12. इसे देखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पादों से भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तु के सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों को बदल बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं।
 13. जहां तक सौदा-वार डेटा के पृथक्करण की उपयुक्तता का संबंध है, प्राधिकारी ने डीजीसीआई ऐंड एस से डेटा प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी ने ऐसे डेटा पर, विचाराधीन उत्पाद से असंगत सौदों को अलग करने के लिए विधिवत पृथक्करण के बाद विचार किया है। यह अन्तिम जांच परिणाम डीजीसीआई ऐंड एस से प्राप्त डेटा के आधार पर है और प्राधिकारी द्वारा आयात पृथक्करण पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग के साथ चर्चा करके विश्लेषण किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार**
- घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**
14. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निर्यातक/ उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - क. आवेदक घरेलू उद्योग में शामिल नहीं है, क्योंकि उसने विचाराधीन उत्पाद की कुछ मात्रा आयात की है और प्रचालन प्रक्रिया मैन्युअल के अनुसार यथा अपेक्षित आपवादिक परिस्थितियों की मौजूदगी नहीं दर्शाई गई है।

- ख. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के प्रयोजन, ऐसे आयातों की नियमितता की जांच करनी चाहिए कि क्या ये आयात उत्पाद रेंज की अनुपूर्ति के लिए किए गए थे और क्या ऐसे आयात कुछ अनुसंधान और विकास के लिए किए गए थे।
- ग. आवेदक द्वारा कुल आयातों के संबंध में आयातों की रेंज (0-10 प्रतिशत) में आयातित वस्तुएं व्यापक हैं और 10 प्रतिशत आयातों को नगण्य नहीं माना जा सकता।
- घ. एक संयंत्र का अस्थायी रूप से बंद होना वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का आयात करने के लिए वैध कारण नहीं है। याचिकाकर्ता के पास 75 प्रतिशत बाजार अंश है, उसके पास संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए तीन संयंत्र हैं, अतः आयात, परीक्षण/सैम्पल प्रयोजनों के लिए नहीं हो सकते और आवेदक ने कम कीमत के आयातों का लाभ लिया है।
- ड. सीपीएमए ने बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सहित आवेदक संघ के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनमें कि यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे आवेदन दाखिल किए जाएंगे और जिन सदस्यों ने समर्थन किया, विरोध किया या तटस्थ रहे, उनकी सूची प्रदान नहीं की गई है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सीपीएमए को याचिका दाखिल करने का अधिकार है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- क. यह आवेदन कैमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया गया है और डेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि आधार स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सीपीएमए ने अपने दस्तावेज प्रदान नहीं किए, यह अनुरोध किया गया था कि आरआईएल संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और यहां तक कि यदि एसोसिएशन के अन्य सदस्य याचिका का विरोध भी करें तो भी यह नियम 5 (3) की अपेक्षा को पूरी करती है।
- ग. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान जब घरेलू संयंत्र बंद था, अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। यह आयात कुल आयातों, भारत में मांग और आरआईएल के उत्पादन व बिक्रियों की तुलना में 1 प्रतिशत से भी कम थे।
- घ. आयातित वस्तुओं के लिए आदेश, जांच की अवधि से पूर्व भेजे गए थे लेकिन उन्हें निर्यातक द्वारा बाद में भेजा गया और आवेदक द्वारा जांच की अवधि के दौरान उन्हें प्राप्त किया गया था।
- ड. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

- 17. यह आवेदन कैमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीएमए) द्वारा दाखिल किया गया है और डेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आरआईएल ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का भी अनुरोध किया है। आरआईएल ने यह प्रमाणित किया है कि वह संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।
- 18. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने उत्पादन के अस्थायी रूप से बंद होने के समय कतर से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। ऐसे आयातों की मात्रा संबद्ध आयातों, भारत में मांग और इसके उत्पादन तथा खपत के संदर्भ में

नगण्य है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है। आरआईएल ने साक्ष्य प्रदान किया है कि उन आयातों के लिए आदेश जांच की अवधि से पूर्व भेजे गए थे लेकिन सामग्री जांच की अवधि में प्राप्त हुई थी। इस तथ्य की पुष्टि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत इनवायस और प्रविष्टि बिलों से की गई है।

विवरण	मात्रा (मी. टन)	इस संदर्भ में आयात (%)	इस संदर्भ में आयात (%) रेंज)
आरआईएल द्वारा किए गए आयात	***		
संबद्ध आयात	***	***	<1%
भारत में मांग	***	***	<1%
आरआईएल का उत्पादन	***	***	<1%
आरआईएल की घरेलू बिक्रियां	***	***	<1%

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आरआईएल द्वारा आयात नगण्य मात्रा में किए गए हैं और यह जांच की अवधि के दौरान किए गए थे, जब उनका संयंत्र बंद था। इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह विचार करना उपयुक्त समझते हैं कि आरआईएल घरेलू उद्योग में शामिल होने के लिए पात्र है।

19. उपर्युक्त को देखते हुए और विधिवत जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आरआईएल ("आवेदक उत्पादक") नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और यह विचार करते हैं कि आवेदन में नियमावली के नियम 5 (3) के तहत आधार के मानदंड को पूरा किया गया है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि याचिका में सभी क्षति डेटा सूचीबद्ध हैं।
- ख. आवेदक द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है क्योंकि अगोपनीय पाठ के खंड VI में कोई भी सूचना प्रकट नहीं की गई है।
- ग. यहां तक कि घरेलू उद्योग ने विगत जांचों में उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों को भी प्रकट किया है लेकिन इसने वर्तमान जांच में गोपनीयता का दावा किया है।
- घ. आवेदक ने व्यापार सूचना 10/2018 का अनुसरण नहीं किया है, अत्यधिक गोपनीयता के लिए उचित कारण नहीं दर्शाए हैं और इसे एक संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाना चाहिए। क्षति रहित कीमत को +/-300 प्रतिशत की रेंज में प्रदान किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा किए आयातों को +/-10 प्रतिशत की रेंज में प्रदान किया गया है। खरीद की मात्रा और विचाराधीन उत्पाद का मूल्य, क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानक, उत्पादकता प्रति दिन, वस्तु सूची, निवेश पर प्रतिफल, आर एंड डी व्यय, जुटाई गई निधियां, प्रति यूनिट निर्यात कीमत और लघु उद्योग इकाइयों के लिए बिक्री वसूली प्रदान नहीं की गई है।
- ड. आवेदक ने उसके द्वारा किए गए आयातों, मांग और उत्पादन की तुलना में आयात की मात्रा, मांग आपूर्ति अन्तराल, अधिक्य आयात, इथाइलीन की लागत, इनपुट की लागत की तुलना में आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग का उत्पादन, बाजार अंश, वस्तुसूची रखने के दिन, उत्पादन की लागत, बिक्री कीमत, लाभ अथवा हानि, लक्ष्य प्राप्ति, कीमत कटौती, क्षति मार्जिन, संयंत्र बंद होने की तिथियां, आयात कंसाइनमेंट भेजने की तिथियां, और आरआईएल के डेटा के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। कोई अगोपनीय सार प्रदान नहीं किया गया।
- च. चूंकि एक अवधि के लिए खपत यूटिलिटी, उत्पादन की लागत, कच्ची सामग्री और पैकेजिंग सामग्री खपत प्रदान की जानी अपेक्षित है, अतः उसकी प्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

- छ. गोपनीयता के लिए कारणों को दर्शाते हुए स्पष्टीकरण तालिका, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार नहीं है।
- ज. एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लि. और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए सौदा-वार आयात के आंकड़े प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए फार्म और तरीके से प्रदान किए जाने चाहिए थे ताकि निर्यातक सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें।
- झ. एडीपीसीएल द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा कोई कमियां नहीं बताई गई हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. आवेदक ने आयात आंकड़ों का पीडीएफ फॉर्मेट प्रदान करके व्यापार सूचना 07/2018 के तहत अपनी बाध्यता को पूरा किया है। प्राधिकारी से ऐसे डेटा प्राप्त न करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है क्योंकि प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से ऐसे डेटा प्राप्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिकृत किया है।
- ख. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है क्योंकि निर्यात कीमत की प्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद की खरीद नहीं की है और आयातों की रेंज प्रदान की है।
- ग. आर एंड डी व्यय और जुटाई गई धनराशि विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग से पहचानने योग्य नहीं है और वित्तीय विवरणों का संदर्भ दिया गया है, जो कि सार्वजनिक दस्तावेज हैं।
- घ. क्षति रहित कीमत का प्रकटीकरण होने से ग्राहकों को घरेलू उद्योग से उनकी कीमतें बेंचमार्क करने की अनुमति होगी। इसे एक व्यापक रेंज में प्रकट किया गया है।
- ड. जिस सूचना के लिए प्रकटीकरण हेतु हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांग की गई है, वह गोपनीय प्रकृति की है और प्रकट नहीं की जा सकती। हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही व्यापार सूचना 10/2018 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है।
- च. खंड VI में सूचना कारोबार प्रोपरायट्री सूचना है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यह सूचना साझा नहीं की गई है, उन्होंने स्वयं ही अपनी बिक्री प्रक्रिया प्रदान नहीं की है।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, गोपनीयता के कारणों के लिए स्पष्टीकरण तालिका आवेदक द्वारा प्रदान की गई है, वह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार है।
- ज. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, आवेदक ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और प्राधिकारी ने इसके दावों की विधिवत पुष्टि की है।
- झ. चूंकि आवेदक को क्षमता उपयोग, उत्पादकता प्रति दिन, वस्तु सूची और निवेश पर प्रतिफल के लिए औसत उद्योग मानकों की जानकारी नहीं है, अतः उसे प्रदान नहीं किया जा सका।
- ञ. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने विगत जांच में उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों को प्रकट किया था, यह प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई विगत की जांच नहीं थी और ये मापदंड व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षा के अनुसार प्रकट किए गए हैं।
- ट. इस तर्क के संबंध में कि यूटिलिटी खपत, उत्पादन की लागत, कच्ची सामग्री, और पैकिंग सामग्री खपत को एक प्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह सूचना प्रकट नहीं की है।
- ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। निर्यातकों ने यह प्रकट नहीं किया है कि क्या उन्होंने संगत पक्षकारों से कोई कच्ची सामग्री खरीदी है।

- ड. राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया है और यह तथ्य कि वह सऊदी आरामको से ईथेन और बूटेन की खरीद करता है, वर्तमान जांच में गोपनीय है जबकि इसे एमईजी के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्रकट किया गया है।
- ढ. यद्यपि राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ने यह प्रकट किया है कि उसने आरामको कैमिकल कंपनी को एलडीपीई की आपूर्ति की है, आरामको कैमिकल कंपनी ने उस संस्था, जिससे उसने एलडीपीई की खरीद की है, के लिए गोपनीयता का दावा किया है।
- ण. एसएबीआईसी ने केवल सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लि. और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल को एलडीपीई में संगत पक्षकार के रूप में दावा किया है। एमईजी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में, उसने अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी, जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी, यांबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी और सऊदी यान्बू पेट्रोकेमिकल कंपनी को एलडीपीई में दिए गए नामों के अलावा संगत पक्षकारों के रूप में दावा किया है।
- त. जबकि सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी ने प्रमुख शेयरधारकों के नामों को प्रकट किया है, लेकिन इसने एलडीपीई में शेयरधारक प्रतिशतता के गोपनीय होने का दावा किया है। एमईजी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में, इसने शेयरधारक प्रतिशतता के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि शेयरधारकों के नामों को प्रकट किया है।
- थ. जबकि सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी ने एमईजी जांच में 7 संगत उत्पादकों के नाम दिए हैं, लेकिन इसने एलडीपीई जांच में केवल 3 नाम दिए हैं।
- द. अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ने यह प्रकट नहीं किया है कि वह एसएबीआईसी से संबद्ध है। जबकि उसने यह प्रकट नहीं किया है कि क्या उसने कैप्टिव रूप में कच्ची सामग्री का उत्पादन किया है, उसकी संगत संस्थाओं ने एमईजी जांच में उसे प्रकट किया है। एमईजी के लिए कच्ची सामग्री होने के कारण, कंपनी जो उस समूह का हिस्सा है, ने मनमाने तरीके से गोपनीयता का दावा किया है।
- ध. जबकि सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ने यह प्रकट किया है कि उन्होंने एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लि. को बिक्री की है, अतः एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लि. ने उत्पादकों के संबंध में सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
- न. अन्य हितवद्ध पक्षकारों पर सभी संगत तथ्यों को प्रकट करने की बाध्यता थी। उच्चतम न्यायालय ने होल्डर टोप्सो में यह पाया कि कि यहां तक कि यदि प्रमाणित करने का भार पक्षकार पर होता है, यदि अन्य पक्षकार अपने पास महत्वपूर्ण दस्तावेज रखता है, तो न्यायालय एक प्रतिकूल अनुमान दे सकता है।
- प. जबकि एमईजी जांच में अनेक तथ्यों को प्रकट किया गया है, जिन्हें वर्तमान जांच में प्रकट नहीं किया गया।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (7) के तहत सभी हितवद्ध पक्षकारों को निरीक्षण के लिए, विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं :

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय

में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि कोई सूचना, जो कि गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटीकरण होने से एक प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण लाभ होगा अथवा इसके प्रकटीकरण के कारण सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर इसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा जिस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है उस पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा पक्षकारों द्वारा किसी जांच के लिए गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है, उचित कारण बताए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी जा सकती है। ऐसी सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने के बाद, आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों, खरीद की मात्रा और विचाराधीन उत्पाद का मूल्य, निर्यात कीमत प्रति यूनिट, बिक्रियों की वसूली, बाजार अंश, वस्तु सूची, रखने के दिन, उत्पादन की लागत, बिक्री की कीमतें, लाभ या हानि, लक्ष्य प्रतिफल, कीमत कटौती, क्षति मार्जिन, संयंत्र बंद होने की तारीखें, आयात कंसाइनमेंट भेजने की तारीखें तथा आरआईएल के डेटा के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित सूचना गोपनीय सूचना है और ऐसी सूचना का प्रकटीकरण होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में निर्यात कीमत की प्रवृत्ति प्रदान की है।
26. आर एंड डी व्ययों तथा जुटाई गई धनराशि के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि ऐसी सूचना उत्पाद से संबंधित नहीं है और यह आसानी से याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक के वित्तीय विवरणों से प्राप्त की जा सकती है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादकता के लिए औसत उपयोग मानकों, क्षमता उपयोग, वस्तु सूची और निवेश पर प्रतिफल को साझा नहीं किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसे ऐसे मानकों की जानकारी नहीं है और इसीलिए इसे साझा किया गया है।
27. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने एक बहुत ही व्यापक रेंज में क्षति रहित कीमतों को साझा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षति रहित कीमत प्रस्तुत की है और उसे सूचना की संवेदनशीलता के कारण एक व्यापक रेंज में प्रकट किया था क्योंकि उसका प्रकटीकरण होने से घरेलू उद्योग से कमतर कीमत पर मांग आएगी। तथापि, प्राधिकारी ने अब नियमावली के अनुबंध- III के अनुसार सभी सूचना की पुष्टि करने के बाद घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है।
28. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों, मांग और उत्पादन की तुलना में आयात की मात्रा, भारत में उत्पादन क्षमता, मांग और आपूर्ति अन्तराल, अधिक्य आयात, इथाइलीन की लागत और इनपुट की लागत की तुलना में आयातों की पहुंच कीमत के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता के दावों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी सूचना गोपनीय प्रकृति की है और ऐसी सूचना का प्रकटीकरण घरेलू उद्योग के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों से संबंधित सूचना के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन के संदर्भ में ऐसे आयातों की मात्रा याचिका में ही रेंज में प्रदान की गई है।
29. डीजीसीआई एंड एस के डेटा के प्रकटीकरण के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा एकत्र करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार यह नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया पक्षकारों और जांचों के लिए संगत, समान, न्यायसंगत है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों

का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, आवेदक ने सौदा वार आंकड़ों की पूर्ण सूची एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान की है। छटनी किए गए आयात संबंधी आंकड़े निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को सुलभ कराए गए थे।

30. प्राधिकारी ने आवेदक और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे की अनुमति प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के कारण, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ ईमेल के द्वारा साझा करने का निदेश दिया।

च. विविध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- क. जांच शुरू होने और आंकड़ों की अन्तिम पुनरावृत्ति होने के बीच एक माह की अवधि के बावजूद, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को एक सही और अद्यतन याचिका दाखिल करने के लिए निर्देश नहीं दिया।
- ख. याचिकाकर्ता ने 15 माह की बजाय 12 माह की जांच की अवधि के साथ पहले एक अपूर्ण याचिका प्रस्तुत की। बाद में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर संशोधित याचिका दाखिल की गई थी।
- ग. प्राधिकारी के पास जांच शुरू करने से पूर्व 15 माह की जांच की अवधि के लिए पाटन या क्षति का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य नहीं था।
- घ. प्राधिकारी को 15 माह की जांच की अवधि का चयन करने के लिए संकल्पना को स्पष्ट करना चाहिए, जिसमें कि भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन था।
- ङ. त्रुटिपूर्ण और पुराने आंकड़ों पर क्षति का दावा किया गया था और इसीलिए इसमें 'सकारात्मक साक्ष्य' शामिल नहीं हैं। अद्यतन आंकड़ों को देखते हुए दावों का कोई मूल्य नहीं है।
- च. मूल याचिका में और अद्यतन सूचना, जिसमें बिक्रियों की लागत, पीबीटी प्रति यूनिट, पीबीआईटी प्रति यूनिट, व्याज और कर बदलाव से पूर्व कुल लाभ, व्याज/ वित्त प्रभार, निवेश पर प्रतिफल, नकदी लाभ, निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और अद्यतन याचिका में क्षति अवधि के लिए कार्यशील पूंजी परिवर्तन शामिल हैं, में प्रमुख त्रुटियां हैं। मूल याचिका में प्रदान की गई सूचना में जांच शुरू करने का आधार शामिल है और बाद की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता।
- छ. कम से कम चार अवसरों पर क्षति संबंधी आंकड़ों को अद्यतन किया गया था, जिन्हें याचिकाकर्ता की ओर से सामग्री क्षति के मामले को प्रस्तुत करने में शामिल नहीं किया गया था। एकीकृत सूचना और समर्थन में तर्कों को प्रस्तुत किए बिना आंकड़ों में बार-बार बदलाव किए जाने के कारण, याचिका में तर्कों को पर्याप्त, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर किया जाना नहीं कहा जा सकता।
- ज. जांच शुरू करने के लिए डीजीटीआर को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर्याप्त गुणवत्ता के होने चाहिए ताकि पर्याप्त साक्ष्य, समुचित और उचित साक्ष्य हो सके जैसा कि यूएस साफ्टवुड लुबर और गुवाटेमाला सीमेंट एच में पैनल द्वारा पाया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू की है।
- झ. जांच की शुरुआत कानून के अनुसार खराब होती है क्योंकि कुछ संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। कीमत, लागतों, निवेशों, रोजगार और स्टॉक के संबंध में डेटा प्रदान नहीं किए गए हैं और याचिका के अनुसार विश्लेषण किया गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने अन्तरिम शुल्कों की उपयुक्तता को प्रदर्शित नहीं किया है। मैन्युअल के अनुसार, अनंतिम शुल्कों को लगाया जाना चाहिए, जहां जांच शुरू होने से लेकर आयातों में तेजी आई है, जिनके कारण उद्योग को क्षति हो रही है।
- ट. आवेदक को अद्यतन डेटा में व्याज और वित्त लागत में वृद्धि के लिए कारण स्पष्ट करने चाहिए, जो क्षति में वृद्धि को दर्शाने के लिए जान बूझकर किए गए हो सकते हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- क. जांच शुरु होने के बाद एक संशोधित याचिका दाखिल करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है और तदनुसार उसकी जरूरत नहीं थी।
- ख. तेलंगाना और आन्ध्रा मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार नहीं है और उसने प्राधिकारी द्वारा घोषित नियत तारीख से 3 दिनों पश्चात अनुरोध दाखिल किया है।
- ग. इस तर्क के संबंध में कि 15 माह की बजाय 12 माह के आंकड़ों के साथ अधूरी याचिका दाखिल की गई थी, यह अनुरोध किया गया था कि अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर जांच शुरु की गई थी। तदोपरान्त प्राधिकारी ने जांच की अवधि को अद्यतन करके 15 माह किया और आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अद्यतन आंकड़े दाखिल किए गए हैं।
- घ. जांच की शुरुआत से पूर्व में और बाद में बिक्री कीमत और निवेश पर प्रतिफल में कोई परिवर्तन प्रदान नहीं किया गया है। बिक्रियों की लागत, लाभों/ हानि प्रति यूनिट और नकदी लाभों में मामूली बदलाव ब्याज लागत में मामूली बदलाव के कारण से है। प्राधिकारी यथा आवश्यक आंकड़ों का सत्यापन कर सकते हैं।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के आंकड़े परिवर्तित हो गए हैं। तथापि, ऐसे परिवर्तन काफी नहीं थे। निवल निर्धारित परिसंपत्तियों में मामूली परिवर्तन और डीजीसीआई एंड एस डेटा के अद्यतन के बावजूद, प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार आंकड़ों में संशोधन नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने प्रदान किए गए आंकड़ों के साथ स्वयं को संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग को ऐसी पद्धति में बदलाव करने के लिए कहा, जहां वह सहमत नहीं थे।
- च. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल प्राधिकारी को जांच शुरु करने से पूर्व प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए सूचना की जांच करने की जरूरत है और जांच शुरु करने की अवस्था में जांच की अवधि में परिवर्तन हो सकता है। प्राधिकारी द्वारा अनेक जांचों में ऐसा निरंतर नहीं किया गया है।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, जांच की शुरुआत की अवस्था में केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपेक्षित हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशक मामले में और अधिकरण द्वारा हुवावेई टेक्नोलोजीज कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया था।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 33. हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि 12 माह की जांच की अवधि के साथ एक याचिका के आधार पर जांच की अवधि के रूप में 15 माह के साथ जांच शुरु की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की जांच की अवधि के साथ आवेदन दाखिल किया गया था। तथापि, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को जांच शुरु की गई थी। दिनांक 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 9/2020 - सीमा शुल्क (एन. टी) के तहत जांच की अवधि की परिभाषा में शामिल किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, जांच की अवधि जांच शुरु करने की तारीख को छः माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अतः प्राधिकारी ने उक्त स्पष्टीकरण के अनुरूप जांच की अवधि के भीतर जून, 2020 तक की अवधि शामिल की है।
- 34. हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह तर्क दिया है कि आवेदक ने 15 माह की जांच की अवधि के लिए एक संशोधित याचिका दाखिल नहीं की थी। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच की अद्यतन अवधि, जांच की शुरुआत के बाद की अवधि के लिए आंकड़े दाखिल किए थे। इसका अगोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।
- 35. आवेदक ने एक विधिवत साक्ष्य सहित आवेदन प्रदान किया है, जिसके आधार पर, वर्तमान जांच शुरु की गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि के आधार पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के संबंध

में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य की संतुष्टि के बाद जांच शुरू की गई थी। आवेदन का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। आवेदन में जांच की शुरुआत के प्रयोजन से सभी संगत सूचना निहित है। इसके अलावा, जांच शुरू होने के बाद, आवश्यकता के अनुसार आवेदक से आगे सूचना की मांग की गई थी और यह आवेदक द्वारा प्रदान की गई है।

36. हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों में अनेक अवसरों पर परिवर्तन आया है। प्राधिकारी ने किए गए परिवर्तनों की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दो अवसरों पर दिनांक 13 अगस्त, 2020 और दिनांक 23 सितंबर, 2020 को घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों अथवा दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में आंकड़ों में परिवर्तन किया है। इसके अलावा, दिनांक 18 अगस्त, 2020 को आवेदक ने मार्च 2020 के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा जारी किए गए सौदा-वार आंकड़े रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए और उसके परिणामस्वरूप क्षति मापदंडों में परिणामी परिवर्तन किए। अन्त में, घरेलू उद्योग ने जांच शुरू होने के बाद की जांच की अवधि के लिए आंकड़े दाखिल करते समय विगत वर्षों के लिए सूचित की गई ब्याज लागत में कतिपय सुधार किए हैं। आवेदक द्वारा सूचित की गई ब्याज लागत की प्राधिकारी द्वारा विस्तार से पुष्टि की गई है। केवल ऐसी सत्यापित ब्याज लागत पर, आवश्यक संशोधनों के अध्यधीन वर्तमान प्रयोजनों के लिए विचार किया गया है।
37. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि अन्तरिम शुल्कों को लगाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अन्तरिम शुल्कों को लगाने की सिफारिश नहीं की है, ऐसी समस्याओं को इस अवस्था में सुधारने की जरूरत नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

38. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. प्रकाशित की गई कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि कीमत के लिए बिक्री का स्थान अथवा बिक्री की शर्तें निर्धारित नहीं की जा सकती और न ही इसलिए कि क्या ऐसी बिक्रियां व्यापार की सामान्य अवधि में हैं।
- ख. व्यापार जर्नल में प्रकाशित कीमतों पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसी उल्लिखित सूचना सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित न हों, जैसा कि डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार मामले में पाया गया है। जर्नलों में दी गई कीमतें अनुमानों पर आधारित होती हैं, और इन्हें वास्तविक कीमतों को सही तरीके से दर्शाया गया नहीं माना जा सकता। यद्यपि, आवेदक द्वारा उल्लिखित कई जांच ऐसी रही हैं, जिनमें जर्नलों से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया गया है लेकिन ऐसी प्रथा डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन मामले में सेस्टेट के निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
- ग. कतर और सऊदी अरब के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि बिक्री कीमत को तभी नजरअंदाज किया जा सकता है जब बिक्रियों की मात्रा कम हो, एक ऐसी विशेष बाजार स्थिति हो अथवा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कोई बिक्री नहीं हो, जैसा कि ईसी-ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग मामले में पाया गया है।
- घ. जिस आयात कीमत पर भरोसा किया गया है, वह सभी जीसीसी सदस्यों के लिए है न कि कतर और सऊदी अरब के लिए। तीसरे देश से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य तय करना उपयुक्त नहीं है। यदि सामान्य मूल्य के लिए देश से बाहर के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो उसे संबद्ध देशों में प्रतिस्पर्धा की स्थितियां दर्शाने के लिए समायोजित करने की जरूरत है।
- ड. आयात कीमत के लिए किए गए समायोजन कतर की संगत लागतों के आधार पर नहीं है, उदाहरण के लिए टर्मिनल हैंडलिंग प्रभारों को यूएई में बंदरगाह के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- च. यूएए के लिए निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य उपयुक्त नहीं है क्योंकि आवेदक ने समायोजन के तौर पर रेल कार लागत के दावों का स्रोत प्रदान नहीं किया है और सामान्य मूल्य में कई कारखाना खर्चों के बाद के व्यय को शामिल नहीं किया गया।

- छ. आईसीआईएस रिपोर्ट, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार नहीं प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य के दावों के समर्थन में साक्ष्य के बिना, डीजीटीआर नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार साक्ष्य के सही और पर्याप्त होने की जांच नहीं कर सकता।
- ज. सामान्य मूल्य को कारखाना बाह्य स्तर पर तय नहीं किया गया है बल्कि इसमें सीएफआर कीमतों के सैद्धांतिक व्यय भी शामिल हैं, जिन्हें कारखाना बाह्य कीमतों का निर्धारण करने के लिए कम किए जाने की आवश्यकता है। अतः पाटन मार्जिन के निर्धारण में कोई उचित गणना नहीं है।
- झ. प्राधिकारी के लिए यह जानने का कोई आधार नहीं है कि क्या याचिका में दी गई प्रदत्त कीमतें उचित हैं, क्योंकि आवेदक ने प्लेट्स रिपोर्ट अथवा दावा किए गए समायोजन के आधार को प्रकट नहीं किया है। अन्य कारखाना बाह्य व्यय भी हैं, जैसे कमीशन और ऋण लागत, जिन्हें कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए समायोजित किए जाने की जरूरत है।
- ञ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में प्रदान की गई सूचना को सकारात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह "सकारात्मक, उद्देश्यपरक, सत्यापनयोग्य और विश्वसनीय" नहीं है।
- ट. आवेदक ने ऐसे कारकों, जैसे स्थितियों में अन्तर और संबद्ध देशों में आयातों में आयातों तथा भारत को निर्यातों के लिए बिक्रियों की शर्तों, व्यापार की मात्रा में अंतर और एलडीपीई की भौतिक और तकनीकी विशिष्टताओं में अन्तर को शामिल नहीं किया है और इस प्रकार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कोई उचित तुलना नहीं है।
- ठ. पाटन मार्जिन की गणना निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए।
- ड. सऊदी अरब के संबंध में एक विशेष बाजार स्थिति का आरोप वैध नहीं है क्योंकि यह मामला केवल मौखिक सुनवाई के दौरान उठाया गया था और प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू किए जाने के समय उस पर विचार नहीं किया गया था।
- ढ. आवेदक द्वारा ईथेन की कीमतों के लिए प्रस्तुत की गई तालिका और एचएसबीसी रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि आवेदक ने सऊदी अरब और यूएसए में ईथेन की कीमतों के लिए तालिका में आकड़ों का स्रोत नहीं दिया था। इसके अलावा, प्रस्तुत की गई कीमतें सूचीबद्ध रूप में थीं। यहां तक कि यदि तालिका में कुछ व्यापार जर्नलों और लेखों से प्राप्त कीमतें भी निहित हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसा कि सेस्टेट द्वारा डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ मामले में पाया गया है।
- ण. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि सऊदी अरब में कीमतों का बिखराव होने से जीसीसी में एक विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि समग्र जीसीसी क्षेत्र एक एकल सीमाशुल्क परिक्षेत्र है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- त. चूंकि ईथेन की कीमतें, देश में तटस्थता का लाभ लिए जाने के कारण कमतर हैं, अतः इसे एक विशेष बाजार स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता। डीजीटीआर ने यूई के खिलाफ अनेक जांचों में इसी प्रकार के दावों को अस्वीकार किया है, जो कि क्लीयर फ्लोट ग्लास और प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयातों के संबंध में हैं।
- थ. वर्ष 2015-16 में सुधारों के बाद, सऊदी अरब में ईथेन की कीमतें अन्य तेल प्रधान देशों की कीमतों के तुलनात्मक हैं। मिडल ईस्ट और यूएस में फीडस्टॉक की कीमतें तेल अधिक्यता के कारण कमतर हैं और वे इथाइलीन के उत्पादन के लिए नेप्था की बजाय ईथेन का उपयोग कर रहे हैं। सऊदी अरब में क्रेकर प्लांट ऐसे प्लांट के नजदीक स्थित हैं, जिनके कारण दुलाई लागत में कमी हो रही है।
- द. यहां तक कि ईथेन की कीमत सरकारी विनियमों के कारण कमतर हैं, ऐसी कीमतें घरेलू और निर्यात बिक्रियों, दोनों के लिए लागू हैं। आस्ट्रेलिया ए4 पेपर में निर्णय पर भरोसा किया गया था।
- ध. ईथेन की कीमतों को बाजार की कीमत के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल सरकार ही ईथेन की कीमत नियंत्रित करती है न कि इथाइलीन की, जो कि ईथेन से निर्मित एक

मध्यवर्ती उत्पाद मात्र है। उत्पाद की कीमत, जो कि विशेष बाजार स्थिति के कारण विखंडित सिद्ध हुई है, को ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जैसा कि आस्ट्रेलिया ए4 पेपर मामले में पैनल द्वारा पाया गया है।

- न. सरकारी नियंत्रण के कारण निर्यातक की वास्तविक लागत को अस्वीकार करना डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार नहीं है, जैसा कि यूरोपीय संघ – बायोडीजल (अर्जेन्टाइना) और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट मामले में पैनल द्वारा निर्णय दिया गया है।
- प. सऊदी अरब से प्रोपाइलीन के संबंध में जांच में, उत्पादन की लागत को समायोजित किया गया था, क्योंकि प्रोपेन की घरेलू कीमत इसकी निर्यात कीमत से कमतर थी। तथापि, वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है क्योंकि सऊदी अरब सरकार घरेलू कीमतों को नियंत्रित करती है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर होती हैं, जिनके लिए कतिपय लागत आधारित और अन्य वाणिज्यिक आधार पर समायोजन किया जाता है।
- फ. चीन जन. गण., कोरिया और यूएसए से रबड़ कैमिकल के मामले में, चीन जन. गण. से रबड़ कैमिकल तथा चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से पीएक्स-13 के मामले में जांच परिणामों में गैर बाजार अर्थव्यवस्था से कच्ची सामग्री की खरीद पर विचार किया गया है और इसे वर्तमान मामले के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, सडारा ने किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से फीडस्टॉक की खरीद नहीं की है।
- ब. अर्जेन्टाइना और इंडोनेशिया से बायोडीजल, रूस, त्रिनिडाड तथा टोबैगो और यूएसए से यूरिया अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर, रूस से अमोनियम नाइट्रेट, रूस से आयरन अथवा स्टील के सीमलेस पाइप तथा चीन जन. गण., बेलारूस और रूस से वेल्डेड ट्यूब तथा पाइप अथवा आयरन या गैर-अलॉय स्टील के मामलों में यूरोपीय आयोग के अन्तिम जांच परिणामों में अपील निकाय द्वारा क्रमशः यूरोपीय संघ – बायोडीजल (अर्जेन्टाइना), यूरोपीय संघ – बायोडीजल (इंडोनेशिया) और यूरोपीय संघ – कॉस्ट एडजस्टमेंट मैथडोलोजी II (रूस) मामलों में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार नहीं पाया गया है। इस प्रकार ऐसे जांच परिणामों पर वर्तमान मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता।
- भ. अन्तर्राष्ट्रीय फीडस्टॉक कीमतों को सऊदी अरब में इथाइलीन की प्रतिस्थापित लागत के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ – बायोडीजल मामले में अपील निकाय ने यह पाया है कि प्राधिकारी मूलता के देश से बाहर की लागत को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते और जहां कहीं भी सूचना का प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूलता के देश में उत्पादन की लागत प्राप्त करने के लिए ऐसी सूचना का प्रयोग किया जाए। यह भी पाया गया था कि उत्पादक के रिकॉर्ड में दर्शाई गई लागतों पर विचार करना आवश्यक है, बशर्ते कि रिकॉर्ड में वास्तव में व्यय की गई लागतों को दर्शाया गया हो।
- म. प्राधिकारी को इथाइलीन की बाजार कीमत को अपनाने के लिए घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह संबद्ध पक्षकारों को इथाइलीन प्राप्त करता है, अतः दावे में वास्तविकता की कमी है।
- य. संबद्ध पक्षकारों से खरीदी गई इथेन की कीमत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एडीपीएलआई ने अपने संबद्ध पक्षकारों एडीएनओसी से आर्म्स लेंथ कीमतों पर इथेन की खरीद, इथाइलीन की उत्पादन लागत, इथाइलीन की प्रकाशित कीमत और सत्यापन के दौरान सभी अन्य संगत सूचना के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान की है।
- कक. एडीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई इथाइलीन की लागत में पहले ही मूल्यहास लागत शामिल है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग के तर्क आधारहीन हैं।
- खख. चूंकि कच्ची सामग्रियों की कीमतें सऊदी अरब सरकार द्वारा बिना भेदभाव के आधार पर नियंत्रित की जाती हैं, अतः वे संबद्धता के ज़रिए प्रभावित नहीं मानी जा सकती।
- गग. रूस से अमोनियम नाइट्रेट मामले में आस्ट्रेलियाई आयोग के जांच परिणाम वर्तमान मामले के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं की कीमतें बाजारी ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं न कि सरकार द्वारा और फीडस्टॉक की कीमत बिना भेदभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित की जाती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई मामले में नहीं था।

- घघ. आस्ट्रेलियाई आयोग ने जिंक कोटेड (गाल्वेनाइज्ड) स्टील और एल्युमिनियम जिंक कोटेड स्टील के संबंध में जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए विशेष बाजार की स्थिति निर्धारित की है न कि कच्ची सामग्री के लिए और इस प्रकार, ऐसे मामले में जांच परिणाम लागू नहीं हैं।
- ड.ड. अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- चच. यदि सऊदी अरब से तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों पर सामान्य मूल्य के लिए विचार किया जाता है, तो धारा 9 क (1) (ग) के अन्तर्गत विकल्पों में एक विकल्प यह है कि यह देखा जाएगा कि पाटन नहीं हो रहा हो। रामचन्द्र केशव अडके बनाम गोविंद ज्योति चावरे मामले में, यह पाया गया था कि जब कोई प्रक्रिया किसी मामले में कोई हल करने के लिए कानूनन प्रदान की गई, तो उसे केवल उसी मामले में किया जाना चाहिए न कि सभी मामलों में।
- छछ. यूरोपीय आयोग ने सऊदी अरब से एमईजी के आयातों के संबंध में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों में सऊदी उत्पादकों द्वारा अपनी संबद्ध कंपनी, सऊदी आरामको से प्राप्त छूट को हटाने के लिए प्रोपेन की लागत समायोजित की थी। तथापि, यूरोपीय आयोग द्वारा प्रकाशित प्रकटीकरण विवरण में, ऐसे निर्यातकों को, संबद्ध पक्षकारों से खरीद के कारण इनपुट कीमतों में विखंडन को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के अभाव में उलट दिया गया है और प्रोपेन की लागत, जैसा कि उत्पादक द्वारा सूचित किया गया है, पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयोग की गई थी।
- जज. एडीपीसीएल ने प्राधिकारी को सभी संगत सूचना प्रदान कर दी है और इसीलिए, भारत में संगत संस्था बोरो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदगी के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध नजरअंदाज किए जाने चाहिए। बोरोज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पीयूसी के आयात और पुनर्विक्रय में संलग्न नहीं है।
- झझ. क्यूएपीसीओ इंडिया पीयूसी के आयात और पुनः बिक्री में शामिल नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. जीसीसी में एक विशेष बाजार स्थिति है, विशेषकर सऊदी अरब, यूएई और कतर में, जिसके कारण उत्पादन लागत और क्षेत्र में कीमतों का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण निर्यात कीमत से उचित तुलना नहीं होती। जैसा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के लिए एक्सेसन ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरब पर कार्य पक्ष की रिपोर्ट से स्पष्ट है, ईथेन और प्रोपेन की घरेलू कीमतों पर कीमत और लाभ नियंत्रण रहा है। ये कीमतें नियंत्रण के अध्याधीन वर्ष 2016 में सऊदी अरब द्वारा बढ़ाए जाने के बाद भी जारी रही।
- ख. प्लेट्स की रिपोर्टों के तहत ईथेन की कीमत, सरकारी सऊदी अरब प्रेस एजेंसी के अनुसार, 1.75 डॉलर/एमएमबीटीयू पर निर्धारित हैं।
- ग. जब सऊदी आरामको ईथेन और प्रोपेन की घरेलू बिक्री उनकी समानीकरण कीमतों से कम कीमत पर करती है, तो उसे सरकार से शासन के वर्तमान कीमत संबंधी अधिदेश के साथ सऊदी आरामको की अनुपालन के कारण प्रत्यक्ष रूप से छोड़े गए राजस्व की लागत के समान राशि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक है।
- घ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ईथेन और प्रोपेन की कीमतें क्षेत्रीय लाभों की वजह से कमतर हैं। तथापि, ये कीमतें मुक्त बाजारी ताकतों द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, ईथेन और प्रोपेन की कीमतें सऊदी अरब में अब भी नियंत्रित की जाती हैं और नार्थ अमेरिका में कीमतों से कमतर हैं। कीमतें बाजारी ताकतों के अनुसार निर्धारित नहीं हैं।
- च. एक निवेश बैंकिंग कंपनी, रियाध कैपिटल ने यह बताया है कि नियंत्रित कीमतें ऐसी कीमतों से कमतर हैं, जिन पर सऊदी आरामको ने उत्पाद की अन्यथा बिक्री की होगी। सऊदी आरामको की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उसने समानीकरण की योजना से प्राप्त क्षतिपूर्ति के संबंध में अन्य आय के रूप में करीब 11-12 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया है।

- छ. एमईजी के संबंध में पाटनरोधी जांच में दाखिल किए गए उत्तर में, पेट्रो राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ने सऊदी अरब के साथ इथेन और बुटेन फीडस्टॉक आपूर्ति करार किया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब द्वारा प्राप्त की गई कीमतें सऊदी अरब में सभी औद्योगिक उत्पादकों पर समान रूप से लागू हैं।
- ज. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, सऊदी अरब में कच्ची सामग्री की कीमतों में बिखराव होने से समग्र जीसीसी क्षेत्र में कीमतों का ह्रास हुआ है क्योंकि जीसीसी वाले देशों के बीच कोई टैरिफ संबंधी अवरोध नहीं है। यद्यपि सूचना केवल सऊदी अरब के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन कतर और यूएई के लिए तथ्य वही रहे। कतर और यूएई से उत्पादकों को यह स्थापित करना चाहिए कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर इनपुट की खरीद की है। जीसीसी में एकीकृत बाजार शामिल हैं और एक देश में प्रचलित कीमत दूसरे देश की कीमतों पर प्रभाव डालती हैं। जीसीसी देश एक एकीकृत बाजार के रूप में व्यापार उपचारी जांचें करते हैं और जब उनके खिलाफ जांचें आती हैं, तो वे दोहरा सिद्धान्त नहीं रखते।
- झ. कतर और यूएई में कीमतें खंडित हैं क्योंकि इनपुट के आपूर्तिकर्ता और एलडीपीई के उत्पादक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। इसके अलावा, दोनों ही सरकारी स्वामित्व में होने के नाते संबद्ध हैं।
- ञ. विदेशी उत्पादक भाप, नाइट्रोजन और विद्युत के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, जो कि सऊदी अरब में सरकारी डिफ्री होने के कारण खंडित है और कतर व यूएई में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा आपूर्ति की जाती है। इथाइलीन की उत्पादन की लागत को ऐसी विखंडनों को दूर किए बिना अपनाई नहीं जा सकती।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, विशेष बाजार स्थिति से घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। घरेलू कीमतें इनपुट की लागत और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होती हैं, जबकि निर्यात कीमतें अन्य विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्धारित होती हैं, जिन्हें विखंडित इनपुट प्राप्त नहीं होते। मिडल ईस्ट से आयातों की कीमतें अन्य संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के अनुसार संचालित हुई हैं, यदि माह-वार आधार पर देखा जाए।
- ठ. ऑस्ट्रेलिया – ए4 कापी पेपर के संबंध में पाटनरोधी उपाय मामले में, पैनल ने यह पाया कि इसकी जांच किए जाने की जरूरत है कि क्या इनपुट कीमत बिखराव, घरेलू और निर्यात बिक्री कीमत पर असमान रूप से प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में, अपनाई गई लागत अखंडित इनपुट कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जो कि देश से बाहर के मापदंड के आधार पर हो सकती है, परंतु ऐसा मापदंड उचित रूप से समायोजित किया जाए।
- ड. इस तर्क के संबंध में कि अन्तर्राष्ट्रीय फीडस्टॉक कीमतें सऊदी अरब में इथाइलीन की लागत को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती, यह अनुरोध किया गया था कि सऊदी अरब की सरकार, सऊदी आरामको को नियंत्रित कीमत के कारण राजस्व छोड़ने के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यह क्षतिपूर्ति समानीकरण कीमत के साथ तुलना पर निर्भर करती है, जो कि निर्यात या आयात समानता के आधार पर निर्धारित की जाती है। समानीकरण कीमत पर देश में अनियंत्रित कीमत के लिए बैंच मार्क के रूप में विचार किया जाता है और यह सऊदी आरामको की वास्तविक बिक्री प्राप्ति को दर्शाती है। यह देश से बाहर के बैंचमार्क के लिए नहीं है। प्राधिकारी को धारित कंपनी के रिकॉर्ड पर आधारित अवधि के दौरान प्रचलित समानीकरण कीमतों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए आरामको कैमिकल्स कंपनी को बुलाना चाहिए और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हों तो प्रतिकूल अर्थ निकाला जाना चाहिए तथा इथेन और प्रोपेन के आयात अथवा निर्यात की कीमत में अधिक कीमत पर ऐसे मामले में विचार किया जाना चाहिए।
- ढ. सऊदी अरब सरकार ने इनपुट कीमत बिखराव न होने को स्थापित नहीं किया है। सऊदी अरब सरकार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करते।
- ण. एमईजी जांच में, यह भी प्रकट किया गया है कि जिस कीमत पर सऊदी आरामको द्वारा राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी को ईंधन तेल की आपूर्ति की जाती है, वह सरकार से नियंत्रित है।
- त. सऊदी आरामको द्वारा राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी को सऊदी अरब में प्रचलित कीमतों पर गैस की आपूर्ति की जाती है, जैसा कि सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

- थ. सऊदी आरामको ने राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी के लिए आवर्ती कारपोरेट सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उसने राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी को 1 सऊदी रियाल प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर भूमि दी है। उसे उपयोग के लिए और राबिघ टर्मिनल सुविधाओं के प्रचालन के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- द. सऊदी आरामको और सुमितोमो कैमिकल द्वारा राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी के कारोबार और प्रचालनों में सहायता के लिए कुछ कार्मिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- ध. सऊदी आरामको द्वारा राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रो कैमिकल कंपनी को प्रदान की गई कच्ची सामग्री, यूटिलिटी और अन्य इनपुट सऊदी अरब में अन्य कंपनियों के लिए भी लागू हैं।
- न. चूंकि निर्यातकों ने सभी संगत सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी है, अतः इस अवस्था में एलडीपीई के उत्पादन की लागत का सही सही आकलन करना अव्यवहार्य है। उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत को इथाइलीन की बाजार कीमत के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।
- प. सऊदी अरब और यूएई से इथाइलीन के निर्यातों की कीमत इथाइलीन की बाजार कीमत प्रदान करती है। चूंकि कतर से इथाइलीन के कोई निर्यात नहीं हैं, अतः सऊदी अरब और यूएई से निर्यातों की कीमत पर इसके लिए विचार किया जा सकता है।
- फ. यदि इथाइलीन की बाजार कीमत पर विचार नहीं किया जाता, तो इथाइलीन की पूर्ण लागत पर ब्याज और मूल्यहास लागत के साथ विचार किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि इथाइलीन क्रेकर में निवेश एलडीपीई की तुलना में महत्वपूर्ण है। प्रमुख मूल्य वर्धन के कारण ईथेन का इथाइलीन में रूपांतरण किया जा रहा है न कि इथाइलीन से एलडीपीई में।
- ब. ओमान, सऊदी अरब तथा सिंगापुर से पॉलिप्रोपाइलीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद होने के कारण, सऊदी अरब में प्रोपेन की कीमतों के संबंध में उत्पादन की लागत में संशोधन किया है। चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और यूएसए से रबड़ कैमिकल पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की कीमतों का समायोजन किया है क्योंकि इनका गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से खरीद किए जाने के कारण बिखराव हो गया था।
- भ. डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने कॉपी पेपर में डब्ल्यूटीओ के निर्णय के बाद भी इनपुट कीमत के बिखराव की मौजूदगी की संभावना की जांच जारी रखी। वर्ष 2020 में जर्मनी से फोर्ड स्टील फ्लूट एंड ब्लॉक के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में यूएस डीओसी ने विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी को समाप्त किया है।
- म. यूरोपीय आयोग ने अर्जेन्टाइना और इंडोनेशिया से बायोडीजल; रूस से यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण; रूस से आयरन या स्टील की ट्यूब और सीमलेस पाइप तथा चीन जन. गण., बेलारूस तथा रूस से वेल्डेड ट्यूब और आयरन या गैर अलॉय स्टील के पाइपों के आयातों के संबंध में जांचों में बिखराव के कारण इनपुट कीमतों को अस्वीकार किया है।
- य. ऑस्ट्रेलिया पाटनरोधी आयोग ने रूस से अमोनियम नाइट्रेट, चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और ताइवान से जिंक कोटेड (गाल्वेनाइज्ड) स्टील और एल्यूमिनियम जिंक कोटेड स्टील के आयातों के संबंध में जांच में, बाजार बिखरावों के कारण इनपुट कीमतों को अस्वीकार किया है।
- कक. इस तर्क के संबंध में कि विशेष बाजार स्थिति का उपयोग फीडस्टॉक लागत को नजरअंदाज करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उत्पादन और बिक्रियों की लागत को तर्कसंगत रूप से दर्शाती हैं, अतः यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक ने “उत्पादन की लागत को तर्कसंगत रूप से दर्शाने” के संबंध में प्रावधानों पर भरोसा नहीं किया है बल्कि विशेष बाजार स्थिति के प्रावधान पर भरोसा किया है।
- खख. इस तर्क के संबंध में कि विशेष बाजार स्थिति का मामला विलंब से उठाया गया था, यह अनुरोध किया गया था कि ये तर्क केवल जांच शुरू होने के बाद प्रश्नावली उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद ही दिए गए थे और

उसके बाद मौखिक सुनवाई औपचारिक अवसर है। जांच शुरू होने के बाद तर्क देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- गग. कतर और यूएई में उत्पादक इथेन/ प्रोपेन के सप्लायरों से संबद्ध हैं। सऊदी अरब में उत्पादक सऊदी अरामको, जो कि इथेन का आपूर्तिकर्ता है, से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं। कच्ची सामग्री और यूटिलिटी या प्राकृतिक गैस की यूटिलिटी के लिए उत्पादन करने हेतु सभी खरीद संबद्ध पक्षकारों से हैं।
- घघ. सऊदी केयान पेट्रोकेमिकल कंपनी और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ने सऊदी अरामको से इनपुट की खरीद की है, जो कि एसएबीआईसी की एक संगत संस्था है। सऊदी अरामको द्वारा एसएबीआईसी को अर्जित किया गया है, जो कि सऊदी सरकार की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन संस्था है। अधिग्रहण से पूर्व भी एसएबीआईसी एक 100 प्रतिशत राज्य स्वामित्व वाली संस्था थी, जिससे यह सरकारी स्वामित्वाधीन सऊदी अरामको से संबद्ध हो गई। व्यापार सूचना 09/2018 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है तो वह संबद्ध माना जाएगा।
- ड.ड. यूरोपीय आयोग द्वारा जारी प्रकटीकरण विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया भरोसा ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि व्यापार सूचना बाधकारी है। यूरोपीय मामले में शामिल मामला वर्तमान मामले में इससे पूरी तरह से भिन्न है।
- चच. संबद्ध संस्थाओं से कैप्टिव इनपुट प्राप्त करने वाले उत्पादकों के लिए, इनपुट कीमत कच्ची सामग्री की बाजार कीमत के आधार पर होनी चाहिए। यह इस कारण से है कि कीमतें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के साथ जुड़ी लागतों को तर्कसंगत रूप से नहीं दर्शाती, इन्हें अस्वीकार किए जाने की जरूरत होती है और उत्पादन की लागत को कच्ची सामग्री की बाजार कीमत के आधार पर निर्धारित किए जाने की जरूरत है। यूएस - ओसीटीजी मामले में, पैनल ने यह पाया कि प्राधिकारी किसी संबद्ध संस्था से खरीदी गई कच्ची सामग्री की कीमत को अस्वीकार कर सकते हैं, जो कि आर्म्स लेंथ कीमतों पर नहीं हैं और यह उत्पादन से जुड़ी लागत को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती।
- छछ. अनेक पाटनरोधी जांचों में, जिनमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकोर्डेबल, पीवीसी संस्पेंशन रेसिन और विटामिन एबी2डी3के के आयातों के संबंध में जांच शामिल हैं, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है क्योंकि निर्यातक आर्म्स लेंथ कीमतों पर संगत पक्षकार से कच्ची सामग्री की खरीद को प्रमाणित करने में विफल रहा है।
- जज. यूएस और कनेडियाई कानून के अनुसार, प्राधिकारी जब निर्यातक द्वारा भुगतान की गई कीमत में उच्चतर कीमत के आधार पर इनपुट की उत्पादन के लिए व्यय की गई लागत अथवा इनपुट की बाजार कीमत के आधार पर संगत संस्था से खरीद की जाती है तो इनपुट की लागत निर्धारित करते हैं। आस्ट्रेलिया में भुगतान की गई कीमत या भुगतान की जाने वाली कीमत पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि यदि ऐसी कीमतें खरीदार और विक्रेता के बीच संबंध से प्रभावित हैं और आर्म्स लेंथ कीमतों पर नहीं हैं।
- झझ. अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य सहित अनेक प्राधिकारियों को संबद्ध संस्थाओं और संगत सप्लायरों से इनपुट की खरीद के संबंध में सूचना अपेक्षित है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या वे आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।
- ञञ. मारुबेनी एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने बिना किसी परिशिष्ट के अधूरा उत्तर दाखिल किया है।
- टट. सडारा कैमिकल कंपनी और आवु धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड (बोरो) एलएलसी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत प्रतिवेदन दिया है कि उन्होंने संगत संस्थाओं से कच्ची सामग्री की खरीद नहीं की थी।
- ठठ. अरामको कैमिकल्स कंपनी की संगत संस्थाएं नामतः अरामको ट्रेडिंग फुजाइराह एटीएल, यूएई और अरामको ट्रेडिंग सिंगापुर एटीएस, सिंगापुर, जो कि बिक्रियों और वितरण में लगी हुई हैं, ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- डड. सऊदी इथाइलीन और पॉलिइथाइलेन कंपनी की संगत संस्था नामतः पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, जो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्रियों में लगी हुई हैं, ने जांच में भाग नहीं लिया है।

- ढढ. सऊदी केयान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी की संगत संस्थाएं नामतः यांबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी, ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी तथा जुबैल युनाइटेड पेट्रोकेमिकल, जो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं, ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- णण. कतर पेट्रोकेमिकल कंपनी की संगत संस्था, नामतः काटोफिन कंपनी लिमिटेड, जो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई है, ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- तत. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्रियों में शामिल संगत उत्पादकों के भाग न लोने के कारण, समूह के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- थथ. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (केम्पा) द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि इसने एक्सोन मोबिल के ज़रिए निर्यात किया है, जिसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि केम्पा, साऊदी केयान पेट्रोकेमिकल कंपनी से संबद्ध है और इसके द्वारा दाखिल किए गए उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते।
- दद. इक्विस्टार कैमिकल, एलपी के लिए वेल्यू चेन अधूरी है, क्योंकि इसका संबद्ध उत्पादक, जिसकी वस्तुएं घरेलू बाजार में बेची जाती हैं, उत्पादक, जिसकी वस्तुएं भारत को निर्यात की जाती हैं, संबद्ध व्यापार कंपनी, जो भारत में वस्तुओं की बिक्री में लगी हुई है और अन्य व्यापार कंपनियां, जिन्होंने भारत को वस्तुओं का निर्यात किया है, ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- धध. सडारा कैमिकल कंपनी की पर्याप्त घरेलू बिक्रियां नहीं हो सकती। सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी बाजार में अन्य उत्पादकों की बिक्रियों के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उत्पादक से जुड़ी नहीं है। धारा 9 (क) (1) (ग) और डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 2 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्पादक की अपनी कीमतों को संदर्भित नहीं करता। यूएस-ऑयल कंट्री ट्यूबलर वस्तुओं की निर्णायक समीक्षा में, पैनल ने यह पाया कि सामान्य मूल्य के लिए शुरुआती प्वाइंट घरेलू कीमतें हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदर टोप्सो ए/एस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्ण पर भरोसा किया गया था।
- नन. मारुबेनी एशियन प्राइवेट लिमिटेड भारत में अपनी संगत संस्था को प्रकट करने में विफल रही है। मारुबेनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने कि निर्यातकों से वस्तुओं की खरीद की है तथा कमीशन प्राप्त किया है और उससे व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त की है।
- पप. बोरो प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रचालनों में बोरो (इंडिया) प्रा. लिमिटेड की भूमिका स्पष्ट नहीं की है। भारतीय संस्था पोलिओलिफिन के लिए भारत में विपणन और सहायता प्रदान कर रही है। इसका समग्र राजस्व संगत संस्थाओं से है और निर्यातक ने अपने कुल 14.99 लाख रु. के व्यय की प्रतिपूर्ति की है।
- फफ. जबकि कतर पेट्रोकेमिकल कंपनी ने यह कहा है कि उसका भारत में एक कार्यालय नहीं है, उनका भारत में एक सम्पर्क कार्यालय है, जिसका नाम कतर पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड (क्यूएपीसीओ इंडिया) है।
- बब. एसएबीआईसी ने भारत में अपनी संगत संस्थाओं नामतः एसएबीआईसी इनोवेटिव प्लास्टिक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एसएबीआईसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम प्रकट नहीं किए हैं। इन संस्थाओं ने निर्यातकों से वस्तुओं की खरीद की है और उन्हें विपणन सेवाएं प्रदान की हैं।
- भभ. आरामको कैमिकल कंपनी ने भारत में अपनी संगत संस्था, नामतः आरामको एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्रकट नहीं किया है, जो कि सऊदी आरामको और उसकी सहायक कंपनियों को खरीद, लाजिस्टिक्स, विपणन, कारोबारी सहायता प्रदान करती है।
- मम. बासेल ट्रेडिंग इंटरनेशनल एफ2ई ने भारत में अपनी संगत संस्था को प्रकट नहीं किया है, जिसका नाम बासेल पॉलियोलिफिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने निर्यातक से व्यापार की वस्तुएं, आय और कच्ची सामग्री प्राप्त की है।
- यय. कतर कैमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी की एक संगत संस्था नामतः मुन्तजात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि विपणन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कंपनी का समग्र राजस्व मुंतताज बीवी से प्राप्त होता है, जो कि निर्यातक की एक सहायक कंपनी है।

- ककक. सुमितोमो कैमिकल एशिया प्राइवेट लिमिटेड की भारत में एक संगत संस्था है, जो संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों और वितरण में लगी हैं, जिसका नाम एससीए साउथ एशिया पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी स्थापना निर्यातक के एक एजेंट के रूप में की गई है। कंपनी की समग्र आय निर्यातक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त की जाती है। भारत में संगत पक्षकार ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- खखख एससीजी ग्रुप की भारत में एक संगत संस्था नामतः एससीजी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जोकि व्यापार क्रियाकलापों में लगी हुई है।
- गगग. डो कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड की एक संगत कंपनी है, डो कैमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण और वेबसाइट यह दर्शाते हैं कि इसने निर्यातक से वस्तुओं की खरीद की है और यह भारत में पॉलिइथाइलीन की आपूर्ति कर रही है।
- घघघ. निर्यातकों द्वारा संगत भारतीय संस्थाओं की मौजूदगी अथवा उनकी भूमिका प्रकट नहीं की गई है, दाखिल किए गए उत्तर को निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदर टोप्सो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ड.ड.ड. भारत में संगत संस्थाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है, ताकि प्राधिकारी यह आकलन करने में समर्थ हो सके कि क्या ये संगत संस्थाएं संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों में किसी न किसी तरीके से शामिल हैं।
- चचच. पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने यह प्रकट नहीं किया है कि उसकी संगत संस्थाएं नामतः जीसी लाजिस्टिक्स सोल्यूसंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पीएल ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड और जीसी मार्केटिंग सोल्यूसंस कंपनी लिमिटेड हैं, जो कि संबद्ध वस्तुओं के वितरण के काम में लगी हुई हैं। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या प्रदान की गई सेवाएं आर्म्स लेंथ आधार पर थी। इस बात की कोई सूचना नहीं है कि क्या ऐसी लागतों को लागतों अथवा कीमतों में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है।
- छछछ. प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि कैप्टिव इनपुट अथवा कच्ची सामग्री की लागत, इनपुट की कुल लागत को प्रदर्शित करती है न कि केवल प्रत्यक्ष और फैक्ट्री लागत को।
- जजज. सडारा कैमिकल कंपनी का डो संस्थाओं के साथ करार है और आबू धाबी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड का संबद्ध वस्तुओं के वितरण के लिए बोरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार है। उत्पादक इन संस्थाओं के ज़रिए की गई बिक्रियों के लिए कमीशन का भुगतान करते हैं। प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि क्या भुगतान किए गए कमीशन के बारे में विधिवत सूचित किया गया है, इसके लिए करार की प्रति की मांग की जाए।
- झझझ. पाटन मार्जिन की गणना निर्यातकों के उत्तर के आधार पर की जानी चाहिए, जिनके उत्तर काफी हद तक अधूरे हैं।
- ञञञ. जीसीसी में उत्पादक ऐसी ट्रेडिंग कंपनियों को बिक्री करते हैं, जो कि कम कीमतों पर निर्यातों में शामिल हैं। चूंकि ऐसी बिक्रियां घरेलू बाजार में खपत के लिए नहीं हैं, ऐसी कीमत वास्तव में निर्यात कीमत है। इन बिक्रियों को घरेलू बिक्रियों के निर्धारण से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को रोकते हैं।
- टटट. हितबद्ध पक्षकारों के दावों को प्रतिकूल, आवेदक ने जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी को आईसीआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जोकि सामान्य मूल्य का आधार है और प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। ऋण लागत और कमीशन के लिए समायोजनों के संदर्भ में, आवेदक ने उसके पास उपलब्ध सूचना प्रदान की है और उसे किसी प्रकार के कमीशन का भुगतान किए जाने अथवा घरेलू और निर्यात बाजार में ऋण लागत के बीच अन्तर की जानकारी नहीं थी। जैसा कि ग्वाटेमाला में पैनल ने मैक्सिको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपायों के लिए पाया है, जांच शुरू करने के लिए आवश्यक साक्ष्य उसी गुणवत्ता और मात्रा में नहीं हो सकते, जो कि अन्तिम जांच परिणाम के लिए आवश्यक हैं।
- ठठठ. इस तर्क के संबंध में कि कतर और सउदी अरब के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य उपयुक्त नहीं हैं, यह अनुरोध किया गया था कि देश में आयात, देश के भीतर खपत के प्रयोजन के लिए हैं, उनकी कीमत खपत

के लिए संबद्ध वस्तुओं की कीमत के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना होती है। प्राधिकारी ने आयात कीमत को विभिन्न जांचों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में माना है।

- डडड. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यूएसए के लिए सामान्य मूल्य में कारखाना बाह्य व्यय शामिल नहीं हैं, यह अनुरोध किया गया था कि हितबद्ध पक्षकारों ने कारखाना बाह्य व्यय को समायोजित नहीं माना है। सामान्य मूल्य प्लेट्स द्वारा सूचित रेल कार प्रदत्त कीमतों के आधार पर हैं और बाजार की एजेंसियों की सूचना के आधार पर रेल कार लागत के लिए समायोजन किया गया है।
- ढढढ. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य के लिए निर्धारण करने हेतु प्रदान किया गया डेटा पूर्ण रूप से जीसीसी के लिए है, यह अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी ने पहले भी देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए क्षेत्र में प्रचलित कीमतों को शामिल किया है। जीसीसी साझा रूप से पाटनरोधी जांच करती है और इसीलिए इसे सामान्य मूल्य के लिए क्षेत्र में प्रचलित कीमत के निर्धारण के लिए एक ही माना जा सकता है। आवेदक को केवल उसके बाद उपलब्ध सूचना को ही प्रदान करने की जरूरत है।
- णणण. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जर्नलों में प्रकाशित की गई कीमतों पर विचार नहीं किया जा सकता, जैसा कि डाई स्टफ मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार मामले में पाया गया है, यह अनुरोध किया गया था कि इस मामले में सामान्य मूल्य, कैमिकल वीक जर्नल में प्रकाशित एक लेख पर आधारित था, जिसने नियमित रूप से कीमतें प्रकाशित नहीं की थी और इसकी विश्वसनीयता का पता नहीं लगाया जा सका। आवेदक ने वर्तमान मामले में, आईसीआईएस और प्लेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि विश्व विख्यात मार्केट एजेंसियां हैं और प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए उन पर निरंतर भरोसा किया है। वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य के सही होने का न तो कोई विवाद किया और न ही कोई प्रतिकूल तथ्य प्रदान किए। हुवावेई टेक्नोलोजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, अधिकरण ने यह पाया था कि डाई स्टफ मामले में, अन्तिम परिणामों के प्रयोजन के लिए जर्नल का उपयोग किया गया था, तथापि, एक ऐसी स्थिति में कोई अनुचित बात नहीं है, जहां पर इसे जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाए।
- ततत. बाजार अनुसंधान एजेंसियों की कीमतें विश्वसनीय हैं, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों ने भी निवेशकों को अपनी प्रस्तुति में ऐसी कीमतों का प्रयोग किया है।
- थथथ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित नहीं हैं, लेकिन इसमें सैद्धान्तिक व्यय शामिल किए गए हैं, यह अनुरोध किया गया था कि शामिल किए गए व्यय उपयुक्त हैं, क्योंकि आवेदक को सीमा शुल्क, बीमा, बंदरगाह व्ययों, और स्वदेशी मालभाड़ा को सीएफआर कीमतों में जोड़ने की जरूरत थी ताकि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत का पता चल सके। भुगतान किया गया मालभाड़ा कम किया गया था ताकि सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए कारखाना बाह्य कीमत निकाली जा सके।
- ददद. इस तर्क के संबंध में कि निवल निर्यात कीमत के लिए दावा किए गए समायोजनों का प्रमाण साझा नहीं किया गया है, यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक ने उसके पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना प्रदान की थी। समुद्री माल भाड़ा विश्व माल भाड़ा दरों के आधार पर प्रदान किया गया है और स्वदेशी माल भाड़ा मिडल ईस्ट में प्रचलित दरों के संबंध में बाजार की सूचना के आधार पर प्रदान किया गया है। अन्य समायोजन प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. धारा 9 क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो ; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने के लिए परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने इस जांच में निर्धारित प्रश्नावली उत्तर दाखिल करते हुए सहयोग किया है :

- i. कतर केमिकल ऐंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.पी.जे.एस.सी., कतर
- ii. कतर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (क्यूएपीसीओ) क्यू.पी.जे.एस.सी., कतर
- iii. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (केम्या), सऊदी अरब
- iv. आरामको केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
- v. आवु धाबी पोलिमर्स कंपनी लिमिटेड (बोरोयुगे), एल.एल.सी., सऊदी अरब
- vi. डब सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग बी.वी., सऊदी अरब
- vii. साडारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- viii. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, सऊदी अरब
- ix. सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- x. बोरो प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xi. डब केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xii. मारुबेनी एशियन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xiii. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xiv. सुमितोमो केमिकल एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- xv. जीसी मार्केटिंग साल्युशंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xvi. पीटीटी ग्लोबल केमिकल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xvii. एससीजी परफार्मेंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xviii. एससीजी प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xix. थाई पोलिइथाइलीन कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- xx. बासेल ट्रेडिंग इंटरनेशनल एफजैडई, यूएई
- xxi. डब केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, यूएई
- xxii. डब केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड, सऊदी अरब

- xxiii. राबिघ रिफाइनिंग ऐंड पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- xxiv. सऊदी इथाइलीन ऐंड पोलीइथाइलीन कंपनी, सऊदी अरब
- xxv. इक्यूस्टार केमिकल एलपी, यूएसए
- xxvi. वेस्टलेक लोंगव्यू कारपोरेशन, यूएसए
- xxvii. वेस्टलेक पोलिमर्स एलएलसी, यूएसए
- xxviii. रेणुका एजेंसीज लिमिटेड, हांग कांग
- xxix. टेटरा पाक ग्लोबल सप्लाय एसए, स्विट्जरलैंड
42. संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए अनुसार निर्धारित की गई है।
43. घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि सऊदी अरब, कतर, और यूएई में ईथेन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस, बुटेन इत्यादि की कीमत के संबंध में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है क्योंकि ऐसे इनपुट की कीमत सरकारी हस्तक्षेप से विकृत हुई है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने इनपुट की सप्लाय के लिए सऊदी अरब में कीमत नियंत्रणों पर भरोसा किया है। जहां तक कतर और यूएई का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि प्रत्येक देश में एकमात्र सप्लायर एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जो कि क्रमशः कतर गैस और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) हैं। विकृत लागतों के रूप में विशेष बाजार स्थिति को देखते हुए घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उत्पादकों की उत्पादन की लागत को अविकृत लागतों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।
44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित कारक आवश्यक नहीं हैं और उत्पादन की लागत के लिए समायोजन किए जाने की जरूरत है। इस बात पर बल दिया गया है कि सऊदी अरब में बिना भेद भाव आधार पर सभी उत्पादकों के लिए इनपुट उपलब्ध हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का दावा करने के लिए आस्ट्रेलिया - ए4 कापी पेपर मामले में पैनल की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है कि विशेष बाजार स्थिति केवल तभी समाप्त हो सकती है जब विशेष बाजार स्थिति इस तरह की हो कि इससे निर्यात कीमत के साथ घरेलू बाजार बिक्रियों की एक उचित तुलना से बचा जा सके। यूरोपीय संघ - लागत समायोजन कार्यप्रणाली, यूरोपीय संघ - बायोडीजल और यूक्रेन - अमोनियम नाइट्रेट मामलों में यह दावा करने के लिए निर्णयों का हवाला दिया गया है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई समायोजन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी उत्पादकों के रिकॉर्ड संबद्ध देशों के सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखे गए हैं और यह संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन और बिक्रियों के साथ जुड़ी लागत को समुचित रूप से दर्शाते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को मूलता के देश में उत्पादन की लागत की जरूरत है।
45. मामले का समाधान करने के लिए, प्राधिकारी को मामले से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के प्रावधानों के अनुसार, निर्यातक देश में खपत के लिए भेजे समय समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनात्मक कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने की जरूरत है। तथापि, जब किसी विशेष बाजार स्थिति के कारण, ऐसी बिक्रियों में एक उचित तुलना की जरूरत नहीं है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया जाए :

“(ग) सामान्य मूल्य” से तात्पर्य यह है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
- (ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

46. पहला कदम यह जांच करने के संबंध में है कि क्या विशेष देश में कोई विशेष बाजार स्थिति मौजूद है अथवा नहीं और अगला कदम यह जांच करने के लिए है कि क्या विशेष बाजार स्थिति ऐसी है कि इससे घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना नहीं हो सकती। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि इनपुट की कीमत जैसे ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्राकृतिक गैस इत्यादि की कीमत सऊदी अरब की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। देश में इन इनपुट की आपूर्ति सरकार की एक स्वामित्वाधीन कंपनी, सऊदी आरामको द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। मंत्रि परिषद के विभिन्न संकल्पों के अनुसरण में, शासन ने ईथेन सहित कतिपय हाइड्रोकार्बन की घरेलू बिक्रियों के लिए नियंत्रित कीमतें स्थापित की हैं। ईथेन की कीमतें 1.75 यूएस डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर नियंत्रित की गई हैं जबकि प्राकृतिक गैर की कीमत 1.25 यूएस डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर निर्धारित की गई हैं। प्रोपेन और बुटेन की कीमतें एफओबी जापान कीमत की 20 प्रतिशत छूट पर निर्धारित की गई हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी कोई विवाद नहीं किया है कि इनपुट की कीमतें इस तरह से निर्धारित हैं।
47. इनपुट कीमतों में बिखराव के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2015-16 में सुधारों के बाद, ईथेन की कीमतें अन्य तेल बाहुल देशों से तुलनीय हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि सऊदी अरब की कीमतें प्राकृतिक लाभों के कारण कमतर हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्य कि ईथेन की कीमतें और अन्य इनपुट की कीमतें नियंत्रित की जाती हैं, उसका यह तात्पर्य हुआ कि वे मुक्त बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब की व्यापार नीति समीक्षा पर भरोसा किया है और यह कहा है कि सऊदी आरामको, जो कि एक सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था है, यदि वह कच्चा तेल और कतिपय शोधित उत्पाद घरेलू तौर पर नियंत्रित कीमतों पर बेचते हैं तो वे सरकार के कीमत अधिदेश का अनुसरण करके सऊदी आरामको द्वारा छोड़े गए राजस्व की लागत के समान, सरकार से क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित करने के बाद, यह वही माना जा सकता है कि प्राकृतिक लाभों अथवा प्रतिस्पर्धा व्यवस्था के कारण कीमतें कमतर हैं।
48. अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्राकृतिक गैस इत्यादि जैसे इनपुट की कीमतें सऊदी अरब में सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित होती हैं और इसके कारण सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति मौजूद है। प्राधिकारी, ए4 कापी पेपर के संबंध में आस्ट्रेलिया – पाटनरोधी उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं। पैनल ने विशेष रूप से यह विचार किया था कि क्या इनपुट कीमत बिखराव को एक विशेष बाजार स्थिति के रूप में माना जा सकता है। पैनल ने यह नोट किया था कि “अनुचित तुलना को रोकने में सक्षम”, ‘विशेष बाजार स्थिति’ के निर्माण के लिए एक स्थिति हेतु आवश्यक पात्रता नहीं है।

“7.27. हमारे आकलन में, “विशेष बाजार स्थिति” और “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति” शब्द मिलकर, सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में घरेलू बाजार की बिक्रियों को नजरअंदाज करने की स्थिति स्थापित करते हैं। विशेष रूप से, यह कि घरेलू बिक्रियां “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं देती” की बजाय “विशेष बाजार स्थिति के कारण” होना चाहिए। यदि घरेलू बिक्रियां एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं देती, तो उन्हें सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में नजर अंदाज किया जा सकता है, चाहे विशेष बाजार स्थिति और इसके प्रभाव मौजूद हो या नहीं। हम यह पाते हैं कि कार्य के भाग के रूप में “विशेष बाजार स्थिति” के तात्पर्य में शामिल करने से कोई कार्यात्मक प्रयोजन पूरा नहीं होता, जो कि आवश्यक रूप से “के कारण से” और “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति न देना” शब्दों से पूरा हो जाएगा। तदनुसार, हमने यह पाया कि “एक उचित तुलनात्मकता को रोकने में सक्षम”, “विशेष बाजार स्थिति” निर्मित करने के लिए एक स्थिति हेतु एक आवश्यक पात्रता नहीं है। वास्तव में, “विशेष बाजार स्थिति” शब्द में एक ऐसा तात्पर्य शामिल करने से इस प्रावधान का कार्य बदल जाएगा। इस प्रकार, हमने यह पाया कि “विशेष बाजार स्थिति” शब्द में घरेलू बिक्रियों के कारण क्षमता के संबंध में एक विक्षेपण आवश्यक नहीं अथवा निहित नहीं है कि इसमें सार में एक उचित तुलना अनुमत्य नहीं

है। इसकी बजाय, “के कारण से” और “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं” शब्द अनुच्छेद 2.2 में पहले से ही इस कार्य को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं।

7.28. घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए व्यापारिक माल के लिए समान रूप से प्रयुक्त एक कम कीमत के इनपुट को इंडोनेशिया द्वारा स्वीकार किए गए विशिष्ट मामले को देखते हुए, हम पुनः उसी स्थिति में आ गए हैं कि “विशेष बाजार स्थिति” के निर्माण से एक स्पष्ट अयोग्यता एक व्याख्यात्मक मामले के रूप में बरकरार रह सकती है। हम समझते हैं कि इंडोनेशिया यह तर्क दे रहा है एक ऐसी स्थिति, जो घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री के लिए व्यापारिक माल की उत्पादन की लागत को समान रूप से प्रभावित करती है, उसका दोनों बाजारों में बिक्री कीमतों पर समान प्रभाव पड़ना आवश्यक है और इसीलिए घरेलू बाजार की बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के बीच एक उचित तुलना अनुमत है। पहले, हमने इस प्रस्तावित अर्थ को “विशेष बाजार स्थिति” शब्द में शामिल करने के लिए कोई वैध व्याख्यात्मक आधार नहीं पाया था, विशेषकर जहां ऐसे विचार की “के कारण से” और “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति” शब्दों के संबंध में अधिक उपयुक्त तरीके से जांच की गई, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण में सुझाया गया है। दूसरे, हम जैसा दिया गया है, उसे वैसे स्वीकार नहीं करते कि घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए तैयार किए गए व्यापारिक उत्पाद की लागत पर समान प्रभाव पड़ने से दोनों बाजारों में समान रूप से बिक्री कीमतें आवश्यक रूप से प्रभावित होगी, जिससे घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के बीच एक उचित तुलना को रोका नहीं जाएगा। हम यह मानते हैं कि “विशेष बाजार स्थिति” शब्द की एक व्याख्या के लिए ये कथन उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन इसकी बजाय ये इसके विश्लेषण के लिए बेहतर उपयुक्त हैं कि क्या घरेलू बिक्रियों के लिए एक जांच प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात एक विशेष बाजार स्थिति के कारण एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं है। हम इंडोनेशिया के “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति” शब्द के तात्पर्य के संबंध में तर्क की अपनी जांच की ओर आते हैं।”

49. प्राधिकारी इस विषय पर ए4 कापी पेपर के संबंध में पाटनरोधी उपायों के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं कि इनपुट कीमत बिखराव पर, एक विशेष बाजार स्थिति के रूप में विचार कर सकते हैं, चाहे इसका निर्यात कीमत पर कुछ प्रभाव भी हो। यह पैनल के निष्कर्ष से स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है :

“7.57 उपरोक्त जांच परिणामों के आधार पर, हम यह निर्धारित करते हैं कि इंडोनेशिया ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि एडीसी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के तहत आस्ट्रेलिया की बाध्यता के अनुसार काम नहीं किया, जब यह पाया गया कि ए4 कापी पेपर के लिए एक “विशेष बाजार स्थिति” आस्ट्रेलियाई घरेलू बाजार में मौजूद है। इंडोनेशिया के तर्कों से हम सहमत नहीं हुए कि घरेलू बाजार स्थिति के कारण निर्यातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद, दोनों के लिए प्रयुक्त एक इनपुट के लिए कमतर लागत को आवश्यक रूप से “विशेष बाजार स्थिति” के निर्माण से अलग किया गया है। हम इस बात से भी सहमत नहीं हुए कि एक सामान्य कथन के रूप में, कोई स्थिति, जिसका घरेलू बाजार की बिक्रियों के अलावा, निर्यात बिक्रियों पर भी कुछ प्रभाव होता है या हो सकता है, को आवश्यक रूप से “विशेष बाजार स्थिति” के निर्माण से अलग किया गया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि कम से कम कुछ मामलों में तो घरेलू और निर्यात बिक्रियों पर प्रभाव में अन्तर होने से एक उचित तुलनात्मकता से रोका जा सकता है। अन्ततः हम इस पर भी सहमत नहीं हुए कि इस प्रावधान में उल्लिखित “विशेष बाजार स्थिति” आवश्यक रूप से ऐसी स्थिति को बाहर कर देती है, जो सब्सिडी अथवा अन्य सरकारी कार्रवाई से उत्पन्न होती है।”

50. प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया कि कच्ची सामग्री की कीमतें कतर या यूएई में सरकार द्वारा निर्धारित या नियंत्रित की जाती हैं। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कतर और यूएई में कोई विशेष बाजार स्थिति मौजूद नहीं है।
51. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि ईथेन, प्रोपेन, बूटेन, प्राकृतिक गैस इत्यादि जैसी इनपुट की कीमतें सऊदी अरब में सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित होती हैं और इस संबंध में सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, अगला विषय यह जांच करने का है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव यह है कि उससे घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना नहीं हो सकती।

52. इस संबंध में, आस्ट्रेलिया में पैनल ने काफी पेपर मामले में यह भी पाया गया है :

“7.73. जहां एक “विशेष बाजार स्थिति” मौजूद पाई जाती है, वहां जांच प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू और निर्यात कीमत की “एक उचित तुलनात्मकता” अनुमत्य है या नहीं। हम यह मानते हैं कि “उचित तुलनात्मकता” की भाषा से घरेलू और निर्यात कीमतों की तुलनात्मकता के संबंध में कोई आकलन अपेक्षित है।

7.74. “उचित” शब्द का सामान्य अर्थ “निहित अथवा निहित प्रयोजन अथवा आवश्यक के लिए उचित, परिस्थितियों अथवा स्थितियों के लिए उपयुक्त; संगत, अनुकूल, सही, ठीक” होता है। “तुलनात्मकता” शब्द को “तुलना करने की कार्यवाही या कार्य, अथवा दो या अधिक चीजों की समानताओं और भिन्नताओं को नोट करना” के रूप में समझा जा सकता है। “एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति” जांचने का कार्य यह निर्धारित करना है कि क्या घरेलू कीमत को पाटन की मौजूदगी की पहचान के लिए निर्यात कीमत के साथ तुलना करने के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। यहां अनुच्छेद 2.2 में यह निहित है कि “एक उचित तुलनात्मकता” शब्द घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच तुलनात्मकता के संदर्भ में है। इसी प्रकार से, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के दूसरे क्लॉज के अंतर्गत एक जांच प्राधिकारी की जांच का प्रयोजन यह निर्धारित करना है कि क्या सामान्य व्यापार प्रक्रिया में समान उत्पाद की घरेलू बिक्री निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच विशेष बाजार स्थिति अथवा कम मात्रा के कारण एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं है।

7.75. जबकि अनुच्छेद 2.2 में उचित तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच तुलना के संदर्भ में है, जो दोनों कीमतों के बीच एक विशुद्ध सांख्यिकीय तुलना है, जिससे इस बात के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं होता कि क्या घरेलू कीमत की निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना की जा सकती है। इसके बजाय, घरेलू और निर्यात कीमतों की एक गुणात्मक तुलना करना आवश्यक है। “विशेष बाजार स्थिति के कारण से” वाक्य यह स्पष्ट कर देता है कि इस बात का गुणात्मक आकलन कि क्या घरेलू और निर्यात कीमतों की उचित तुलना हो सकती है, इस पर होना चाहिए कि कैसे विशेष बाजार स्थिति उस तुलनात्मकता को प्रभावित करती है। अतः हम यह विचार करते हैं कि “उचित तुलनात्मकता” की भाषा के अनुसार घरेलू और निर्यात कीमतों पर विशेष बाजार स्थिति के संगत प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कतिपय परिस्थितियों में, इस आकलन की वजह से, जांच प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विशेष बाजार स्थिति का निर्यात कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं होता।

7.76. इस आकलन को देखते हुए कि क्या “एक उचित तुलना”, विशेष बाजार स्थिति के कारण से अनुमत्य नहीं है, हम यह नोट करते हैं कि विश्लेषण इस पर केन्द्रित है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव यह है कि जांचाधीन घरेलू कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, जांच प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए घरेलू बिक्रियों की जांच करनी चाहिए कि क्या विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव के बावजूद दोनों कीमतों के बीच एक उचित तुलनात्मकता की अनुमति है। प्रश्न यह निर्धारित करने का है कि क्या एक तुलनात्मक घरेलू कीमत है अथवा यदि “पाटनरोधी करार के जीएटीटी 1994 अनुच्छेद VI:1(ख) और अनुच्छेद 2.1 के अनुसार “समान वस्तु को निर्यातक देश में खपत के लिए भेजा जाता है तो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनात्मक कीमत है”। यह निर्धारण तथ्यात्मक है और जांच प्राधिकारी द्वारा निर्यात कीमत, यदि कोई हो, पर प्रभाव के संबंध में घरेलू कीमत पर विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव का आकलन करने के लिए मामला दर मामला आधार पर किया जाना चाहिए। यह संगत आकलन आवश्यक है, क्योंकि चूंकि हम निम्नलिखित उप धारा में स्पष्ट करते हैं, जबकि एक विशेष बाजार स्थिति का घरेलू और निर्यात कीमतों, दोनों पर एक प्रभाव हो सकता है, इसका यह अर्थ नहीं कि घरेलू और निर्यात कीमतों, दोनों का प्रभाव समान हो सकता है। यदि जांच प्राधिकारी यह पाते हैं कि एक विशेष बाजार स्थिति के कारण घरेलू कीमत और निर्यात कीमत की एक उचित तुलना अनुमत्य नहीं है, अतः इसके निष्कर्ष के लिए एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।”

53. प्राधिकारी ने सऊदी अरब में सरकारी हस्तक्षेप के कारण इनपुट की कमतर कीमत की वजह से विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की लागत, घरेलू बिक्री कीमत और विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच की है और यह नोट

करते हैं कि यह निष्कर्ष देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि सऊदी अरब में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति का एक ऐसे तरीके से विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत पर विशेष प्रभाव पड़ा है कि घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना अनुमत नहीं है।

54. इस प्रकार से, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सऊदी अरब से कच्ची सामग्री की वास्तविक लागत और उत्पादकों/ निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत को अस्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
55. भारत में एडीपीसीएल और क्यूएपीसीओ की संबंधित कंपनियों अर्थात् बोरोग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और क्यूएपीसीओ (इंडिया) के भागीदारी नहीं करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर बोरोग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और क्यूएपीसीओ (इंडिया) पीयूसी के आयात और पुनः बिक्री में शामिल नहीं हैं। अतः प्राधिकारी, घरेलू उद्योग के अनुरोध में कोई तथ्य नहीं पाते हैं।
56. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इक्विस्टार कैमिकल्स आई. पी. ने घरेलू बाजार में एक सहायक संस्था द्वारा उत्पादित उत्पाद की बिक्री की थी। इसके अलावा, उसने दो व्यापार कंपनियों के माध्यम से अन्य उत्पादक द्वारा उत्पादित उत्पादों का निर्यात किया है। तथापि, न तो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादक और न ही व्यापार कंपनियों ने प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए उत्तर दाखिल किया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इक्विस्टार कैमिकल्स आई.पी. के लिए एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सऊदी अरब

अल-जुबैल पैट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") (उत्पादक), सऊदी केयान पैट्रोकेमिकल कंपनी ("सऊदी केयान") (उत्पादक), सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ("एसएबीआईसी") (निर्यातक/ट्रेडर), एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ("एसएपीपीएल") (निर्यातक/ट्रेडर) और एसएबीआईएल रिसर्च एंड टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड ("एसआरटीपीएल") (संगत कंपनी)

सामान्य मूल्य

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अल जुबैल पैट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") और सऊदी केयान पैट्रोकेमिकल कंपनी ("सऊदी केयान") सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के संगत उत्पादक हैं और उन्होंने एक संगत ट्रेडर, सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ("एसएबीआईसी") के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियां की हैं। एसएबीआईसी के पास केम्या में *** % शेयर और सऊदी केयान में *** % हिस्सा है। इसके अलावा, एसएबीआईसी, एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ("एसएपीपीएल") की मूल शेयरधारक कंपनी है।
58. प्राधिकारी ने उपरोक्त उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया है और उनके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है। इस संबंध में विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं।

निर्यात कीमत

59. पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, यह नोट किया जाता है कि केम्या और सऊदी केयान, सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के संगत उत्पादक हैं। केम्या और सऊदी केयान द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा निर्मित की गई संबद्ध वस्तुएं भारत को एसएबीआईसी और एसएपीपीएल नामक उनकी संगत संस्थाओं के माध्यम से निर्यात की गई हैं।
60. केम्या और सऊदी केयान ने यह भी अनुरोध किया है कि उनके पास एसएबीआईसी के ज़रिए बेची गई संबद्ध वस्तुओं के अन्तिम स्थान की पूरी जानकारी नहीं है। अतः केम्या और सऊदी केयान ने एसएबीआईसी को की गई सभी बिक्रियों को परिशिष्ट 4क के अन्तर्गत घरेलू बिक्रियां बताया है और यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को घरेलू बिक्रियों और भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में पुनः बिक्री के पूरे ब्यौरो के लिए एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के परिशिष्ट को देखना चाहिए।
61. उत्पादकों और निर्यातकों/ व्यापारियों, दोनों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स केम्या एसएबीआईसी और एक्सोन मोबिल अरबिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। केम्या द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर ("ईक्यूआर") में यह कहा गया है कि केम्या एसबीआईसी और एक्सोन

मोबिल को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करता है। तदोपरान्त, एसएबीआईसी और एक्सोन मोबिल विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं। केम्या द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) में यह स्पष्ट रूप से दावा किया गया था कि केवल एसएबीआईसी ने केम्या द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया है और एक्सोन मोबिल ने भारत को केम्या द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

62. जांच के दौरान, शासकीय भारतीय आंकड़ों की जांच करते समय, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि एक्सोन मोबिल एशिया पैसिफिक द्वारा भारत को सऊदी अरब के मूल की संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण निर्यात किए गए थे। प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में उनके द्वारा की गई इस गलत बयानी का उल्लेख करते हुए केम्या को एक पत्र जारी किया और उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की। प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा में प्रावधान की ओर निर्यातकों का ध्यान भी आकर्षित किया, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और इस प्रकार प्राधिकारियों से संगत सूचना प्राप्त की जा रही है तो इस स्थिति के कारण ऐसा परिणाम हो सकता है, जो कि यदि पक्षकार ने सहयोग नहीं किया जो पक्षकार के लिए कम अनुकूल है।
63. प्राधिकारी ने सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के नाम के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुछ भारतीय आयातकों को पत्र भी जारी किए हैं, जिनके उत्पाद एक्सोन मोबिल एशिया पैसिफिक से उनके द्वारा आयात किए गए थे।
64. उत्तर में, केम्या ने यह अनुरोध किया कि कंपनी को एसएबीआईसी और एक्सोन, जो संयुक्त उद्यम भागीदार भी हैं, के ज़रिए बेची गई संबद्ध वस्तुओं के अंतिम स्थान के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। केम्या ने इस महत्वपूर्ण मामले के लिए कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या उनके द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की गई थीं न कि उनके संगत पक्षकार एक्सोन मोबिल के द्वारा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों के निर्यातों के बारे में उनके संयुक्त उद्यम भागीदार से सही सही ब्यौरे प्राप्त करें और भारतीय प्राधिकारी को सही ब्यौरे सूचित करें। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा की जा रही प्रत्येक जांच में, संगत उत्पादक भारत को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यातों और घरेलू बिक्रियों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि भारत को घरेलू बिक्रियां और निर्यात संगत व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं।
65. मैसर्स एक्सोन मोबिल ने अपने दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के पत्र में यह पुष्टि की है कि एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक और अन्य एक्सोन मोबिल की सहायक संस्थाओं द्वारा भारत को किए गए संबद्ध वस्तुओं के निर्यात केम्या द्वारा वास्तव में निर्मित थे। तथापि, उन्होंने यह कहा है कि ऐसे निर्यातों की मात्रा उसी अवधि के दौरान भारत को सऊदी अरब से निर्यात किए गए एलडीपीई की कुल अनुमानित मात्रा का ***% से भी कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र के उत्तर में, कुछ भारतीय आयातकों ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक और अन्य एक्सोन मोबिल सहायक संस्थाओं द्वारा आयातित संबद्ध वस्तुएं वास्तव में केम्या द्वारा निर्मित थीं। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि एक्सोन मोबिल और इसकी सहायक संस्थाएं, जो भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में लगी हुई हैं, वर्तमान जांच में सहयोग करने में विफल रही हैं और कोई भी सूचना दाखिल नहीं की है। केम्या भारतीय प्राधिकारियों को यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने में ररही कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं एक्सोन मोबिल के ज़रिए भारत को निर्यात की गई है।
66. उपरोक्त को देखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि केम्या ने उसके द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। यहां तक कि प्राधिकारी ने इस मामले के लिए केम्या को कहा था, लेकिन वे सही तथ्य प्रकट नहीं कर सके और प्राधिकारी को उपयुक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए। पाटनरोधी जांचों में यह काफी महत्वपूर्ण है कि किसी उत्पादक द्वारा निर्मित सभी संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात करने से संबंधित सूचना प्रदान की जाए और शामिल की जाए ताकि सही पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। निर्यातक प्रश्नावली उत्तर फॉर्मेट में निम्नलिखित निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं:

2. यह प्रश्नावली उत्पादकों और/ अथवा निर्यातकों तथा उनके साथ में उनकी संगत संस्थाओं के भारत में निर्यातकों, यदि कोई हो, द्वारा दाखिल की जानी है। यदि संगत आयातक भी संबद्ध वस्तुओं का एक प्रयोक्ता है, तो ऐसे संगत आयातक को प्रयोक्ता प्रश्नावली भरनी है। यह उत्पादक/ निर्यातक के हित में है कि प्रश्नावली का उत्तर सही सही और पर्याप्त रूप से दिया जाए और आवश्यकता के अनुसार सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

8. उत्तर के साथ विधिवत भरा गया फार्मेट दाखिल किया जाना है कि क्या आप एक उत्पादक हैं या निर्यातक हैं अथवा उत्पादक और निर्यातक हैं। आपसे संबंधित संस्थाओं को भी आगे के पैरा में उल्लिखित संगत सूचना प्रदान करते हुए भाग लेना आवश्यक है।

9. यदि आप विचाराधीन उत्पाद, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को निर्यात किया जा रहा है, के केवल एक उत्पादक हैं, तो आपको भाग I, भाग II और भाग III में प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। साथ ही, इसके साथ में यथा लागू निम्नलिखित सूचना भी होनी चाहिए :

(i) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल किसी अन्य संगत उत्पादक ने भाग I, II और III में सूचना अलग से प्रस्तुत करनी है;

(ii) विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल किसी अन्य गैर-उत्पादक संगत संस्थाओं को परिशिष्ट 5 के साथ में भाग I और भाग II में उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(iii) भारत में किसी अन्य संगत आयातक को भाग-IV में उत्तर दाखिल करना अपेक्षित है। तथापि, यदि संगत पक्षकार भी विचाराधीन उत्पाद का एक प्रयोक्ता है, तो ऐसे संगत प्रयोक्ता को भाग-IV की बजाय प्रयोक्ता प्रश्नावली भरने की जरूरत है;

67. उपरोक्त के अलावा, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि केम्या और सऊदी केयान भारत को निर्यातों के संबंध में परिशिष्ट-3सी में सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। प्राधिकारी ने केम्या और सऊदी केयान को उन्हें इस कमी का उल्लेख करते हुए एक पत्र जारी किया है। प्राधिकारी के पत्र के उत्तर में, केम्या और सऊदी केयान ने यह अनुरोध किया है कि उनके पास एसएबीआईसी के ज़रिए बेची गई संबद्ध वस्तुओं के अन्तिम स्थान के संबंध में पूरी सूचना नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि प्राधिकारी को घरेलू बिक्रियों और भारत को निर्यात बिक्रियों के संबंध में पुनः बिक्री (रीसेल) के पूरे ब्यौरों के लिए एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के परिशिष्ट का संदर्भ लेना चाहिए।

68. पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी को भारत के लिए निर्यात की श्रृंखला में शामिल प्रत्येक व्यापारी की लाभप्रदता की जांच करना और उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करना चाहिए। प्राधिकारी ने भारत को निर्यातों के लिए परिशिष्ट-3ग में उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की है, लेकिन प्राधिकारी भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते। प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जा रही सभी अन्य जांचों में, जिनमें संगत उत्पादक और निर्यातक शामिल हैं, परिशिष्ट-3ग उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नोट किया जाना चाहिए कि परिशिष्ट-3ग में सूचना प्रदान करना उत्पादक की जिम्मेदारी है और उत्पादक आसानी से अपने संगत व्यापारी से अन्तिम स्थान के बारे में पूर्ण जानकारी तथा साथ ही प्रत्येक सौदे के लिए उत्पादक द्वारा ली गई निवल कीमत की जानकारी भी प्रदान कर सकता है।

69. उपरोक्त के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि केम्या और सऊदी केयान उनको प्राधिकारी द्वारा इस कमी के संबंध में उल्लेख किए जाने के बाद भी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहे हैं। दोनों ही उत्पादकों द्वारा कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि क्यों वे अपने संगत निर्यातकों से सूचना प्राप्त नहीं कर सके और प्राधिकारी को प्रदान नहीं कर सके।

70. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने केम्या, सऊदी केयान, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल द्वारा दाखिल निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार न करने और उनके लिए एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित न करने का निर्णय लिया है।

राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (उत्पादक), आरामको कैमिकल्स कंपनी (निर्यातक), सुमितोमो कैमिकल्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड (निर्यातक), मारुबेनी एशियन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक), रेणुका एजेंसीज लिमिटेड, हांगकांग

सामान्य मूल्य

71. पेट्रो राबिघ द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद की सीधे ही और सहायक व्यापारी, मैसर्स आरामको कैमिकल कंपनी (आरामको) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री की है। कंपनी ने स्वतंत्र ग्राहकों को सीधे ही *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद और घरेलू बाजार में आरामको के ज़रिए *** मी. टन की बिक्री की है। भारत को निर्यातों के साथ तुलना करने पर घरेलू

विक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच की ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू विक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। प्राधिकारी ने सभी अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत पर विचार किया है। यदि सभी सौदों की लाभकारी प्रतिशतता 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू विक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है और यदि सभी सौदों की लाभकारी प्रतिशतता 80 प्रतिशत से कम है तो केवल लाभकारी घरेलू विक्रियां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए शामिल की जाती हैं। वर्तमान मामले में, चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू विक्रियां लाभकारी हैं, अतः सभी घरेलू विक्रियों पर स्वदेशी यातायात, ऋण लागत, छूट और विपणन शुल्क के लिए समायोजनों की अनुमति प्रदान करने के बाद पैट्रो राबिघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार से परिकल्पित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत

72. पैट्रो राबिघ ने जांच की अवधि के लिए निर्धारित फॉर्मेट में निर्यातक प्रश्नावली दाखिल की है। उसने जांच की अवधि के दौरान अपने संगत व्यापारी निर्यातकों मैसर्स सुमिताओ कैमिकल एशिया प्राइवेट लिमिटेड (सुमिताओ) और मैसर्स आरामको कैमिकल कंपनी (आरामको) के माध्यम से *** डॉलर प्रति मी. टन के औसत सीआईएफ मूल्य पर भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। पैट्रो राबिघ द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल निर्यातों में से सुमिताओ ने *** मी. टन निर्यात किया है और आरामको ने *** मी. टन निर्यात किया है। यह भी नोट किया गया है कि मैसर्स आरामको ने मैसर्स मारुबेनी और रेणुका, एमटी के ज़रिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और कुछ संबद्ध वस्तुएं असहयोगी निर्यातकों के ज़रिए निर्यात की गई हैं। उत्पादक मैसर्स राबिघ की निर्यात कीमत की गणना करने के लिए, प्राधिकारी ने राबिघ और सहयोगी व्यापारियों, जिन्होंने जांच में भाग लिया और निर्धारित फॉर्म में तथा निर्धारित तरीके से उत्तर प्रस्तुत किया, सहित श्रृंखला के लिए वास्तविक निर्यात कीमत और राबिघ के असहयोगी व्यापारियों, जिसने निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित तरीके से सूचना दाखिल की है, के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार राबिघ के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण भारत को सभी निर्यात माध्यमों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है।
73. उत्पादक/ निर्यातक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और विपणन शुल्क के समायोजन का दावा किया है, जिसकी जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है। तदनुसार, उत्पादक के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उसका उल्लेख किया गया है।
सडारा कैमिकल कंपनी (उत्पादक), डव सऊदी अरबियन प्रोडक्ट मार्केटिंग बीवी (निर्यातक), डव कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (निर्यातक), डव कैमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (निर्यातक)
74. सडारा एक्सीलेंट परफोरमेंस कैमिकल कंपनी, विगत में परफोरमेंस कैमिकल्स होल्लिंग कंपनी, जो सऊदी आरामको की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, के संयुक्त स्वामित्वाधीन और *** % नियंत्रणाधीन कंपनी है और डव यूएसए की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, डव सऊदी अरबिया होल्लिंग बी वी ("डीएसएएच") के *** % नियंत्रणाधीन कंपनी है।
75. यह नोट किया जाता है कि सडारा, सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक है, जो संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्री और संगत संस्थाओं, नामतः डव मार्केटिंग, डव सिंगापुर, डव सिंगापुर दुबई ब्रांच और डीसीआईपीएल दुबई ब्रांच के माध्यम से निर्यातों में लगी हुई हैं। सडारा एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, जो सऊदी अरब के लाँ ऑफ किंगडम के अन्तर्गत अस्तित्व में है। कंपनी का मुख्यालय ईस्टर्न प्रोविंस, जुबैल, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में स्थित है।

सामान्य मूल्य

76. सडारा द्वारा दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू विक्रियां घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हैं। मैसर्स सडारा द्वारा दावा की गई विक्रियों की लागत, डेस्क सत्यापन के बाद उचित रूप से समायोजित की गई हैं। समायोजित की गई विक्रियों की लागत के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू विक्री सौदों के निर्धारण के लिए सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच की

है। प्राधिकारी ने सभी अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत पर विचार किया है। जांच की अवधि के डेटा की जांच किए जाने पर, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि उच्चीस प्रतिशत से अधिक मात्रा में घरेलू बिक्रियां नुकसान पर हैं। अतः प्राधिकारी ने स्वदेशी माल भाड़ा, ऋण लागत, और विपणन शुल्क के लिए समायोजनों के बाद लाभकारी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया है।

निर्यात कीमत

77. भारत को किए गए निर्यातों से यह नोट किया जाता है कि मै. सडारा द्वारा डब मार्केटिंग को संबद्ध वस्तुओं की समग्र मात्रा की बिक्री की जाती है। भारत को निर्यात करने के लिए डब मार्केटिंग द्वारा असंगत भारतीय आयातकों को पुनर्विक्रय हेतु डब सिंगापुर, डब सिंगापुर-दुबई ब्रांच, डी सी आई पी एल- दुबई ब्रांच के संबंध में इनवायस तैयार किए जाते हैं। इन सभी संगत पक्षकारों ने भी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं।
78. जांच की अवधि के दौरान, डो संस्थाओं नामतः डब सिंगापुर ने *** कि. ग्रा. की इनवायस, डब सिंगापुर दुबई ब्रांच ने *** कि. ग्रा. की इनवायस और डीसीआईपीएल दुबई ब्रांच ने *** कि. ग्रा. की इनवायस भारतीय असंगत ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं के लिए दी है। समेकित आधार पर, डब संस्थाओं ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** कि. ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, कारखाना बाह्य का निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने बिक्री पश्चात् के व्यय, जिसमें मालभाड़ा, स्वदेशी यातायात आदि शामिल हैं, के संबंध में समायोजनों पर विचार किया है। तदनुसार, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना करके उल्लेख किया गया है।

सऊदी इथाइलीन और पॉलिइथाइलीन कंपनी (एसईपीसी) (उत्पादक), नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कं. लि. (निर्यातक), बासिल ट्रेडिंग इंटरनेशनल एफजैडई (निर्यातक)

सामान्य मूल्य

79. एसईपीसी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसईपीसी ने अपने सहायक व्यापारी, मैसर्स नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कं. लि. (टास्ली मार्केटिंग) के जरिए जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। कंपनी ने घरेलू बाजार में टास्ली मार्केटिंग के जरिए विचाराधीन उत्पाद की *** मी. टन मात्रा की बिक्री की है। घरेलू बिक्रिया पर्याप्त मात्रा में हैं, यदि भारत को निर्यातों की तुलना की जाती है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्रियों के सौदों का निर्धारण हो सके। प्राधिकारी ने अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत पर विचार किया है। यदि सभी सौदों की लाभकारी प्रतिशतता 80% से अधिक है तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है और यदि सभी सौदों की लाभकारी प्रतिशतता 80% से कम है तो केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए शामिल की जाती हैं। वर्तमान मामले में चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्रिया लाभकारी हैं, अतः सभी घरेलू बिक्रियों पर स्वदेशी यातायात और विपणन शुल्क के लिए समायोजनों की अनुमति प्रदान करने के बाद एसईपीसी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार से परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत

80. एसईपीसी ने जांच की अवधि के लिए निर्धारित फॉर्मेट में निर्यातक प्रश्नावली दाखिल की है। उसने जांच की अवधि के दौरान अपने संगत व्यापारी-निर्यातकों मैसर्स नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कं. लि. ('टास्ले मार्केटिंग') और मैसर्स बासेल ट्रेडिंग इंटरनेशनल एफजैडई ('बीआईटी') के माध्यम से *** डॉलर प्रति मी. टन के औसत इनवायस मूल्य पर भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एसईपीसी द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल निर्यातों में से, टास्ली मार्केटिंग ने *** मी. टन निर्यात किया है और बीआईटी ने *** मी. टन निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों तथा विपणन शुल्क के समायोजनों का दावा किया है, जिनकी जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि टास्ली मार्केटिंग और बीआईटी ने असंगत व्यापारियों, जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, के माध्यम से *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री (रीसेल)

की है। प्राधिकारी ने असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई इस मात्रा के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना शामिल की है। उत्पादक मैसर्स एसईपीएल और सहयोगी व्यापारियों, जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया है और निर्धारित फार्म में तथा निर्धारित तरीके से उत्तर प्रस्तुत किया है, की निर्यात कीमतें निकालने के लिए, प्राधिकारी ने एसईपीएल सहित चैन के लिए वास्तविक निर्यात कीमत और एसईपीसी के असहयोगी व्यापारियों, जिन्होंने निर्धारित फार्म में तथा निर्धारित तरीके से सूचना दाखिल नहीं की है, उनके लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, एसईपीसी के लिए निर्यात कीमत, भारत के लिए सभी निर्यात माध्यमों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है।

81. इसके अलावा, प्राधिकारी ने व्यापारी अर्थात् मैसर्स टास्त्री मार्केटिंग को हुई हानि और बैंक प्रभारों के लिए उपयुक्त समायोजन भी किया गया है। तदनुसार, इस उत्पादक/ निर्यातक के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

सऊदी अरब में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

82. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सऊदी अरब से किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। सऊदी अरब में सभी असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है :

थाइलैंड

क. थाई पॉलिइथाइलीन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), एसईजी परफोरमेंस कैमिकल्स, (निर्यातक), एससीईजी प्लास्टिक्स कंपनी (निर्यातक)

सामान्य मूल्य

83. यह उत्तर थाई पॉलिइथाइलीन कं. लि. ("टीपीई") एससीजी परफोरमेंस कैमिकल्स कं. लि. ("एससीजी परफोरमेंस") और एससीजी प्लास्टिक्स कं. लि. ("एससीजी प्लास्टिक्स") (इसके बाद इसे "एससीजी ग्रुप" के रूप में कहा गया है), जो थाइलैंड से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों का एक ग्रुप है, द्वारा दाखिल किए गए डेटा के आधार पर है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, टीपीई ने एससीजी परफोरमेंस और एससीजी प्लास्टिक्स, दोनों को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है, जिन्होंने आगे असंगत घरेलू ग्राहकों को बिक्री की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टीपीई ने घरेलू बाजार में *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में पाई गई थी, जब भारत को निर्यातों के साथ तुलना की गई थी।
84. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच की है।
85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में अधिकांश इथाइलीन की खपत संगत पक्षकारों से खरीद पर की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिष्ठित प्रकाशन एजेंसियों यथा आईसीआईएस द्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार संगत पक्षकारों से इथाइलीन की खरीद की गई है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कच्ची सामग्रियों की खरीद आर्म्स लेंथ कीमतों पर की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कंपनी के रिकॉर्ड में रखी गई संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर विचार किया है।
86. सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच के आयोजन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने एससीजी परफोरमेंस और एससीजी प्लास्टिक्स की कीमत पर विचार किया है और कारखाना बाह्य व्यय, एसजीए व्यय, और यथा लागू लाभ/ हानियों के संबंध में समायोजन किया है ताकि कीमतों को उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य रखा जा सके। प्राधिकारी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया पर यह नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में *** % बिक्री सौदे लाभकारी पाए गए हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियों पर विचार किया है।
87. एससीजी ग्रुप ने स्वदेशी माल भाड़ा, पैकिंग लागत, ऋण लागत, अन्य व्ययों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने एससीजी ग्रुप द्वारा अनंतिम रूप से दावा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार एससीजी ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टीपीई ने सीधे भारतीय ग्राहकों को और व्यापारियों नामतः मैसर्स सोनाटा जनरल ट्रेडिंग एफजेडसी और जेमिनी कारपोरेशन एन.वी. के माध्यम से *** मी. टन मात्रा का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों व्यापारियों (अर्थात् मैसर्स सोनाटा जनरल ट्रेडिंग एफजेडसी और जेमिनी कारपोरेशन एन.वी.) ने एक अलग प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है और ऊपर सूचीबद्ध कुल निर्यातों में से *** मी. टन निर्यातों को शामिल किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एससीजी ग्रुप द्वारा भारत के लिए की गई कुल *** % बिक्रियां सहयोगी संस्थाओं की हैं। प्राधिकारी ने असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से निर्यातित इन मात्राओं के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना शामिल की है। उत्पादक की निर्यात कीमत की गणना के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक और सहयोगी व्यापारियों, जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया और निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से उत्तर प्रस्तुत किए, उनके लिए वास्तविक निर्यात कीमत तथा ऐसे असहयोगी उत्पादक व्यापारियों जिन्होंने निर्धारित फार्म में निर्धारित तरीके से सूचना दाखिल नहीं की थी, उनके लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, उत्पादन के लिए निर्यात कीमत, भारत को सभी निर्यातों के माध्यमों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है।
89. टीपीई ने स्वदेशी मालभाड़ा, शिपिंग लागत, समुद्री बीमा, पैकिंग लागत, ऋण लागत, बंदरबाह और संगत व्यय तथा अन्य व्ययों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य कीमत निकालने के लिए व्यापारियों के एससीजी लाभों के संबंध में समायोजन भी किए हैं।
90. तदनुसार, टीपीई के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, भारत को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
- पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), जीसी मार्केटिंग सोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

सामान्य मूल्य: पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड (पीटीटीसीजी)

91. जांच की अवधि के दौरान, पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने घरेलू बाजार में केवल संगत पक्षकारों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में, यदि भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाती है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित किया जा सके। प्राधिकारी ने सभी अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत पर विचार किया है। यदि सभी लाभकारी सौदे 80% से अधिक हैं तो घरेलू बिक्रियों के सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और यदि लाभकारी सभी सौदे 80% से कम हैं तो केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियां ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए शामिल की गई हैं। वर्तमान मामले में चूंकि *** % घरेलू बिक्रियां लाभकारी हैं, अतः सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
92. पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लि., थाइलैंड ने स्वदेशी यातायात और पैकिंग व्यय के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। तदनुसार, पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लि., थाइलैंड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत :

93. जांच की अवधि के दौरान, जेएससी पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लि., थाइलैंड ने एक संगत निर्यातक नामतः जीसी मार्केटिंग सोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड के माध्यम से भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि जीसी मार्केटिंग सोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने भारत को सीधे भारतीय खरीदारों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने स्वदेशी यातायात और पैकिंग प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए अनुमति दी है। तदनुसार पीटीटी ग्लोबल कैमिकल पब्लिक कंपनी लि., थाइलैंड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाइलैंड में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाइलैंड से किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। थाइलैंड में सभी असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यूआई

आबू धाबी पॉलिमर्स कं. लि. (बोरो) एल.एल.सी (उत्पादक) और बोरो प्रा. लि. (निर्यातक/ व्यापारी)

सामान्य मूल्य

95. आबू धाबी पॉलिमर्स कं. लि. (बोरो) एल.एल.सी ("एडीपीसीएल") यूआई में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं। एडीपीसीएल आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ("एडीएनओसी") और बोरियलीज के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एडीपीसीएल द्वारा यूआई में घरेलू बिक्रियां की जाती हैं और साथ ही, भारत को उसकी संगत कंपनी बोरो प्रा. लि. के माध्यम से निर्यात भी किए जाते हैं। एडीपीसीएल और बोरो प्रा. लि., दोनों ने अपेक्षित फार्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं, जब भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाती है।
96. जांच के दौरान, यह नोट किया गया था कि एडीपीसीएल कैप्टिव रूप से इथाइलीन का उत्पादन कर रहा है, जो कि एलडीपीई के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। एडीपीसीएल द्वारा जांच की अवधि के दौरान इथाइलीन के निर्माता के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री ईथेन थी। एडीपीसीएल ने जांच की अवधि के दौरान फीडस्टॉक आपूर्ति करार के तहत इसकी संगत पक्षकार एडीएनओसी से ईथेन की खरीद की थी। प्राधिकारी ने एडीपीसीएल को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया कि जिस कीमत पर ईथेन की उनके द्वारा एडीएनओसी से खरीद की गई है, वह आर्म्स लेंथ कीमत पर है। एडीपीसीएल ने ईथेन की आपूर्ति के लिए एडीएनओसी के साथ फीडस्टॉक आपूर्ति करार प्रदान किया है। एडीएनओसी और एडीपीसीएल के बीच कीमत उक्त करार के तहत संचालित होती है। फीडस्टॉक आपूर्ति करार प्रदान करने के अलावा, एडीपीसीएल ने ईथेन की प्रकाशित बाजार कीमत प्रदान की (स्रोत : marketwatch.com)।
97. चूंकि एडीपीसीएल ने यह प्रमाणित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि जिस कीमत पर ईथेन की उनके द्वारा एडीएनओसी से खरीद की गई है, वह आर्म्स लेंथ कीमत पर है, अतः प्राधिकारी ने एडीपीसीएल के दावे के अनुसार, ईथेन की कीमत को अपनाया है। प्राधिकारी ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि यूटिलिटीज की खरीद आर्म्स लेंथ कीमत पर की जाती है। एडीपीसीएल ने यह स्पष्टीकरण देते हुए बैंकअप दस्तावेजों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए बैंकअप दस्तावेजों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया है कि ये यूटिलिटीज आर्म्स लेंथ कीमत पर खरीदी गई हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य परिवर्तन संबंधी लागतों की भी जांच की है। अतः प्राधिकारी ने एडीपीसीएल द्वारा दावा की गई सभी लागतों को अपनाया है, जैसा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संशोधन किया गया है और सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच के लिए बिक्रियों की लागत का निर्धारण किया गया है।
98. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने उपरोक्तानुसार निर्धारित बिक्रियों की लागत का उपयोग करके सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि लाभकारी घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यह नोट किया गया था कि एडीपीसीएल ने *** यू एस डॉलर के कुल इनवायस मूल्य की *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।
99. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या लाभकारी सौदे 80% से अधिक हैं या नहीं। यदि लाभकारी सौदे 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना है और यदि लाभकारी सौदे 80% से कम हैं तो केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियां ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए शामिल की जानी हैं। वर्तमान मामले में, लाभकारी सौदे 80% से अधिक थे और इसीलिए सभी घरेलू बिक्रियों के सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। एडीपीसीएल ने स्वदेशी यातायात, हैंडलिंग प्रभारों, ऋण लागत तथा पैकिंग लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।
100. तदनुसार, एडीपीसीएल के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

101. जांच की अवधि के दौरान, एडीपीसीएल ने भारत को अपनी संगत व्यापारी कंपनी नामतः बोरो प्रा. लि. ("बोरो") के ज़रिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एडीपीसीएल और बोरो ने अपेक्षित फॉर्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, एडीपीसीएल ने बोरो के माध्यम से कुल *** यू.एस. डॉलर के इनवाइस मूल्य का *** मी. टन निर्यात सीधे किया है। एडीपीसीएल के मालभाड़ा, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों, पैकिंग व्ययों तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी द्वारा सभी समायोजनों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यथानिर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

यू.ई. में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यू.ई. में कोई ज्ञात उत्पादक और निर्यातक नहीं है और यह भी नोट किया गया कि आवेदक ने अपनी याचिका में यू.ई. से किसी अन्य उत्पादक और निर्यातक का उल्लेख नहीं किया है। तदनुसार, यू.ई. के लिए अवशिष्ट पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
- (i) कतर पैट्रोकेमिकल कंपनी (क्यू.एपीसीओ) क्यू.पी.जे.एस.सी. और कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजत) क्यू.पी.जे.एस.सी.

सामान्य मूल्य

103. कतर पैट्रोकेमिकल कंपनी (क्यू.एपीसीओ) क्यू.पी.जे.एस.सी., पीयूसी की एक उत्पादक और इसकी संबंधित निर्यातक कतर केमिकल और पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजत) क्यू.पी.जे.एस.सी. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान, असंबद्ध ग्राहकों को घरेलू बिक्रियां की गई हैं। यह नोट किया गया है कि मुंताजत, क्यू.एपीसीओ की बिक्री शाखा होने के कारण, क्यू.एपीसीओ से पीयूसी की अधिप्राप्ति करती है और परिणाम स्वरूप, इसे क्यू.एपीसी और मुंताजत के बीच लागू समझौते के अनुसरण में, घरेलू बाजार सहित सभी बाजारों को बेचती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुंताजत ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी के *** मी. टन की बिक्री की। जब भारत को किए गए निर्यातों से तुलना की गई है तो घरेलू बिक्रियों को पर्याप्त मात्रा में पाया गया।
104. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ के साथ लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि निर्धारित की। क्यू.एपीसीओ द्वारा रिपोर्ट की गई लागत के संबंध में, प्राधिकारी ने एथिलीन, प्राथमिक कच्ची माल की कैप्टिव खपत और क्रयों, तथा अन्य इनपुट और युटिलिटीज का आकलन किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यू.एपीसीओ ने यह स्थापित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि एथिलीन की क्रय कीमत आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुरूप थी, जो प्रतिष्ठित जर्नल्स जैसे आईसीआईएस, डिविट्स, आरगस मीडिया आदि से प्रकाशित कीमतों पर आधारित है। इसके अलावा, एथिलीन के कैप्टिव विनिर्माता के लिए क्रय किया गया फीडस्टॉक भी प्रासांगिक अनुबंध की शर्तों के आधार पर स्थापित किया जाना था जहां कीमतें प्रकाशित बाजार कीमतों से उल्लेखनीय रूप से ऊंची थीं। इसे ध्यान में रखते हुए, स्थानांतरण आमने सामने कीमतों (आर्म्स लैथ प्राइसेस) पर किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर विचार किया है जैसा कि कंपनी के रिकार्डों में अनुरक्षित किया गया है।
105. उत्पादक के स्तर पर कारखाना गत कीमत की संगणना करने के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने इनवॉयस कीमत पर विचार किया है कारखाना-पश्चात व्ययों, व्यापारी के एसजीए व्ययों और मुंताजत की मार्केटिंग शुल्क (लागू अनुबंध के अनुसार) के कारण समायोजन किए हैं। व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि का आयोजन करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में सभी सौदे लाभप्रद पाए गए हैं जिसके द्वारा प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियों पर विचार किया है।
106. मुंताजत और क्यू.एपीसीओ ने रियायतों, अंतर्देशीय माल भाड़े, अंतर्देशीय बीमा, बैंक प्रभारों, क्रेडिट लागत और अन्य समायोजनों के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दायर किए गए सत्यापन दस्तावेजों के आधार पर दावा किए गए सारे समायोजनों को स्वीकार किया है। क्यू.एपीसी और मुंताजत के लिए कारखाना गत स्तर पर सामान्य मूल्य को तदनुसार निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूएपीसीओ ने अपने संबंधित निर्यातक मुंताजत के जरिए भारतीय ग्राहकों को कुल *** मी. टन मात्रा का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की संगणना करने के लिए, प्रस्तुत किए गए सत्यापन दस्तावेजों के आधार पर मुंताजत और क्यूएपीसीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विचार किया है, जिसके द्वारा शिपिंग लागत, समुद्री बीमा, संभाल प्रभारों, बैंक प्रभारों और अन्य व्ययों के कारण निम्नलिखित समायोजनों को अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उत्पादक के स्तर पर कारखाना गत कीमत पर पहुंचने के लिए लागू अनुबंध के अनुसार संबंधित निर्यातक (मुंताजत) की मार्केटिंग शुल्क और एसजीए व्ययों के कारण भी समायोजन किए हैं।
108. तदनुसार, क्यूएपीसीओ और मुंताजत के लिए निर्यात कीमत को भारत को भारांशित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

कतर में असहयोगी निर्यातको के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतर में कोई ज्ञात उत्पादक और निर्यातक नहीं हैं और यह भी नोट किया गया है कि आवेदक ने अपनी याचिका में कतर से किसी अन्य उत्पादक और निर्यातक का उल्लेख नहीं किया है। तदनुसार, कतर के लिए अवशिष्ट पाटन मार्जिन को निर्धारित न करने का निर्णय लिया गया है।

यूएसए

क. इक्विस्टार केमिकल्स एलपी

110. इक्विस्टार केमिकल्स एलपी ("इक्विस्टार") द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर दर्शाता है कि इसने दो निर्यातकों के जरिए माल का निर्यात किया है जिन्होंने जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अलावा, इक्विस्टार ने ऐसे उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भी आपूर्ति की है जिन्होंने भाग नहीं लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी निर्णय करते हैं कि इक्विस्टार को एक पृथक पाटन मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ख. वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन (उत्पादक), वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी (उत्पादक), टेद्रा पाक ग्लोबल सप्लाइ एसए (निर्यातक)

(ii) वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन और वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी

सामान्य मूल्य

111. पीओआई के दौरान, दो कानूनी सत्ताओं अर्थात् वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन और वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी (जिन्हें यहां सामूहिक रूप से "वेस्टलेक" कहा गया है) जो वेस्टलेक केमिकल ग्रुप के भाग हैं, पीयूसी के उत्पादन में शामिल थे। दोनों ऊपर उल्लिखित हस्तियों ने अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
112. दोनों सत्ताओं ने घरेलू बाजार में असंबंधित व्यापारियों/प्रयोक्ताओं को पीयूसी की बिक्री की है और घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में की गई हैं जब इनकी भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाती है।
113. संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति की कीमत के संबंध में वेस्टलेक के विरुद्ध किए गए दावों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेस्टलेक ने मुख्य कच्ची सामग्री एथिलीन अपनी संबंधित कंपनी से अधिप्राप्त की है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकारों से एथिलीन की खरीद प्रतिष्ठित प्रकाशन एजेंसी अर्थात् "दि पैट्रोकेम वायर, आईएचएस मार्किट द्वारा ओपीआईएस का हिस्सा" द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्रियों का क्रय आमने-सामने (आर्म्स लैंथ) कीमतों पर किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सभी अनुरोधों और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर विचार किया है।
114. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्रदान करने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि आयोजित की है। चूंकि लाभ प्राप्त करने वाले सौदे 80% से अधिक थे, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है।
115. वेस्टलेक ने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागतों और अन्य समायोजनों के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। दोनों हस्तियों के लिए

कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य को तदनुसार निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर उल्लिखित हस्तियों अर्थात् वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन ने अपने असंबंधित व्यापारियों (i) टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाय एसए, जिसने अपने संबंधित प्रयोक्ता अर्थात् टेट्रा पाक इंडिया प्राइवेट लिमि. को पीयूसी की बिक्री की है, और (ii) बैम्बरगर ग्रुप, बदले में जिसने पीओआई के दौरान भारतीय ग्राहकों को पीयूसी की बिक्री की थी, के जरिए भारत को *** मी. टन की मात्रा का निर्यात किया है। वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।
117. वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन ने टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाय एसए और टेट्रा पाक इंडिया प्रा. लिमि. सहित अपने प्रभावली उत्तर दायर किए हैं।
118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी हस्तियां भारत को वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन द्वारा की गई कुल बिक्रियों के लगभग ***% के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके द्वारा इसके और इसके व्यापारियों द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए, वेस्टलेक द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने असहयोगी व्यापारियों के जरिए निर्यात की गई इन मात्राओं के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाया है। उत्पादक की निर्यात कीमत को तैयार करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक और सहयोगी व्यापारियों को शामिल करने वाली श्रृंखला, जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया है और निर्धारित प्रपत्र और तरीके में उत्तर प्रस्तुत किया है तथा उत्पादक के असहयोगी व्यापारियों, जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना प्रस्तुत नहीं की है, के लिए वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, उत्पादक के लिए निर्यात कीमत को भारत को सभी निर्यात चैनलों की भारांशित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
119. प्राधिकारी ने, उत्पादक, वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन के सत्यापित वास्तविक आंकड़ों पर निर्यात कीमत को परिकलित करते समय विचार किया है। वेस्टलेक ने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, शिपिंग लागत और अन्य व्ययों के कारण समायोजनों का दावा किया है और इसे अनुमति दी गई है।
120. तदनुसार, प्राधिकारी ने दोनों संबंधित उत्पादकों अर्थात् वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन और वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी के लिए भारांशित औसत पाटन मार्जिन को निर्धारित किया है और पाटन मार्जिन सारणी में इसका उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में यूएसए से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। यूएसए में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

छ.3. पाटित कीमत का निर्धारण

122. यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच में बहुत से उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों के समूह का गठन करते हैं। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए और इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन की स्थापना करने के लिए एक एकल इकाई के रूप में संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों पर विचार करने का प्राधिकारी का लगातार अभ्यास रहा है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि पृथक पाटन मार्जिन का परिकलन करना पाटन रोधी उपायों की प्रवंचना को प्रोत्साहित कर सकता है इस प्रकार न्यूनतम पृथक पाटन मार्जिन के साथ कंपनी के जरिए भारत को अपने निर्यात को चैनल करने के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सक्षम करने के द्वारा उन्हें अप्रभावी बना दिया।
123. मै. सदारा और मै. राबीघ द्वारा दायर उत्तरों की जांच से यह नोटिस किया गया है कि दोनों कंपनियां इस रूप से संबंधित हैं कि सदारा में प्रमुख शेयर धारिता सऊदी आरामको की पूर्णतः स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी द्वारा धारित की गई है और सऊदी आरामको भी पैट्रो राबीघ से संबंधित है। यह भी नोट किया गया है कि अधिकतर निर्यात भारत को एरोमेटिक केमिकल्स कं. (एसीसी) के जरिए किए गए हैं जो सऊदी आरामको की पूर्णतः

स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी है। उपर्युक्त के अनुसरण में, संबंधित उत्पादक और निर्यातक अर्थात् राबीघ और सदारा को एक एकल इकाई के रूप में माना गया है और एक एकल पाटन मार्जिन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जिसका परिकलन सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारांशित औसत के आधार पर किया गया था।

124. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

संबद्ध देश	उत्पादक का नाम	निवल निर्यात कीमत (एनईपी) कारखाना गत	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/ मी. टन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन के बिना	भारांशित औसत डीएम %	दायरा
कतर	कतर पेट्रो केमिकल कंपनी (क्यू एपीसीओ) क्यू. पी. जे. एस. सी	***	***	***	***	***	***	नकारात्मक
यूएसए	वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन	***	***	***	***	***	***	20-30 %
	वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी	***	***	***	***	***	***	
	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	40-50
थाईलैंड	थाईपाली पॉलीथीन कंपनी लिमि.	***	***	***	***	***	***	20-30%
	पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड (पी टी टी सी जी)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	40-50%
सऊदी अरेबिया	राबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	***	***	0-10%
	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	***	***	0-10%
	सऊदी एथिलीन एंड पॉलीथीन कंपनी (एसईपीसी)	***	***	***	***	***	***	0-10%

	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	0-10%
यू.एई	आबूधाबी पॉलीमर्स कं. लि. (बोरौज) एलएलसी (एडीपीसीएल)	***	***	***	***	***	***	नकारात्मक
सिंगापुर	सभी उत्पादक	***	***	***	***	***	***	30-40%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

125. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. कतर से आयातों को अन्य संबद्ध देशों से आयातों के साथ संचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कतर से कोई पाटन नहीं है, कतर से आयात विभिन्न आयातों से प्रभावित हैं और प्रतिस्पर्धा की विभिन्न स्थितियों का सामना करते हैं, आवेदक आटोक्लेव ग्रेड का उत्पादन नहीं करते हैं और ऐसी वस्तुओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके अलावा, कतर से आयातों की कीमत उच्च है और कीमत कटौती नगण्य है, कतर से आयातों की मात्रा में कुल और सापेक्ष रूप से गिरावट आई है।
- ख. वेस्टलेक से आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रही हैं।
- ग. बोरौज के निर्यात क्षति नहीं कर सकते क्योंकि भारत में कुल आयातों की तुलना में वे नगण्य हैं।
- घ. याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने के अभिप्राय से देशवार बाजार हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया है।
- ङ. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। एक बहु-उत्पाद संयंत्र में, उत्पादन की प्रवृत्तियाँ क्षमता उपयोग के स्थान पर संबद्ध आयातों के मात्रा प्रभाव का आकलन करने के सर्वोत्तम पैरामीटर है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- च. घरेलू उद्योग को क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि कुल और सापेक्ष रूप में आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और आवेदक के हिस्से में सुधार हुआ है।
- छ. लाभ और कीमत कटौती के बीच कोई सह संबंध नहीं है क्योंकि लाभ स्वतंत्र रूप से कीमत कटौती से स्थानांतरित हो गए हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट अन्य कारणों से है क्योंकि यह लागत और आयात कीमतों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ी है।
- ज. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बावजूद, जांच की अवधि में पहुंच कीमत, क्षमता, उत्पादन, उत्पादकता, बिक्री मात्रा और मूल्य, कर्मचारियों की संख्या, मजदूरियों, अचल संपत्तियों, कर पूर्व लाभ और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है और आवेदन ने भली भांति काम किया है और अब तक का सबसे अधिक पॉलीमर उत्पादन प्राप्त किया है।
- झ. आयातों में गिरावट आई है जबकि याचिकाकर्ता की बिक्रियों में वृद्धि आई है।
- ञ. मात्रा, आयातों के मूल्य तथा घरेलू उद्योग की लाभ प्रदत्ता के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- ट. थार्डलैंड-एच बीम्स (डब्ल्यूटी/डीएस122/एबी/आर) में, अपीलीय निकाय ने नोट किया है कि क्षति की जांच करते समय पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध सभी कारकों का प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मामले में पैनल ने नोट किया है कि जब बहुत से कारकों में सकारात्मक गतिविधि हुई है, क्षति संबंधी निष्कर्ष में जांचकर्ता प्राधिकारियों से एक प्रभावी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

- ठ. घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि, जिस कारण मूल्य ह्रास और ब्याज लागतों तथा प्रारंभिक संचालन निर्धारित लागतों में वृद्धि हुई है, के कारण क्षति का सामना किया है।
- ड. घरेलू उद्योग का पैट्रोकेमिकल खंड राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण और आपूर्ति चेन में बाधा आने के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में प्रभावित हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकडाउन के कारण हुई क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं थी, जांच की अवधि को दो भागों में, लॉकडाउन की अवधि और अवधि जिसके दौरान लॉकडाउन नहीं लगा था, बांटा जाना चाहिए।
- ढ. संयुक्त राज्य अमेरिका में जापान से कुछ विशेष हॉट रोलड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों, के संबंध में अपीलीय निकाय ने धारित किया है कि पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग की हुई क्षति को पाटन के कारण हुई क्षति से पृथक रखा जाना चाहिए।
- ण. आवेदक ने एथिलीन का उत्पादन करने के लिए नेपथा का प्रयोग किया है जिसकी लागत इथेन से एथिलीन का उत्पादन करने की लागत से अधिक है। उत्पाद एक पूंजी गहन उत्पाद है। 4400 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय जांच में, महानिदेशक ने धारित किया है कि उच्च मूल्यह्रास और वित्तीय प्रभार हानियों के लिए उत्तरदायी थे और परिणाम स्वरूप कार्य-कारण संबंध विश्लेषण विफल हो गया।
- त. मूल्यह्रास और परिशोधन व्ययों में वृद्धि असामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती है क्योंकि यह स्थापित क्षमता में वृद्धि से अधिक है। औसत नियोजित पूंजी में वृद्धि स्थापित क्षमता में वृद्धि से बहुत अधिक है।
- थ. कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि क्षति अस्थिर वैश्विक वृहत-आर्थिक वातावरण के कारण है जैसा कि आवेदक द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है। व्यापार बाधाओं, अतिरिक्त क्षमताओं, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और विनियामक दबावों ने आवेदक के निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाला था।
- द. एथिलीन की कीमत में वृद्धि ने हानियों में वृद्धि की और न कि आयातों पर।
- ध. याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार में कमजोर मांग और उत्पादन के निर्यातों को विपथन के कारण क्षति का सामना किया है जिसके परिणाम निम्न मार्जिन हुआ।
- न. याचिकाकर्ता ने इसके द्वारा आयातित उत्पाद के परिणाम स्वरूप क्षति का सामना किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के कारण पैदा हुई क्षति पर विचार नहीं किया जा सकता और इसे संबद्ध आयातों की मात्रा से हटा दिया जाना चाहिए।
- प. क्षति का निर्धारण करने के लिए माल सूची को अलग से नहीं लिया जा सकता है। यह क्षमता में वृद्धि और घरेलू उद्योग की घरेलू तथा निर्यात बिक्रियों में वृद्धि के कारण हो सकता है व नकद लाभों में गिरावट तेल कीमतों में गिरावट और 2019-20 की अंतिम तिमाही में कोविड-19 के प्रभाव के कारण है।
- फ. याचिकाकर्ता और इसके ग्राहकों के प्रचालनों पर कोविड-19 प्रतिबंधों के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
- ब. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि इसे अलाभकारी निर्यात के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्राधिकारी को निर्यात बाध्यताओं के संबंध में जानकारी की मांग करनी चाहिए जो घरेलू उद्योग ने किसी अग्रिम लाइसेंस के तहत प्राप्त की या क्या ईपीसीजी के तहत पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया है।
- भ. संबद्ध वस्तुओं के आयात अपरिहार्य हैं क्योंकि भारत में मांग- आपूर्ति अंतर है और मांग बढ़ रही है। आवेदक ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है और इसके संयंत्र इष्टतम स्तर पर काम कर रहे हैं, अतः उत्पादन को बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है। आवेदक ने उत्पाद का निर्यात किया है और ऐसी मांग को पूरा करने के लिए सीमित मालसूची अनुरक्षित की है। सीमित मालसूची अनुरक्षण के कारण, इसे अपने संयंत्र शटडाउन के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात करना पड़ा।
- म. पॉलीमर वैल्यू श्रृंखला के भीतर, आरआईएल ने बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए एथिलीन फीडस्टॉक का प्रयोग किया है। एक लाभोन्मुखी संगठन होने के कारण, आरआईएल स्वाभाविक रूप से अधिक लाभप्रद उत्पादों के प्रति संसाधनों का आबंटन करेगा। इसलिए, आरआईएल के निष्पादन की सही स्थिति को प्राप्त

करने के लिए, संपूर्ण पॉलीमर मूल्य श्रृंखला के समग्र निष्पादन का आकलन करना महत्वपूर्ण है। ऐसी जांच दर्शाती है कि पॉलिएस्टर खंड के औसत 5 वर्षीय मार्जिन में सुधार हुआ है।

- य. 22% आय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसे 1976-77 के कीमत नियंत्रण आदेश के प्रति दिशा-निर्देश के रूप में आरंभ किया गया था और उसके बाद से व्याज की लागत में कमी आई है। एक निश्चित और पूर्व-निर्धारित फार्मूले को उचित नहीं माना जा सकता। ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, के मामले में सेस्टेट ने अवलोकन किया कि नियोजित पूंजी पर 22% की आय प्रदान करने का अभ्यास कम कीमत पर बिक्री की एक आडंबरपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। युरोपियन फर्टीलाइजर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईएफएमए) बनाम काउंसिल मामले में, न्यायालय ने निर्णय दिया है कि लाभ मार्जिन जिसे काउंसिल लक्ष्य कीमत का निर्धारण करने में प्रयोग करेगा जो क्षति को समाप्त करेगा, लाभ मार्जिन तक सीमित रहना चाहिए जिसकी सामुदायिक उद्योग सामान्य प्रतिस्पर्धा स्थितियों के तहत पाटित आयातों की अनुपस्थिति में उचित रूप से आशा कर सकते हैं।
- कक. फार्मेट एल संकेत करता है कि क्षति रहित कीमत में विज्ञापन, अन्य व्यवस्थापक उपरिव्यय, अन्य बिक्री और वितरण उपरिव्यय, बिक्रियों पर कमीशन, छूट/रियायतें, बहिर्गामी माल भाड़े और निर्यात संबंधित व्ययों को शामिल किया गया है जो कि सही नहीं है।
- खख. क्षति रहित कीमत की संगणना में अनुबंध III की उपेक्षा करने के दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आचार संहिता के अनुसार, प्राधिकारी अनुबंध III में निर्धारित किए गए सिद्धांतों से बंधे हैं जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम आंध्रा पेट्रो केमिकल्स लिमि. में निर्णय दिया गया है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

126. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. क्षति का संचयी विश्लेषण सही है क्योंकि संचयन के लिए शर्तें पूरी होती हैं।
- ख. कतर के लिए क्षति का संचयी आकलन उचित है, क्योंकि कतर से आयातों की कीमतें अन्य संबद्ध देशों से कीमतों के अनुरूप चल रही हैं।
- ग. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संयंत्रों में से एक के बंद होने के कारण 2018-19 में लाभप्रदता निम्न थी। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट देखी गई है चाहे इसमें ऐसे शटडाउन के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों में, उत्पादन और खपत के संबंध में, पहले से बड़ी हुई घरेलू क्षमताओं के कारण 2018-19 में गिरावट आई और तत्पश्चात जांच की अवधि में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- ङ. क्षमताओं में वृद्धि होने के बाद भी, आयातों की मात्रा में 2018-19 की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- च. क्षति अवधि में मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।
- छ. कच्चे माल, एथिलीन की कीमत में वृद्धि के बावजूद क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है।
- ज. घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है क्योंकि क्षति अवधि में एथिलीन की लागत की तुलना में आयात कीमत के वृद्धि (मार्क-अप) में कमी आई है।
- झ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट आई है।
- ञ. हालांकि, घरेलू उद्योग निम्न कीमतों पर बिक्री कर रहा है कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षति अवधि में कीमत कटौती में कमी आई है तथापि, कीमत कटौती केवल जांच की अवधि के दौरान है जैसाकि प्राधिकारी के विभिन्न जांच परिणामों से प्रमाणित है। अन्य क्षेत्राधिकारों के लिए जैसे आस्ट्रेलिया और युरोपिय संघ ने भी केवल जांच की अवधि के लिए कीमत कटौती का निर्धारण किया है।
- ठ. कीमत कटौती में कमी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

- ड. इस दावे के प्रत्युत्तर में कि वेस्टलेक से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं, यह अनुरोध किया गया कि संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती को समग्र रूप में देखा गया है। चाहे कीमत कटौती नकारात्मक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वेस्टलेक के विरुद्ध शुल्कों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर निर्भर करते हैं।
- ढ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी और उनमें ह्रास करते हैं।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत आवेदक ने याचिका में कीमत में कमी और ह्रास रोजगार, स्टॉक और निवेश पर आय के मानदंडों का विश्लेषण किया है। कीमत, लागतें और निवेश क्षति संबंधी मानदंड नहीं है और इन्हें विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
- त. देश में प्रचुर मांग होने के बावजूद, बिक्रियों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप नहीं हैं।
- थ. पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- द. घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों के अपने महत्वपूर्ण बाजार हिस्से को गवां दिया है। घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में इसके द्वारा धारित मांग की तुलना में अधिक ऊंची मांग को पूरा करने की क्षमता थी।
- ध. इस दावे के संबंध में कि देशवार बाजार हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि संचयी विश्लेषण की जरूरत है, देशवार बाजार हिस्सा प्रासंगिक नहीं है।
- न. भारत में सस्ते आयातों की उपलब्धता के कारण, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश था।
- प. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आवेदक ने ईपीसीजी लाइसेंस या अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात नहीं किया था और वे प्राधिकारी को इस संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
- फ. हालांकि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, इसकी औसत माल सूचियों में वृद्धि हुई है।
- ब. घरेलू उद्योग ने निवेश पर 22% आय प्राप्त करने के लिए लक्षित लाभों की तुलना में काफी कम लाभ अर्जित किया है।
- भ. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभों और निवेश पर आय में गिरावट आई है।
- म. इस दावे के संबंध में कि नियोजित औसत पूंजी में वृद्धि और मूल्यह्रास व्यय स्थापित क्षमता में वृद्धि की तुलना में अधिक हैं, यह अनुरोध किया गया कि एक पूंजी गहन उत्पाद में, क्षमता का विस्तार करने के लिए उल्लेखनीय निवेश की जरूरत है और यह जरूरी नहीं है कि क्षमता में वृद्धि भी नियोजित पूंजी के समान हो। मूल्य ह्रास में वृद्धि निवल अचल संपत्तियों के साथ जुड़ी है और न कि क्षमता में वृद्धि से।
- य. कच्ची सामग्री की कीमत की तुलना में पहुंच कीमत के मार्क-अप में कमी हुई है जो दर्शाती है कि क्षति उच्च वित्त और मूल्य ह्रास लागतों के कारण नहीं है। ईबीआईडीटीए और घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत पर अर्जित वृद्धि में क्षति अवधि में कमी आई है।
- कक. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कच्चे माल की लागत की तुलना में आयात कीमत में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ गई है।
- खख. इस दावे के संबंध में कि एथिलीन में गिरावट के बाद भी, प्रति युनिट पीबीआईटी में गिरावट आई है, यह अनुरोध किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों ने आधार वर्ष में लाभों की तुलना जांच की अवधि से की है जबकि एथिलीन की कीमतों की तुलना जांच की अवधि और पिछले वर्ष के बीच की गई है।
- गग. किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, और घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण हुई है।
- घघ. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पर आश्रय का संबंध है कि क्षति अस्थिर वैश्विक वृहत आर्थिक वातावरण के कारण है, यह निवेदन किया गया कि वार्षिक रिपोर्ट में विवरण समग्र रूप में पेट्रोकेमिकल से संदर्भित है और न कि संबद्ध वस्तुओं से।

- डड. आवेदक को जांच की अवधि को दो भागों में बांटने पर कोई आपत्ति नहीं है जो कि लॉकडाउन की अवधि और अवधि जिसके दौरान लॉकडाउन नहीं था, है। आवेदक ने 2019-20 और अप्रैल-जून, 2020 के लिए डाटा प्रस्तुत किया है। आंकड़ों से यह साक्ष्य है कि अप्रैल, 2020- जून 2020 में, समग्र और सापेक्ष रूप में आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, कीमत कटौती में गिरावट आई है, आवेदक के मात्रा पैरामीटरों में सुधार हुआ है और इसने निवेश पर उचित आय अर्जित की है। अतः, घरेलू उद्योग को लॉकडाउन के कारण क्षति का सामना नहीं करना पड़ा था।
- चच. जहां तक दावे का संबंध है कि कमजोर मांग और निर्यातों के विपथन के कारण आवेदक को क्षति का सामना करना पड़ा है, यह अनुरोध किया जाता कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हुई है और आवेदक के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। विपरीत बाजार परिस्थितियों के कारण आवेदक को निर्यात के लिए मजबूर होना पड़ा।
- छछ. आवेदक या ग्राहकों पर कोविड-19 प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि आवेदक ने इष्टतम क्षमता पर अपने संयंत्र का प्रचालन किया है और आयातों की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- जज. घरेलू उद्योग को आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे मात्रा में नगण्य हैं, कतर से आयातों की कीमत की तुलना में अधिक कीमत पर किए गए हैं और क्षति कारक कीमतों पर नहीं है।
- झझ. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को किए गए आयातों के कारण हुई क्षति पर विचार नहीं किया जा सकता और ऐसी मात्रा को हटा दिया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक को ऐसी दृष्टिकोण पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की औसत कीमत से अधिक है और इसका बहिष्करण इसके द्वारा झेली जा रही क्षति को कम करेगा।
- ञञ. घरेलू उद्योग के संयंत्रों में से केवल एक को दो महीनों के लिए बंद किया गया था। चाहे शटडाउन के प्रभाव का बहिष्करण भी किया जाए है तो भी क्षति की प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं होगा।
- टट. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आरआईएल द्वारा आपूर्ति को अनियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक अधिकतम क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और बाजार मांग के 64% की आपूर्ति कर रहा है। इसकी वृहत माल सूचियां हैं और यदि और अधिक आदेश होते तो आवेदक उन्हें पूरा कर देता। आवेदक को मजबूरी में निर्यात करना पड़ा क्योंकि इसे घरेलू बाजार में आदेश प्राप्त नहीं हो रहे थे।
- ठठ. इस दावे के संबंध में कि नेप्था का प्रयोग करते हुए एथिलीन की उच्च लागत के कारण क्षति हुई थी, यह अनुरोध किया गया कि आवेदक पूरी क्षति अवधि के दौरान नेप्था का प्रयोग करते हुए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है किंतु पहले में क्षति का सामना नहीं किया गया। युरोपीय संघ- बायोडीजल (अर्जेटीना) के मामले में, अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए अंतर्निहित कारकों के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण आयोजित करने की जरूरत नहीं है यह और क्षति अवधि में अपरिवर्तित बना रहा है।
- डड. इस तर्क के संबंध में कि बोरौज के कारण क्षति नहीं उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि इसके द्वारा किए गए निर्यात नगण्य हैं, यह अनुरोध किया गया कि क्षति निर्धारण कुल रूप में संबद्ध देशों के लिए किया गया है और न की निर्यातकवार। आयातों की नगण्य मात्रा वास्तविक निर्यात कीमत को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती और बहुत से कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकती है। इस पर पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता।
- ढढ. इस दावे के संबंध में कि संपूर्ण पॉलीमर श्रृंखला के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया गया कि ऐसा विश्लेषण कानूनी उपबंधों के विरुद्ध है। पाटित आयातों के विश्लेषण को समान वस्तु के संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एथिलीन को किसी अन्य उत्पाद को स्थानांतरित नहीं किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एलडीपीई के लिए अपने क्षमता उपयोग में वृद्धि की है।
- णण. इस दावे के संबंध में, कि क्षति का दावा पुराने आंकड़ों पर किया गया है, यह अनुरोध किया कि आवेदक ने अद्यतन आंकड़ों के आधार पर क्षति का प्रदर्शन करते हुए जांच शुरूआत अनुरोध दायर किया है।

- तत. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, जांच पश्चात अवधि के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि आवेदक ने स्थापित किया है कि झेली गई क्षति हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध कारकों में से किसी के कारण नहीं है।
- थथ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आवेदक ने अनुबंध- III के सिद्धांतों की उपेक्षा करने का अनुरोध नहीं किया है। आवेदक ने कैप्टिव इनपुट, एथिलीन के निवेश पर आय के संबंध में विचार करने के लिए अनुरोध किया है जिसे लागत पर दर्ज किया गया है। आवेदक ने अपने क्रेकर संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण राशि का निवेश किया है और इसे एलडीपीई के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक क्रेकर पर प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। कई उदाहरणों पर प्राधिकारी ने स्वीकार किया है कि वे लागत पर मूल्यवान कैप्टिव इनपुट के लिए वापसी की अनुमति देते हैं।
- दद. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, विज्ञापन व्ययों और अन्य प्रशासनिक उपरिव्ययों को क्षति रहित कीमत के निर्धारण से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कारखानागत पश्चात व्यय नहीं हैं और ऐसा बहिष्करण कानून में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- धध. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, अधिकरण ने 22% आय की अनुमति देने पर लगातार विचार किया है जब तक कि पृथक आय की आवश्यकता दर्शायी नहीं जाती। ब्रिज स्टोन मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने रिकार्ड पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उद्योग की वैश्विक आय निम्न थी। यदि घरेलू उद्योग की पिछली आय पर विचार किया जाता है तो यह 22% से अधिक होगा। नन. इस तर्क के संबंध में कि 15 महीनों की जांच की अवधि में से कुछ महीने भारत में लॉकडाउन द्वारा प्रभावित थे, यह अनुरोध किया गया कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि जांच की अवधि को किसी अन्य कारक से अप्रभावित होना चाहिए। केवल इस बात की जरूरत है कि किसी अन्य कारक के क्षति कारक प्रभाव को पृथक रखा जाना चाहिए।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

127. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।
128. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) से कम है या जहां व्यक्ति देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।
129. कतर से आयातों के असंचयन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, कतर से आयातों की मात्रा कुल आयातों के 3% से अधिक है, कतर से (अर्थात् क्यूएपीसीओ) किसी अन्य ज्ञात उत्पादक और निर्यातक से संबद्ध वस्तुओं के आयात अपाटित है और चूंकि कतर से कोई अन्य ज्ञात उत्पादक और निर्यातक नहीं है। इसलिए कतर से आयातों की संपूर्ण मात्रा को क्षति विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।
130. इसी प्रकार, यह नोट किया गया है कि यूएई से निर्यात अपाटित हैं और चूंकि, यूएई से कोई अन्य ज्ञात उत्पादक और निर्यातक नहीं है, यूएई से आयातों की मात्रा को क्षति विश्लेषण से बहिष्कृत किया गया है।
131. तदनुसार, यहां संबद्ध देशों में यहां यूएसए, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर और थाइलैंड शामिल होंगे।
132. अन्य संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के बाकी आयातों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. यूएई और कतर के अलावा संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है। इन संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. इन संबद्ध देशों में प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभावों के संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं के साथ न केवल सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं से भी करते हैं।
133. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर कतर और यूएई के अलावा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का आकलन करना उचित समझते हैं।
134. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिकूल तर्कों को ध्यान में रखा है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।
135. पृथक उत्पादकों/निर्यातकों के तर्कों के संबंध में कि, ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक बार संचयन की शर्तों के पूरा हो जाने के बाद, आयातों के कथित क्षति कारक प्रभाव की समग्र रूप में संबद्ध देशों के लिए जांच किए जाने की जरूरत है और न कि पृथक देशों या पृथक निर्यातकों के लिए।
136. इस दावे के संबंध में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिस्टर खंड की जांच एक सुधरे हुए निष्पादन को दर्शाएगी, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) के प्रावधानों के अनुसार नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पैरामीटरों पर आयातों के प्रभाव का केवल समान वस्तु के संबंध में आकलन किया जाएगा:

“(vi) पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन की तुलना में किया जाएगा जब उपलब्ध आंकड़े उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादक की बिक्री और लाभ के रूप में ऐसे मानदंडों के आधार पर उस उत्पादन की अलग-अलग पहचान की अनुमति देते हों। यदि उस उत्पादन का इस प्रकार की अलग-अलग पहचान संभव नहीं हो तब पाटित आयातों के प्रभावों का आकलन निकटतम समूह का उत्पादन अथवा उत्पादों की श्रेणी, जिसमें वह समान वस्तु शामिल होती हो, जिसके लिए आवश्यक सूचना दी जा सकती है, की जांच द्वारा की जाएगी।”

इसलिए, पाटित आयातों के प्रभाव का समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के संबंध में विश्लेषण किए जाने की जरूरत है जहां पृथक आंकड़े ऐसी जांच की अनुमति देते हैं। केवल ऐसे मामलों में जहां, संग्रहित आंकड़ों के कारण ऐसी जांच संभव नहीं है, प्राधिकारी द्वारा उत्पादन के सबसे समीप समूह या रेंज की जांच करने की जरूरत है जिसमें घरेलू समान उत्पाद शामिल हैं। वर्तमान मामले में समान वस्तु के उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग के लिए पृथक आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। चूंकि, ऐसे पृथक आंकड़े रिकार्ड पर उपलब्ध हैं और इनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है, यह ऊपर पैरा (VII) के उपबंधों के अनुसरण में क्षति विश्लेषण के आधार पर निर्माण करेगा। तदनुसार, समग्र रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रूप में पॉलीमर खंड का निष्पादन प्रासंगिक नहीं है।

137. चूंकि जांच की अवधि 12 महीने नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़े पूर्ववर्ती वर्षों के साथ सीधे-सीधे तुलनीय नहीं हैं, वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है और उनका इस अंतिम जांच परिणाम में उल्लेख किया गया है।

ज.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

- क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन
138. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पोओआई (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	225	224	224
संबद्ध आयात	मी. टन	1,15,583	1,20,485	92,659	1,44,248	1,15,398
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	80	100	100
अन्य आयात	मी. टन	1,79,197	2,20,453	1,43,835	1,66,950	1,33,560
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	80	75	75
मांग	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	139	141	141

139. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई थी और यह जांच की अवधि के दौरान अधिकतम थी। क्षति अवधि में मांग में 41% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

140. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, चाहे वह कुल रूप में हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने डीजीआई एंड एस से अधिप्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पोओआई (ए)
आयात मात्रा						
संबद्ध देश	मी. टन	1,15,583	1,20,485	92,659	1,44,248	1,15,398
सऊदी अरब	मी. टन	90,408	83,381	40,134	66,980	53,584
सिंगापुर	मी. टन	980	1,899	18,686	21,584	17,267
थाईलैंड	मी. टन	7,716	20,447	12,996	19,944	15,955
यूएसए	मी. टन	16,479	14,758	20,842	35,741	28,592
अन्य देश	मी. टन	1,79,197	2,20,453	1,43,835	1,66,950	1,33,560
कुल आयात	मी. टन	2,94,780	3,40,938	2,36,494	3,11,198	2,48,958
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात						
कुल आयात	%	39%	35%	39%	46%	46%
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	29	33	33
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	58	71	71

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध आयातों में 2017-18 में वृद्धि हुई थी लेकिन उसके बाद 2018-19 में इसमें गिरावट आई क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई थी।
- ख. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ग. खपत के संबंध में आयातों ने 2018-19 में गिरावट दर्शायी, किन्तु इसमें जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

142. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत हास, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है।

क) कीमत कटौती

143. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन हेतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से भारांशित औसत आयात कीमत के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की कीमत कटौती को निम्नानुसार तैयार किया गया है:

कीमत कटौती	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
सऊदी अरब					
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	86,969	88,430	84,647,	76,116
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	97	88
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	55	41
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%	5-15%	5-15%	5-15%
सिंगापुर					
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	81,903	77,742	78,756	72,295
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	96	88
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	71	50
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	25-35%	20-30%	15-25%	10-20%

थाइलैंड					
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	90,349	91,482	92,258	78,596
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	102	87
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	3	31
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	5-15%	0-10%	0-10%
यूएसए					
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	69,081	80,346	84,090	72,691
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	122	105
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	26	29
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	45-55%	15-25%	5-15%	10-20%
संबद्ध देश					
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	84,601	87,789	84,401	75,039
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	49	41
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%	5-15%	5-15%	5-15%

144. यह देखा गया है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमत न्यूनीकरण/हास

145. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में न्यूनीकरण या हास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में हास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो सामान्य अवधि में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की नीचे सारणी में जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	137	111
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	81
पहुंच कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	100	89

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2018-19 तक वृद्धि हुई परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में तत्पश्चात् जांच अवधि में गिरावट आई। कच्ची सामग्री की लागत में भी यही रुझान रहा। विशेष रूप से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में ***प्रतिशत तक वृद्धि हुई, इसके बावजूद आयातों की पहुंच कीमत में 11 प्रतिशत की गिरावट आई। चूंकि आयात की कीमत कम थी, इसलिए घरेलू उद्योग ने भी अपनी कीमतें घटा दीं। अतः प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों ने ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

ग) कीमतों की वृद्धि

147. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 2016-17 से जांच अवधि तक ***प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाला एक कारक कच्ची सामग्री अर्थात् एथीलीन की कीमत में वृद्धि था, जो संबद्ध वस्तु के लिए फीडस्टॉक है। ऐसी कच्ची सामग्री की कीमत में इसी अवधि के दौरान 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी बाजार में आयातों से प्रतिस्पर्धा के लिए गिरावट आई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

148. नियमावली के अनुबंध II में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी कारणों जिनमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल हैं, का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर नीचे विचार विमर्श किया गया है।

149. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी पैरामीटरों की उद्देश्यपरक जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

150. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग को नीचे सारणी में दिया गया है:

विवरण	इकाईयां	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (क)
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	311	311	311
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	89	97	97
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	275	302	302
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	225	224	224
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	172	201	201

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- ख. 2018-19 तक घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई किंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।
- ग. क्षमता उपयोग में 2018-19 तक गिरावट आई किंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। 2018-19 में क्षमता उपयोग में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा झेले गए संयंत्र शटडाउन के कारण हो सकती है। तथापि, इसके बावजूद, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी अवधि के दौरान उच्च बना रहा है।
- घ. क्षति अवधि के दौरान जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि की गई है। तथापि, यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य के कारण है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों ने घरेलू बाजार की स्थिति को बाधित किया है और घरेलू उद्योग को घरेलू कीमत से कम कीमत पर भी निर्यात करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप उच्च क्षमता उपयोग हुआ है, लेकिन इसने उद्योग की लाभप्रदता को कम कर दिया है।

ख) बाजार हिस्सा

152. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	162	159	159
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	58	71	71
अन्य आयात	%	36%	38%	21%	19%	19%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	58	53	53
जोड़	%	100%	100%	100%	100%	100%

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 तक गिरावट आई और जांच की अवधि में, तत्पश्चात वृद्धि हुई। कुल मिलाकर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।

154. इस दावे के संबंध में कि प्रत्येक संबद्ध देश के पृथक बाजार हिस्से को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का संचयी विश्लेषण करना उचित समझा। तदनुसार, प्रत्येक संबद्ध देश का पृथक-पृथक बाजार हिस्सा क्षति की जांच के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक नहीं है।

ग) माल सूचियां

155. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
आरंभिक	मी. टन	***	***	***	***
अंतः	मी. टन	***	***	***	***
औसत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	534	569	543

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची ने क्षति अवधि में वृद्धि की है। स्टॉक के जमा होने से घरेलू उद्योग की परिचालन वित्तीय दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

घ) नियोजित पूंजी पर लाभप्रदता, नकद लाभ और आय

157. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभप्रदता, नकद लाभों और निवेश पर आय नीचे सारणी दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	10	28	28
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	23	62	62
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	38	75	75
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	24	5	7	7

158. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में क्षति अवधि के दौरान 72 प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि में गिरावट आई है। तथापि, इस गिरावट के लिए संयंत्र का बंद होना आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है।
- ग. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी क्षति अवधि में गिरावट आई है।
- घ. नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि में भारी गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ब्याज, लाभ और करों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

159. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि घरेलू उद्योग को क्षमता विस्तार और मूल्यहास तथा ब्याज लागत में वृद्धि के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने नीचे तालिका में मूल्यहास और ब्याज लागत के प्रभाव को अलग करने के लिए घरेलू उद्योग की ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन ("ईबीआईटीडीए") प्रति इकाई आय का विश्लेषण किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई (वार्षिकीकृत)
ईबीआईटीडीए	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	36	54

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू के प्रति इकाई ईबीआईटीडीए में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति उच्चतर मूल्यहास लागत या व्याज लागत के कारण क्षमता विस्तार से नहीं हुई है।

ड) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

161. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे सारणी में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	130	252	201
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	147	127	127
प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन/ दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	275	302	302

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या, मजदूरियों और दैनिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

163. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
क्षमता	%	-	70	82	0
उत्पादन	%	-	59	73	9.49
घरेलू बिक्रियां	%	-	17	92	-0.08
लाभ/ (हानि) प्रति युनिट	%	-	-30	-86	175.19
नकद लाभ	%	-	-14	-56	97.05
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-76	-80	49.33

164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी 2017-18 और 2018-19 में सकारात्मक वृद्धि हुई है परंतु जांच अवधि में गिरावट आई है। दूसरी ओर, प्रति इकाई लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में 2017-18 और

2018-19 में नकारात्मक वृद्धि हुई है तथापि, लाभप्रदता मापदंडों ने जांच अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। तथापि, वे अब भी क्षति अवधि की शुरुआत के स्तर से काफी कम बने हुए हैं।

छ) पाटन मार्जिन की मात्रा

165. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में आयात किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ज) पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में प्रति युनिट लाभ, नकद लाभों और घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। फिर भी, चूंकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है, जिसके बड़ी संख्या में कारोबार हैं, इसलिए यह नहीं सोचा जा सकता कि और अधिक पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता में बाधा आ गई है।

झ) कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

167. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग को देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों को घटाना पड़ा है, यह दर्शाता है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं।

iii. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

168. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, युटीलिटीज और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय प्रभावित नहीं किए गए थे। क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत कार्यशील पूंजी सहित औसत निवल अचल परिसंपत्तियां) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22%) की अनुमति दी गई थी जैसा कि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित किया गया है और जिसका अनुसरण किया जा रहा है।

169. पाटन मार्जिनों के निर्धारण के अनुसरण में, संबंधित कंपनियों के लिए, उन्हें एक साथ एक इकाई मानते हुए, क्षति मार्जिन भी निर्धारित किया गया है।

170. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है:

संबद्ध देश	उत्पादक का नाम	पहुंच मूल्य अमरी की डालर / मी. टन	क्षति रहित कीमत अमरी की डालर / मी. टन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	भारत में क्षति मार्जिन	भारत में औसत आई एम %	रेंज
कतर	कतर पेट्रो केमिकल कंपनी (क्यूएपीसी ओ) क्यू. पी. जे. एस. सी	***	***	***	***	***	***	10-20%
यूएसए	वेस्टलेक लांगव्यू कॉरपोरेशन	***	***	***	***	***	***	(0)-(10)%
	वेस्टलेक पॉलीमर्स एलएलसी					***	***	(0)-

								(10)%
	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	0-10%
थाईलैंड	थाई पालीथाइलीन कंपनी लिमि.*	***	***	***	***	***	***	0-10%
	पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमि. (पीटीटीसीजी)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	20-30%
सऊदी अरब	राबीघ रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	***	***	10-20%
	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	***	***	10-20%
	सऊदी एथिलीन और पॉलीथीन कंपनी (एसईपीसी)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	10-20%
यूएई	आबूधावी पॉलीमर्स कंपनी लि. (बोरोज) एल.एल.सी (एडीपीसीएल)	***	***	***	***	***	***	10-20%
सिंगापुर	सभी उत्पादक	***	***	***	***	***	***	10-20%

ज.3.4 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

171. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की थी जो उसी समय घरेलू उद्योग की क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः इन अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न की गई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण नहीं है। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन एवं निर्यात निष्पादन व घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकते हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

172. संबद्ध देशों के अलावा, युरोपीय संघ और कोरिया गणराज्य से महत्वपूर्ण आयात किए गए हैं। तथापि, इन देशों से आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक हैं और घरेलू उद्योग के लिए क्षति कारक नहीं है। अन्य देशों से आयात मात्रा में नगण्य हैं। इसलिए, तीसरे देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ख) मांग में संकुचन

173. संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, इसलिए मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं लगती है कि घरेलू उद्योग को कम मांग के कारण क्षति हुई है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

174. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ) व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां अथवा प्रतियोगिता की स्थिति

175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच यह नहीं दर्शाते हैं कि प्रतियोगिता की स्थितियां या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
- ड) प्रौद्योगिकी में विकास
176. प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विकास की मौजूदगी के बारे में किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन
177. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि देश में उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग के लिए निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब ये निर्यात घरेलू बाजार की तुलना में कीमत और लाभप्रदता पर बहुत प्रतिकूल हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात का एकमात्र कारण घरेलू बाजार से ऑर्डर की कमी है। घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उसके पास उत्पाद का निरंतर उत्पादन होता है, लेकिन घरेलू बिक्री उसके उत्पादन और बाजार से उसके उत्पाद की मांग से कम होती है। घरेलू बाजार से आदेशों की अनुपस्थिति का सामना करते हुए, घरेलू उद्योग के पास निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही ये आदेश घरेलू उद्योग के लिए बहुत कम लाभदायक हों। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि भले ही घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग के प्रतिकूल निष्पादन को अलग कर दिया गया हो, निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग का प्रतिकूल निष्पादन और लाभप्रदता इन उत्पादों के पाटन के कारण है। भारतीय बाजार में, घरेलू बाजार से इसके उत्पाद की अपर्याप्त मांग के कारण। यदि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में सामग्री को बेचने का अवसर मिलता है, तो वह न केवल अपनी लाभप्रदता बल्कि अपनी व्यवहार्यता में भी सुधार करने में सक्षम होगा। इस प्रकार, निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग का प्रतिकूल निष्पादन देश में उत्पाद के पाटन का परिणाम है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क का खंडन नहीं किया गया है।

एस.एन.	विवरण	इकाइयों	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई (ए)
1	बिक्री की मात्रा	मीट्रिक टन	***	***	***	***
2	घरेलू	मीट्रिक टन	***	***	***	***
3	निर्यात	मीट्रिक टन	***	***	***	***
4	बिक्री मूल्य	₹ लाख	***	***	***	***
5	घरेलू	₹ लाख	***	***	***	***
6	निर्यात	₹ लाख	***	***	***	***
7	विक्रय मूल्य	₹ /एमटी	***	***	***	***
8	घरेलू	₹ /एमटी	***	***	***	***
9	निर्यात	₹ /एमटी	***	***	***	***
10	कीमत	₹ /एमटी	***	***	***	***
11	घरेलू	₹ /एमटी	***	***	***	***
12	निर्यात	₹ /एमटी	***	***	***	***
13	फायदा	₹ /एमटी	***	***	***	***
14	घरेलू	₹ /एमटी	***	***	***	***
15	निर्यात	₹ /एमटी	***	***	***	***
16	पीबीटी मूल्य	₹ लाख	***	***	***	***

17	घरेलू	₹ लाख	***	***	***	***
18	निर्यात	₹ लाख	***	***	***	***
19	ब्याज/वित्त लागत	₹ लाख	***	***	***	***
20	घरेलू	₹ लाख	***	***	***	***
21	निर्यात	₹ लाख	***	***	***	***
22	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
23	घरेलू	₹ लाख	***	***	***	***
24	निर्यात	₹ लाख	***	***	***	***
25	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	₹ लाख	***	***	***	***
26	घरेलू	₹ लाख	***	***	***	***
27	निर्यात	₹ लाख	***	***	***	***
28	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
29	घरेलू	%	***	***	***	***
30	निर्यात	%	***	***	***	***

एस.एन.	विवरण	इकाइयों	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई (ए)
1	बिक्री की मात्रा	मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	154	288	298
2	घरेलू	मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	117	225	224
3	निर्यात	मीट्रिक टन/अनुक्रमित		100	172	201
4	बिक्री मूल्य	₹ लाख / अनुक्रमित	100	138	254	227
5	घरेलू	₹ लाख / अनुक्रमित	100	110	205	181
6	निर्यात	₹ लाख / अनुक्रमित		100	180	170
7	विक्रय मूल्य	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	90	88	76
8	घरेलू	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	94	91	81
9	निर्यात	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित		100	105	85
10	कीमत	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित				
11	घरेलू	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	112	139	111
12	निर्यात	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित		100	141	101
13	फायदा	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित				
14	घरेलू	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित	100	63	7	28
15	निर्यात	₹ /मीट्रिक टन/अनुक्रमित		100	-61	11
16	पीबीटी मूल्य	₹ लाख /अनुक्रमित	100	87	1	65
17	घरेलू	₹ लाख /अनुक्रमित	100	74	15	62

18	निर्यात	₹ लाख /अनुक्रमित		100	-105	21
19	व्याज/वित्त लागत	₹ लाख /अनुक्रमित	100	2,164	10,925	9,322
20	घरेलू	₹ लाख /अनुक्रमित	100	1,737	8,825	7,434
21	निर्यात	₹ लाख /अनुक्रमित		100	492	442
22	पीवीआईटी	₹ लाख /अनुक्रमित	100	99	63	118
23	घरेलू	₹ लाख /अनुक्रमित	100	84	65	104
24	निर्यात	₹ लाख /अनुक्रमित		100	-12	87
25	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	₹ लाख /अनुक्रमित	100	607	2,051	2,303
26	घरेलू	₹ लाख /अनुक्रमित	100	362	1,388	1,559
27	निर्यात	₹ लाख /अनुक्रमित		100	270	303
28	निवेश पर प्रतिफल	%/अनुक्रमित	100	16	3	5
29	घरेलू	%/अनुक्रमित	100	23	5	7
30	निर्यात	%/अनुक्रमित		100	-5	29

छ) अन्य उत्पादों के निष्पादन

178. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए विचाराधीन उत्पाद के पृथक आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, उत्पादित अन्य उत्पाद और आवेदक द्वारा बेचे गए उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

ज) कोविड-19

179. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि 2020-21 की पहली तिमाही कोविड-19 महामारी से प्रभावित थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के प्रचालनों पर कोविड-19 का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। आवेदक ने कोविड-19 के कारण किसी शटडाउन का सामना नहीं किया है। क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जहां 2019-20 की तुलना में अप्रैल-जून, 2020 में मात्रा संबंधी मानदंडों में मामूली गिरावट आई है, 2019-20 की तुलना में इस अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बेहतर है।

झ) घरेलू उद्योग द्वारा आयात

180. हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के आयातों के कारण क्षति का सामना किया है। तथापि, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की मात्रा, संबद्ध आयातों के 1% से भी कम पर नगण्य है। इसके अलावा, कीमत जिस पर घरेलू उद्योग ने उत्पाद का आयात किया है, वह संबद्ध देशों से आयातों की औसत कीमत की तुलना में लगभग 20% तक उल्लेखनीय रूप से अधिक है। उल्लेखनीय रूप से अधिक कीमतों पर आयातों की ऐसी निम्न मात्रा को घरेलू उद्योग द्वारा क्षति झेलने के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

ज.3.5 कारणात्मक संबंध और क्षति पर प्राधिकारी द्वारा जांच

181. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य कारकों की वजह से जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नलिखित कारक प्रासंगिक हैं:

क. भारत में संबद्ध वस्तु का भारी पाटन हुआ है।

ख. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंड आयातों से प्रभावित नहीं हुए हैं, तथापि कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- ग. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है और जांच अवधि में ये घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर हुए हैं।
- घ. आयातों में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने को बाध्य किया है और घरेलू उद्योग की कीमतों का हास और न्यूनीकरण किया है।
- ड. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में क्षति अवधि में 72 प्रतिशत तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी क्षति अवधि में गिरावट आई है।
- च. आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत से कम कीमत पर प्रवेश किया है। एथीलीन की कीमत में वृद्धि के बावजूद आयातों की कीमतों में गिरावट आई है। अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि घरेलू उद्योग को मात्रात्मक मापदंडों के अनुसार क्षति नहीं हुई है, तथापि आयातों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- छ. अतः, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

182. हितबद्ध पक्षकारों ने एलडीपीई के कतिपय ग्रेडों को बाहर रखने, विशेष बाजार स्थिति की गैर-मौजूदगी, घरेलू उद्योग को क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने अनुरोध पुनः दोहराए हैं। प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त अनुरोध किए गए हैं:
 - i. ईसी4062एए अतिरिक्त रियोलॉजिकल परीक्षण मापदंडों से गुजरता है। घरेलू उद्योग ने ईसी4062एए नहीं बेचा है और प्रकटन विवरण यह स्पष्ट नहीं करता है कि ग्रेड 1070एलए17 का प्रयोग ईसी4062एए के प्रयोग के समान है, और 1070एलए17 का प्रयोग एक अलग स्वाद बना देगा तथा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा। टेटरा पैक में लगे एक्सट्रूडर 8.5 ग्राम/मिन. मेल्ट फ्लो इंडेक्स और 918-920 ग्रा/एम3 के लिए बने हैं।
 - ii. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सीपीएमए ने संगत दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और वह आवेदन दायर करने की स्थिति में है।
 - iii. जांच की शुरुआत के बाद घरेलू उद्योग के आंकड़ों में परिवर्तन की जांच नहीं की गई है।
 - iv. निविष्ट की कीमत का केवल सरकारी निर्धारण किसी विशेष बाजार स्थिति संबंधी निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त है। विशेष बाजार स्थिति विचाराधीन उत्पाद के लिए मौजूद होनी चाहिए और न कि फीड स्टॉक के लिए।
 - v. सऊदी अरब में फीड स्टॉक की कीमतें, यद्यपि विनियमित हैं, फिर भी उन्हें एलडीपीई के सभी विनिर्माताओं चाहे घरेलू खपत हो या निर्यात के लिए, के भेदभाव रहित आधार पर लागू किया जाता है। जैसा कि वर्किंग पार्टी की रिपोर्ट से स्पष्ट है, फीड स्टॉक की कीमत वाणिज्यिक मानकों पर आधारित है क्योंकि इसमें उत्पादन लागत और तर्कसंगत मार्जिन शामिल है तथा प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमत ऐसे सूत्र पर आधारित है जो सुनिश्चित करता है कि एनजीएल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित हों।
 - vi. डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने सऊदी अरब में फीड स्टॉक की कीमत को वाणिज्यिक कीमत के रूप में स्वीकार किया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऐसी कीमतों पर आधारित एक्सेसन प्रोटोकॉल में कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं लाई गई हैं।
 - vii. फीड स्टॉक की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की घरेलू और निर्यात बिक्रियों के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित नहीं करती हैं।

- viii. विशेष बाजार स्थिति की गैर-मौजूदगी की डीजीटीआर द्वारा अनेक पूर्ववर्ती जांचों में पुष्टि की गई है। यूरोपीय आयोग को भी यूएसए और सऊदी अरब से एमईजी के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में विशेष बाजार स्थिति नहीं मिली थी।
- ix. संबंधित और असंबंधित कंपनियों द्वारा निर्यात कीमत के भारित औसत के आधार पर पेट्रो रेबिघ के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उचित नहीं है क्योंकि पेट्रो रेबिघ को असंबंधित व्यापारियों द्वारा गैर-भागीदारी के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
- x. एसईपीसी को ऐसे कुछ असंबंधित व्यापारियों की गैर-भागीदारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिन पर एसईपीसी और उसके संबंधित विपणनकर्ताओं का कोई नियंत्रण नहीं है।
- xi. मैसर्स सऊदी कयान एंड मैसर्स केम्या ने अनुरोध किया है कि प्रश्नावली का प्रपत्र जांच के दौरान लागू है, जिसमें संबंधित उत्पादकों द्वारा प्रमाणन अपेक्षित है। उत्पादक के पास गंतव्य संबंधी स्पष्टता नहीं है। उस कंपनी के प्रश्नावली के उत्तर में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की गई थी जिसमें संबंधित बिक्री सौदे किए हैं। पूर्व में केवल प्रायोगिक तालिका कार्यकरण का प्रयोग करके प्रस्तुत की गई इन्हीं फाइलों से दो उत्पादकों के लिए अलग परिशिष्ट 3सी और 4ए बनाए गए हैं और उन्हें अब दो अलग एक्सल फाइलों में प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी को प्रपत्र के बजाए सूचना को देखना चाहिए। ऐसा कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं है कि उत्पादक अपनी संबंधित कंपनियों से समस्त सूचना एकत्रित करेगा और उसे प्रश्नावली के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- xii. यद्यपि प्राधिकारी ने बताया है कि तास्त्री मार्केटिंग द्वारा उठाए गए घाटे को समायोजित किया गया है, तथापि उसे भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर लाभ हुआ है।
- xiii. प्राधिकारी ने 51 प्रतिशत तक की सीमा तक इस समय निर्यात कीमत को समायोजित किया है जो 5-8 प्रतिशत तक समायोजन की वैश्विक प्रक्रिया से काफी अधिक है।
- xiv. यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया है कि कीमत कटौती हुई है, तथापि यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती, कीमत प्रभाव डालने के लिए “काफी अधिक” है।
- xv. कीमत कटौती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पीबीआईटी ने कीमत कटौती से स्वतंत्र व्यवहार किया है।
- xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का व्यवहार एकाधिकारपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आरआईएल भारत में एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध आयात घरेलू उद्योग के लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धा है।
- xvii. यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है, परंतु यह इस तथ्य के विपरीत है कि आरआईएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह माना है कि पालिमर डिवीजन के अंतर्गत उत्पादों के मालसूची के स्तर में कमी आई है।
- xviii. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव कोविड-19, क्षमता विस्तार, जिसकी वजह से उच्चतर प्रचालन लागत और स्टार्ट अप लागत हुई, संयंत्र के बंद होने, ब्याज लागत और मूल्यहास में वृद्धि और महंगी लागत वाले नपथा के प्रयोग का परिणाम है।
- xix. पैकेजिंग उद्योग के लिए कच्ची सामग्री कीमत में पहले ही संभार तंत्र की चुनौतियों, तेल की कीमतों और अन्य निविष्ट लागत में वृद्धि, सामग्री की कमी आदि के कारण पहले ही वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से खाद्य उद्योग पर बोझ में 8-10 प्रतिशत की और वृद्धि हो जाएगी।
- xx. प्राधिकारी को डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।
- xxi. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2004 (170) ई.एल.टी.144 (ट्रि.-डेल) में सूचित मामले में माननीय सेस्टेट ने यह अवलोकन किया था कि यदि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातों के पहुंच मूल्य से स्वतंत्र आचरण करती है तो इससे सिद्ध होगा कि कीमतहास और न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के लिए आयात जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।
- xxii. चूंकि कम कीमत पर बिक्री वेस्टलेक के लिए नकारात्मक है, इसलिए उक्त कंपनियों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो सकती है।

- xxiii. एक्सन मोबिल और एसएबीआईसी वास्तव में स्वतंत्र कंपनियां हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये एक साझी कंपनी से पीयूसी खरीदते हैं और यहां इनका संबंध, यदि कोई हो, समाप्त हो जाता है।
- xxiv. वेस्टलेक द्वारा संबद्ध वस्तु की आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रही हैं।
- xxv. यह अनुरोध है कि शुल्क के स्थिर रूप पर विचार किया जाए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जांच के पश्चात की अवधि में वृद्धि हुई है और मूल्यानुसार शुल्क लगाने से अत्यधिक संरक्षण मिल जाएगा।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

183. घरेलू उद्योग ने कतर और यूएई में विशेष बाजार स्थिति, घरेलू उद्योग को क्षति और जनहित के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी कतिपय मापदंडों जैसे कीमत ह्रास और न्यूनीकरण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तथा घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में विचाराधीन तथ्यों का प्रकटन नहीं किया है जो प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण का आधार होंगे। प्राधिकारी द्वारा केवल उक्त मापदंडों संबंधी सत्यापित सूचना बताई गई है।
 - ii. प्रकटन विवरण दर्शाता है कि कतर और यूएई में निर्यातकों द्वारा एथीलीन और इथेन की खरीद कीमत की इन निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बाजार कीमतों से तुलना की गई है। ऐसी सूचना के अगोपनीय अंश को घरेलू उद्योग को नहीं बताया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
 - iii. चूंकि एथीलीन का एलडीपीई, एमईजी, पोलिथीलीन और पीवीसी सहित विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में होता है, इसलिए एलडीपीई के उत्पादन में किसी गिरावट से एथीलीन के उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे एथीलीन की प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। ऐसे अन्य उत्पादों की कीमतें प्रभावित होंगी जो कच्ची सामग्री के रूप में एथीलीन का प्रयोग करते हैं और ऐसे उत्पादों के डाउनस्ट्रीम उपयोग प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे।
 - iv. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख उत्पादन लागत इथेन को एथीलीन/नेपथा में परिवर्तित करना है। आवेदक अपने स्वयं के क्रेकर संयंत्र के कारण बाजार में प्रचालन करने में सक्षम है।
 - v. प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि शुल्क लगाने से उनके प्रचालन प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे।
 - vi. संबद्ध देशों में निर्यातक फीड स्टॉक की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण और जीसीसी देशों में विशेष बाजार स्थिति के कारण अनुचित लाभ उठाते हैं। घरेलू उद्योग जीसीसी में निर्यातकों की विकृत उत्पादन लागत के कारण प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।
 - vii. यद्यपि निर्यातकों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है और वे बाजार से बाहर जाने में संकोच नहीं करेंगे। तथापि, घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में दीर्घावधिक वचनबद्धता है क्योंकि वह 1960 से भारत में अनेक क्षेत्रों में शामिल है।
 - viii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग खाद्य पैकेजिंग में होता है, इसलिए गुणवत्ता बनाए रखनी पड़ती है। यद्यपि, घरेलू उद्योग सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सभी सावधानियां बरतता है, तथापि निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया ज्ञात नहीं है।
 - ix. यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के लिए आबद्ध रेट 40 प्रतिशत है, तथापि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर आयातक सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ उठा रहे हैं।
 - x. ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रचालन अव्यवहार्य हो जाएंगे और वह भी केवल इसलिए कि बाजार में प्रतिस्पर्धा की उचित स्थितियों की पुनः स्थापना हुई है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

184. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि यद्यपि अधिकांश टिप्पणियां दोहराव हैं, जिनकी जांच परिणाम के संगत भागों में उपयुक्त जांच और पर्याप्त समाधान पहले ही किया गया है, तथापि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों की जांच की है।
 - क. ग्रेड ईसी4062एए को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 1070एलए17 ग्रेड फूड पैकेजिंग और लेमिनेशन के लिए प्रयुक्त हो सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त विनिर्देशन शीट दर्शाती है कि यह खाद्य पदार्थों से सुरक्षित संपर्क की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करता है और इस प्रकार फूड पैकेजिंग में प्रयोग के लिए सुरक्षित है। टेट्रा पैक ने दावा किया है कि इसके एक्सट्रूडर में केवल मेल्ट फ्लो इंडेक्स 8.5 ग्राम/मिन. और 918-920 ग्रा/एम3 के घनत्व की वस्तु का ही प्रयोग होता है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि ईसी4062एए और 1070एलए17 की उत्पाद विनिर्देशन शीट में 917/ग्राम/एम3 का घनत्व दर्शाया गया है। इसके अलावा, ईसी4062एए का मेल्ट फ्लो इंडेक्स 10 ग्राम/मिन. का है तथापि 1070एलए17 का मेल्ट फ्लो इंडेक्स 8.5 ग्राम/मिन. का है। अतः, दोनों ग्रेड टेट्रा पैक में यथा-वर्णित एक्सट्रूडर की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अतः प्राधिकारी इन्हें बाहर रखने के अनुरोध में कोई तथ्य नहीं देखते हैं।
 - ख. सीपीएमए के दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक साथ डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर किया है, और भारत में घरेलू समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इसने प्रासंगिक जानकारी प्रदान की। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन करने वाला कोई अन्य उत्पादक नहीं है, और इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में घरेलू समान उत्पाद के 100% उत्पादन के लिए निर्माता ने याचिका दायर करने का समर्थन किया है, और इससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है पीयूसी, पाटन और क्षति।
 - ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में परिवर्तन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत शीर्षों में पहले ही इस मुद्दे की विस्तार से जांच की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विधिवत सत्यापन किया गया है और केवल ऐसे सत्यापन के बाद इस अंतिम जांच परिणाम में इनका विक्षेपण हुआ है।
 - घ. सऊदी में विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी संबंधी तर्क पर इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में पहले ही विचार किया गया है।
 - ड. पैट्रो रेबिघ द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि उन्हें असंबंधित व्यापारी की गैर-भागीदारी के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए भारत को प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारी के जरिए उत्पादक द्वारा किए गए सभी निर्यातों पर विचार करते हुए उत्पादक के लिए निर्यात कीमत की गणना करना अपेक्षित है। इस प्रकार यह अपेक्षित है कि निर्यात श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारी जांच में भागीदारी करें और निर्यात कीमत के संबंध में संगत सूचना प्रदान करें। पैट्रो रेबिघ के मामले में भारत को निर्यात श्रृंखला में शामिल कुछ व्यापारियों ने जांच में भाग नहीं लिया है और आवश्यक व्यौरे नहीं दिए हैं। तदनुसार प्राधिकारी ने अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार असहयोगी व्यापारियों के ज़रिए किए गए निर्यातों हेतु उपयुक्त समायोजन किए हैं।
 - च. प्रकटन विवरण के बाद केम्या और सऊदी कयान द्वारा परिशिष्ट 3 सी के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट-3 सी अंतिम समय में प्रस्तुत किया गया है और जैसा जांच परिणाम के संगत भाग में प्राधिकारी ने नोट किया है, निर्धारित ढंग और पद्धति से संगत सूचना के अभाव में प्राधिकारी भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जांच परिणाम के संगत भागों में दर्ज विस्तृत कारणों के अनुसार इन उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अलग पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया है।
 - छ. तास्ली मार्केटिंग के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा किया गया घाटे का समायोजन उचित नहीं है क्योंकि कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तास्ली मार्केटिंग द्वारा प्रदत्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पीओआई के दौरान कंपनी को घाटा हुआ

है। तथापि तास्ली मार्केटिंग द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया गया था कि पीओआई के दौरान कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है। प्रश्नावली के उत्तर की गहन जांच करने पर प्राधिकारी ने नोट किया कि तास्ली मार्केटिंग द्वारा अपनाई गई आबंटन पद्धति उपयुक्त नहीं थी और वह उसकी संबंधित कंपनी द्वारा अपनाई गई आबंटन पद्धति से भी अलग थी। तदनुसार, प्राधिकारी ने उपयुक्त आबंटन पद्धति लागू की है और तास्ली मार्केटिंग तथा उससे संबंधित उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन ज्ञात किया है।

- ज. इस चिंता के संबंध में कि निर्यात कीमत के समायोजन काफी अधिक हैं। यह नोट किया जाता है कि किए गए समायोजन को जांच परिणाम के संगत भागों में विधिवत् रूप से स्पष्ट किया गया है। हितबद्ध पक्षकार यह नहीं दर्शा सके हैं कि कारखानाद्वारा निर्यात कीमत के निर्धारण में कोई अनावश्यक समायोजन हुआ है।
- झ. इस दलील के संबंध में कि भारत में एलडीपीई का एकमात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एकमात्र आपूर्तिकर्ता की मौजूदगी वास्तव में पाटनरोधी उपायों के महत्व को रेखांकित करती है। यदि एकमात्र उत्पादक के प्रचालन बाधित होते हैं और अव्यवहार्य हो जाते हैं तो देश पूर्णतः आयातों पर निर्भर हो जाएगा। तथापि, एकमात्र आपूर्तिकर्ता की मौजूदगी का यह अर्थ नहीं है कि उत्पादक एकाधिकार का लाभ उठाएगा। इसके विपरीत, उत्पाद का अन्य देशों से आयात भी किया जा सकता है और इसलिए प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के अनेक स्रोत मिलना जारी रहेंगे।
- ञ. जैसा कि इस जांच परिणाम के संगत भाग में प्राधिकारी ने नोट किया है पालिमेर क्षेत्र के लिए समग्र रूप से कार्य-निष्पादन का संदर्भ लेना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vi) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। अतः पालिमेर क्षेत्र के लिए मालसूची की मात्रा संगत नहीं है। प्राधिकारी ने इसके विक्षेपण के लिए संबद्ध वस्तु की मालसूची की जांच की है।
- ट. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कोविड-19 के कारण बाधित हुआ है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर महामारी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि कोविड-19 के कारण उसे शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ा। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।
- ठ. एल इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल के रूप में नाप्या के उपयोग के कारण है, यह नोट किया जाता है कि एलडीपीई के कुल उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान नेप्या के उपयोग में वास्तव में गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग कच्चे माल के रूप में नाप्या का उपयोग कर रहा है और क्षति अवधि के दौरान ईथेन का आयात कर रहा है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में *** प्रति एमटी की गिरावट आई जिसका कारण नाप्या के उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। क्षति अवधि के दौरान कीमत में इस गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कच्चे माल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की खपत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति किसी विशेष कच्चे माल के उपयोग के कारण नहीं हुई है।
- ड. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एक पास-श्रू उद्योग है और विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में किसी वृद्धि को अंततः अंतिम उपभोक्ता पर डाल दिया जाएगा। इसलिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग अपने वर्तमान मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम होगा। इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद अंतिम उत्पाद की लागत का मामूली हिस्सा होता है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कीमत कटौती की प्रवृत्ति का पालन नहीं किया है। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता की केवल कीमत कटौती मार्जिन के साथ तुलना करना उपयुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कीमत कटौती पूरी क्षति अवधि में लगभग एकसमान रही हों परंतु घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कीमतों में रुझानों से भिन्न-भिन्न लागत रुझानों के कारण गिरावट आई हो। लाभप्रदता के रुझान लागत और कीमत के रुझानों से जुड़े होते हैं, जबकि कीमत कटौती आयात कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत से संबंधित है। घटती हुई कीमत कटौती घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट संकेतक है।

- ण. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न केवल संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं बल्कि उसने घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण भी किया है। इस अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ***प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कच्ची सामग्री की कीमत में *** प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि में 11 प्रतिशत तक गिरावट आई है। चूंकि आयातों की कीमत कम थी, इसलिए घरेलू उद्योग ने लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतें घटा दी हैं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	85,242	87,782	84,690	75,570
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	99	89
एथीलीन की कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	118	105

- त. इस दलील के संबंध में कि नकारात्मक क्षति मार्जिन क्षति की गैर-मौजूदगी दर्शाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन का उद्देश्य केवल कमतर शुल्क नियम के आधार पर शुल्क लगाना है और वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति नहीं दर्शाता है। क्षति मार्जिन के आधार पर क्षति मापदंडों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने कीमत ह्रास और न्यूनीकरण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और घरेलू उद्योग की वृद्धि जैसे कतिपय क्षति मापदंडों, जो प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण का आधार बनेंगे, के संबंध में विचाराधीन तथ्यों का प्रकटन नहीं किया है और प्राधिकारी द्वारा उक्त मापदंडों संबंधी केवल सत्यापित सूचना ही बताई गई है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकारों को सभी अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया था और प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले गए थे। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में अब पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने अंतिम निष्कर्ष दिए हैं।
- द. प्रयोक्ता उद्योग के हित से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में भारतीय उद्योग के हित की जांच की है।
- ध. यूएई और कतर के लिए फीड स्टॉक कीमतों के साथ बाजार कीमत की तुलना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि इस पर दोनों देशों में निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित जांच परिणाम के संगत भाग में विचार किया गया है।
- न. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षमता विस्तार और मूल्यह्रास तथा ब्याज लागत में वृद्धि के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने, मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि के प्रभाव को अलग करने के लिए घरेलू उद्योग के प्रति इकाई ईबीआईटीडीए का नीचे तालिका में विश्लेषण किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई (वार्षिकीकृत)
ईबीआईटीडीए	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	36	54

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की प्रति इकाई ईबीआईटीडीए में क्षति अवधि में गिरावट आई है। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति उच्चतर मूल्यह्रास लागत या ब्याज लागत के कारण क्षमता विस्तार की वजह से नहीं हुई है।

- प. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू होने से भारत के बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी

उपाय लागू होने से पाटन की प्रक्रिया से अर्जित अनुचित लाभ समाप्त होंगे। घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के लिए संबंध वस्तुओं के व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से संबंध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ज. भारतीय उद्योग का हित

185. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लागू करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने इसकी जांच की कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करना वृहत सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना और विभिन्न पक्षकारों के हितों के विचार पर आधारित है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग, आयातक और उपभोक्ता शामिल हैं।

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

186. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. चूंकि आवेदक भारत में एलडीपीई का एकमात्र उत्पादक है, इसकी संभावना है कि यह बाजार पर अधिकार कर लेगा और बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा जो भारत में प्रतिस्पर्धी वातावरण में बाधा उत्पन्न करेगा।
- ख. हाल ही में, एलडीपीई की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसका परिणाम छोटे स्तर के डाउन स्ट्रीम विनिर्माताओं के लिए व्यापार प्रस्तावों की हानि में हुआ। आवेदक का पहले ही बार-बार एलडीपीई की कीमत को बढ़ाने के द्वारा बाजार पर प्रभुत्व है।
- ग. देश में मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है क्योंकि भारत में मांग 1100 केटी है, जबकि आपूर्ति 600 केटी है। पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से सभी आयात बंद हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप भारत में आरआईएल का एकाधिकार हो जाएगा।
- घ. कोरोना वायरस ने पहले ही भारत सहित पूरे विश्व को विपरीत रूप से प्रभावित किया हुआ है और शुल्क को लागू करने से आजीविका की हानि, डाउन स्ट्रीम माल के निर्यात में कमी, बाजार विषमता, भरपूर लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा, छोटे अंतिम प्रयोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव, मांग-आपूर्ति अंतर के संदर्भ में स्थिति को और अधिक बदतर बना देगा।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना कोविड-19 के पश्चात एमएसएमई क्षेत्र की सुरक्षा पर भारत सरकार की नीति और बजट 2020-21 के विपरीत होगा। एमएसएमई इस समय अस्तित्व में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में बेरोजगारी की दर इस समय उच्चतम है और एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रोजगार उत्पादक है।
- च. भारत में हजारों ऐसे अंतिम प्रयोक्ता हैं जो अधिकतर एमएसएमई क्षेत्र में हैं और अपने उत्पादन के अंतिम चरण में एलडीपीई की कीमत कुल लागत के 60-70% में है। पाटनरोधी शुल्क को लागू करना इन अंतिम प्रयोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा।
- छ. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदेश की सुरक्षा करना है। उद्योग की सुरक्षा करने के लिए पाटनरोधी उपायों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ज. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना छोटे उद्योगों द्वारा विनिर्मित तैयार माल को मंहगा और अप्रतिस्पर्धी बना देगा। इसके परिणामस्वरूप एलडीपीई को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने से विनिर्मित फिल्मों में पैक की गई आधारभूत वस्तु सामग्री की कीमत में वृद्धि होगी।
- झ. डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ऐसे उत्पादों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को कम करेगी। यह भारतीय बाजार में प्रतियोगी विषमता को उत्पन्न करेगा।

- ज. शुल्क को लागू करने के कारण तैयार डाउनस्ट्रीम माल के निर्यात, डाउनस्ट्रीम उत्पादों में मांग-आपूर्ति अंतर और अच्छी पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के कारण खाद्य पदार्थों की बरबादी होगी।
- ट. शुल्क को लागू करने के परिणामस्वरूप केवल एक कंपनी को सुरक्षा मिलेगी और वह कंपनी आरआईएल है।
- ठ. भारत में एलडीपीई का आयात किया जाता है क्योंकि आरआईएल द्वारा आपूर्तियां अनियमित हैं और ये पैकेजिंग उद्योग की लगातार चलने वाली प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकती, आयातित उत्पाद की गुणवत्ता उच्च गति वाली ब्लोएन फिल्मों और एक्सट्रूजन कोटिंग मशीनों पर प्रयोग के लिए बेहतर हैं और एलडीपीई के सारे ग्रेड आरआईएल द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते।
- ड. आवेदक भारत में मांग को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि एलडीपीई की आपूर्ति के लिए 15 दिन से एक महीने की प्रतीक्षा अवधि है।
- ढ. एलडीपीई में कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला पूरी तरह से उल्टी है क्योंकि भारत में एलडीपीई का केवल एक उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है। एलडीपीई पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करना डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी बना देगा।
- ण. आवेदक व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि इसने अपने बहुत से उत्पादों पर विभिन्न व्यापार उपचार जांचों के लिए आवेदन किया है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गए अनुरोध

187. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से प्रयोक्ता प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि प्रयोक्ता उद्योग एक पास-श्रू उद्योग है जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतें 2017-18 में उच्च थीं किंतु प्रयोक्ताओं के प्रचालन अलाभप्रद नहीं हुए और मांग में वृद्धि हुई। किसी भी स्थिति में, तैयार उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।
- ख. चूंकि, विचाराधीन उत्पाद अंतिम उत्पाद की कीमत के बहुत छोटा हिस्से का गठन करता है, ग्राहक के लिए तैयार उत्पाद पर प्रभाव नगण्य होगा।
- ग. इस दावे के संबंध में कि आरआईएल बाजार प्रविष्टि के लिए बाधाओं को उत्पन्न करेगा, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से उत्पाद में और अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, संबद्ध वस्तुओं को अन्य देशों जैसे युरोपियन संघ, जापान, चीन जनगण और कोरिया गणराज्य से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा बल्कि यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपाटित कीमतों पर उपलब्ध हों।
- घ. जहां इस दावे का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना केवल एक कंपनी को सुरक्षित करेगा, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे देश में केवल एक उत्पादक मौजूद हो। यदि भारत में एकमात्र उत्पादक द्वारा किए गए निवेश अलाभप्रद हो जाते हैं तो वह विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने प्रचालनों को बंद कर देगा और भारत पूरी तरह से आयातों पर निर्भर हो जाएगा। यह उत्पाद में और अधिक निवेश को निरुत्साहित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति अंतर और ज्यादा हो जाएगा।
- ड. यदि एलडीपीई में निवेश अव्यवहार्य हो जाते हैं तो अपस्ट्रीम उत्पाद एथिलीन में भी निवेश अलाभप्रद हो जाएगा।
- च. आवेदक अपने वर्तमान उत्पादन के आधार पर भारत में 87% मांग को पूरा कर सकता है और बकाया मांग को अन्य देशों से आयातों द्वारा पूरा किया जा सकता है जो इस समय 10.5% मांग को पूरा कर रहा है। मांग-आपूर्ति अंतर शुल्कों को लागू न करने के लिए कोई आधार नहीं है जैसा कि डीएसएम आईडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण द्वारा निर्णय दिया गया है। प्राधिकारी ने बहुत सी जांचों में पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी हालांकि उनमें मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद था।

- छ. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदेश की सुरक्षा करना है और इसका उद्योग को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया गया कि आवेदक पाटन के कारण उसे हुई क्षति के निवारण की मांग कर रहा है और अनुचित सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा है।
- ज. डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यात महत्वपूर्ण हैं। यदि डाउनस्ट्रीम उद्योग निर्यात करना चाहते हैं तो वे अग्रिम प्राधिकारों के तहत झूठी फ्री संबद्ध वस्तुओं का आयात कर सकते हैं अथवा आरआईएल की मानी हुई निर्यात कीमत निर्धारण नीति का लाभ उठा सकते हैं जहां यह ऐसे ग्राहकों को खाने पदार्थों की बिक्री करता है जिनके पास आयात लाइसेंस हैं। आरआईएल एक प्रसिद्ध ब्रांड है और यह उसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जो पूरे विश्व में प्रयोग की जा रही है, अतः गुणवत्ता कोई मुद्दा नहीं हो सकता है।
- झ. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, इस समय कोई पाटनरोधी शुल्क मौजूद नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एमएसएमई क्षेत्र के अप्रतिस्पर्धी होने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता।
- ञ. इस दावे के संबंध में कि एलडीपीई की मूल्य श्रृंखला पूरी तरह से उल्टी है, यह अनुरोध किया गया कि पाटनरोधी शुल्क के अधीन अधिकतम उत्पादों की मूल्य श्रृंखला हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अर्थों में उल्टी है क्योंकि उत्पादकों की तुलना में उपयोगकर्ता अधिक हैं। तथापि, इस बात की कोई प्रासंगिकता नहीं है कि क्या शुल्क सार्वजनिक हित में है।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को लागू करना प्रतिस्पर्धी विषमता को उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि शुल्क सभी प्रयोक्ताओं को समान रूप से प्रभावित करेंगे। प्रयोक्ता उद्योग ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विनिर्देशनों के अनुसार उत्पादों का विकास करते हैं और ऐसे उद्योग में आयातों का खतरा न्यूनतम है।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आरआईएल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और उसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जो पूरे विश्व में प्रयोग की जा रही है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे कि आवेदक व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि इसने विभिन्न उपचारों के लिए आवेदन किया है, की यह निर्धारण करने में कोई प्रासंगिकता नहीं है कि क्या एलडीपीई पर शुल्क लागू किया जाना चाहिए। वैश्विक रूप से ऐसे रसायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर प्रायः बार-बार शुल्क लगाए जाते हैं जिनके उत्पादन में आवेदक भी आवेष्टित हैं। आवेदक के 75 उत्पादों में से केवल कुछ पर ही पाटनरोधी शुल्क आकर्षिक हुए हैं। प्रत्येक मामले में, जहां शुल्क लगाए गए हैं, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति को मौजूद पाया है।
- ढ. इस आरोप के उत्तर में कि आरआईएल में एलडीपीई की आपूर्ति के लिए प्रतीक्षा अवधि है, यह अनुरोध किया गया कि कोई प्रतीक्षा समय नहीं मौजूद नहीं है क्योंकि 90% आदेशों का आवेदक द्वारा 24 घंटों के भीतर निपटान किया गया, जबकि आयातों के मामले में महत्वपूर्ण परिवहन समय शामिल होता है। फिर भी यदि यह तर्क दिया जाता है कि आरआईएल आदेशों को डिलीवर करने के लिए एक महीना लेता है तब भी यह संबद्ध देशों से आदेशों के लिए लगने वाले समय से महत्वपूर्ण रूप से कम है जो 45-70 दिन लेते हैं।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, डाउनस्ट्रीम उद्योग कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित नहीं है क्योंकि पैकेजिंग के लिए मांग सामान्य थी और लॉकडाउन पश्चात अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह ई-कामर्स, खाने डिलीवरी, फर्मास्युटिकल्स, फ्रोजन फूड, ब्रेड, ताजा उत्पाद, पेय पदार्थों और स्कीजेबल बोतलों की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

188. प्राधिकारी ने आयातों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके विचारों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नवाली भी निर्धारित की थी, जिनमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल थे। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, कारक जिससे पाटनरोधी शुल्क को

लागू करने के द्वारा उत्पन्न होने वाली नई स्थिति के प्रति समायोजन के त्वरित या विलंबित होने की संभावना शामिल है, वर्तमान शुल्क को लागू करने के प्रभाव पर सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए:

- i) पहाड़पुर 3 पी प्राइवेट लिमिटेड
- ii) टेद्रा पाक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- iii) एसएवीआईसी रिसर्च एंड टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड
- iv) यू फ्लैक्स लिमिटेड
- v) अल्टीमेट फ्लैक्सी पैक लिमिटेड

189. इसके अलावा, प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित संघों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है:

- i) तेलंगाना एंड आंध्र प्लास्टिक्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन
- ii) आल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन
- iii) आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया

190. इन उपभोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया और अनुरोध किए, जिन्हें ध्यान में रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने परिमाणित सूचना के साथ यह नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या कुल मिलाकर जनता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

191. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के कारण आयात अनिवार्य हैं और उन्हें आयातों के लिए उच्चतर कीमतें देनी पड़ेंगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर भारत में पाटन के लिए उचित कारण नहीं हो सकता है। यदि देश में मांग-आपूर्ति में अंतर है तो भी यह आवश्यक है कि उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध हो। पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता बाधित नहीं होगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि वह उचित कीमत पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल होने से आगे और निवेश प्रोत्साहित होगा जिससे मांग-आपूर्ति में अंतर समाप्त होगा।

192. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि देश में मांग-आपूर्ति में अंतर है, तथापि वर्तमान में आयात उस अंतर से काफी अधिक हैं। यह कि विचाराधीन उत्पाद को कतर, यूएई, बेल्जियम, नीदरलैंड और कोरिया गणराज्य जैसे अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है। इन देशों से ऐतिहासिक रूप से आयातों की मात्रा मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटन के लिए पर्याप्त है। अन्य देशों से आयात केवल इसलिए कम हुए हैं क्योंकि संबद्ध देशों से सस्ती कीमत पर आयात में वृद्धि हुई है। अतः यदि शुल्क लागू होता है तो प्रयोक्ता अन्य देशों से संबद्ध वस्तु मंगाना जारी रख सकते हैं।

193. अन्य स्रोत से आयात के संबंध में प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के मुकाबले अन्य देशों से आयात कीमत पर भी विचार किया है। अन्य देशों और संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और कीमत नीचे तालिका में दी गई है। यह देखा गया है कि शेष विश्व से आयात की कीमत संबद्ध देशों से आयात की कीमत से अधिक है। इसके अलावा, शेष विश्व से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भी अधिक है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
आयातों की मात्रा						
संबद्ध देश	मी.टन	204,500	225,212	160,797	219,641	175,713
अन्य देश	मी.टन	91,978	116,511	76,006	91,557	73,245
आयातों की कीमत						
संबद्ध देश	रु./मी.टन	85,242	87,782	84,690	75,570	75,570
अन्य देश	रु./मी.टन	97,403	100,836	114,839	101,763	101,763

194. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
195. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उत्पादों को अप्रतिस्पर्धी बना देगा और निर्यात कम हो जाएंगे। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
196. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की घटिया गुणवत्ता और डिलीवरी में देरी के कारण उन्हें आयात करने को बाध्य होना पड़ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक बाजार के बड़े हिस्से को आपूर्ति कर रहा है और अपने संयंत्र का उच्च क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है। यदि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु घटिया गुणवत्ता की होती तो यह संभव नहीं होता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में आंकड़ों के अनुसार आवेदक के पास मालसूची एकत्रित है और ऐसी स्थिति में डिलीवरी में देरी की संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि 90 प्रतिशत आदेशों की डिलीवरी में उसे केवल 24 घंटे लगते हैं, जबकि आयातों के लिए पारेषण समय मध्यपूर्व के लिए 45-60 दिन और यूएसए के लिए 70 दिन के बीच है।
197. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कोविड-19 ने डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रभावित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोविड-19 के प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग तक सीमित नहीं हैं बल्कि भारत सहित पूरे विश्व की सभी कंपनियों पर पड़े हैं।
198. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि आवेदक ने अनेक उत्पादों पर व्यापार उपचार उपायों की मांग की है। इसके उत्तर में आवेदक ने ध्यान दिलाया है कि वह 75 उत्पादों का उत्पादन करता है जिनमें से केवल कुछ पर शुल्क लागू है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे उत्पादों की संख्या जिन पर शुल्क की मांग की गई है, शुल्क लागू करने संबंधी निर्णय का आधार नहीं हो सकते हैं। उन उत्पादों की संख्या, जिन पर उत्पादक ने शुल्क मांगा है, पर विचार नहीं करते हुए कोई शुल्क तब लगाया जाएगा, यदि प्राधिकारी पाते हैं कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध मौजूद हैं। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए किसी उत्पाद पर कोई शुल्क केवल तभी लगाया गया है जब मामले के संगत आवश्यक तथ्यों की जांच की गई है और संगत कारकों को ध्यान में रखा गया है।
199. जहां उपभोक्ताओं में से किसी ने भी अपने प्रचालनों पर शुल्कों के महत्वपूर्ण प्रभाव की पुष्टि नहीं की है, घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्कों के प्रभाव के विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराए हैं:

क्षेत्र	अंतिम प्रयोग	तैयार उत्पाद की कीमत	प्रति इकाई एलडीपीई (ग्राम) सामग्री का प्रयोग	प्रति इकाई एलडीपीई सामग्री की लागत वृद्धि	एलडीपीई सामग्री की लागत वृद्धि	तैयार उत्पाद कीमत के रूप में लागत वृद्धि का %
एलडी फोम	4" मैट्रेस (पीयू+पीई)	3,500	1500	116.0	8.2	0.23%
एलडी फोम	43" टीवी पैकिंग	35000	1000	77.3	5.5	0.02%
एलडी फोम	250 लीटर फ्रिज की पैकिंग	16000	500	38.7	2.7	0.02%
मिल्क फिल्म	1 लीटर मिल्क पाउच	50	2	0.2	0.0	0.02%
थ्रिंक फिल्म	कोल्ड ड्रिंक 12x2.25 लीटर	1140	17	1.5	0.1	0.01%
लेमिनेट्स	सैक पैकेजिंग 50 ग्राम	10	1	0.1	0.0	0.05%

एलडी ईसी	तारपोलिन (200 जीएसएम, 3X4) वर्ग मीटर	550	528	50.6	2.9	0.53%
एलडी ईसी	पोडलाइनर (500-माइक्रोन, 3 x 4) वर्ग मीटर	1200	1200	115.0	6.6	0.55%
एलडी डब्ल्यू एंड सी	185 वर्ग मि. मी. 11 केवी एक्सएलपीई एल्यूमीनियम केबल	1600	400	30.9	0.0	0.00%

200. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

201. दिए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जिन्हें उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
- ख. यद्यपि सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति है, तथापि यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि इससे घरेलू और निर्यात बिक्रियों के बीच उचित तुलना नहीं हो सकी है।
- ग. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि कतर और यूएई से निर्यात का पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि भारत में कतर और यूएई से आयात पाटित आयात नहीं हैं। नियमावली के नियम 14(ग) में अपेक्षित है कि प्राधिकारी किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि वह निर्धारित करते हैं कि पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के 2 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार नियमावली के नियम 14(ग) के अनुसार यूएई और कतर से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के विरुद्ध जांच समाप्त की जाती है। तदनुसार, संबद्ध देशों में केवल यूएसए, सऊदी अरब, सिंगापुर, और थाइलैंड शामिल हैं।
- घ. संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों अर्थात् यूएसए, सऊदी अरब, सिंगापुर, और थाइलैंड से भारत में पाटन किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक है और संबद्ध देशों के लिए काफी अधिक है।
- ड. भारत में आयातों की मात्रा में 2018-19 में गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाई थी। तथापि, जांच अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- च. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- छ. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है क्योंकि घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई है।
- ज. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2018-19 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है।
- झ. यद्यपि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है परंतु अन्य अवधि में यह बढ़ा है। तुलनात्मक रूप से आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में कमी आई है। यद्यपि वह पूर्ववर्ती वर्ष से अधिक है। घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के साथ बराबरी करने के लिए अपनी बिक्री कीमत कम करके अपना बाजार हिस्सा बनाए रखा है।

- ज. घरेलू उद्योग की मालसूची में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ट. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।
- ठ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रति इकाई ईबीआईटीडीए में गिरावट आई है अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के लिए वित्त और मूल्यहास लागत में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- ड. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंड आयातों से प्रभावित नहीं हुए हैं, तथापि कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में भारी प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित हुआ है। इसका अर्थ है कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम था। तथापि, उसे हिस्सा बनाए रखने के लिए अपने लाभ से समझौता करना पड़ा और कीमतें घटानी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत से कम कीमत पर प्रवेश किया। आयातों की कीमतों में एथेलीन की कीमत में वृद्धि के बावजूद कमी हुई। अतः, यह स्पष्ट है कि यद्यपि घरेलू उद्योग को अपने मात्रात्मक मापदंडों में क्षति नहीं हुई है, तथापि आयातों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ढ. घरेलू उद्योग अनेक पॉलिमर के उत्पादन में शामिल है, तथापि क्षति विश्लेषण समान वस्तु या उत्पाद के सीमित समूह के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में करना अपेक्षित है जिसमें समान वस्तु शामिल है। अतः, समग्र रूप से पॉलिमर क्षेत्र का कार्य-निष्पादन संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन का निर्धारक नहीं है।
- ण. घरेलू उद्योग को क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण हुई है और इस क्षति के लिए कोविड-19, संयंत्र का बंद होना, क्षमता में वृद्धि, घरेलू उद्योग द्वारा आयात या नेप्था के प्रयोग सहित अन्य ज्ञात कारकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- त. अन्य देशों से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से काफी अधिक है।
- थ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से स्वदेशी उत्पाद को बुरी तरह प्रभावित करेगा, जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं या डाउनस्ट्रीम उद्योग या आम जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- द. पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता बाधित नहीं होगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि वह उचित कीमत पर उपलब्ध हो। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद को कतर, यूएई, बेल्जियम, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य जैसे अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है।
- ध. डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमतों पर शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना और की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
- प. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
202. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध और प्रस्तावित उपायों के प्रभाव के पहलुओं संबंधी सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन के प्रभाव को समाप्त करने, और घरेलू उद्योग की क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
203. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के

आयातों पर पांच साल की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर शामिल होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब	सऊदी अरब	राबिघ रिफाइनिंग ऐंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	48.73	मी.टन	यूएसडॉलर
2	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सादारा केमिकल कंपनी,	48.73	मी.टन	यूएसडॉलर
3	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई)” अथवा हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी इथाइलिन ऐंड पोलिथाइलिन कंपनी	17.05	मी.टन	यूएसडॉलर
4	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई देश	क्र.सं. 1,2 और 3 से इतर कोई उत्पादक	70.09	मी.टन	यूएसडॉलर
5	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन	सऊदी अरब, थाइलैंड, सिंगापुर, और यूएसए से	सऊदी अरब	कोई	70.09	मी.टन	यूएसडॉलर

		*	इतर कोई अन्य देश					
6	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कोई	185.17	मी.टन	यूएसडॉलर
7	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब, थाइलैंड, सिंगापुर, और यूएसए से इतर कोई अन्य देश	सिंगापुर	कोई	185.17	मी.टन	यूएसडॉलर
8	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई)" अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	थाइलैंड	थाइलैंड	थाई पोलिइथाइलीन कंपनी लिमिटेड	89.14	मी.टन	यूएसडॉलर
9	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	थाइलैंड	थाइलैंड	पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड	134.47	मी.टन	यूएसडॉलर
10	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्रम सं. 12 और 13 से इतर कोई अन्य उत्पादक	216.76	मी.टन	यूएसडॉलर
11	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब, थाइलैंड, सिंगापुर, और यूएसए से इतर कोई	थाइलैंड	कोई	216.76	मी.टन	यूएसडॉलर

			अन्य देश					
12	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	यूएसए	यूएसए	वेस्टलेक पोलिमर्स एलएलसी	NIL	मी.टन	यूएसडॉलर
13	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	यूएसए	यूएसए	वेस्टलेक लॉगव्यू कारपोरेशन	NIL	मी.टन	यूएसडॉलर
14	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	क्रम सं. 12 और 13 से इतर कोई अन्य उत्पादक	74.27	मी.टन	यूएसडॉलर
15	3901	लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई) अथवा हाई प्रेसर पॉलिइथाइलीन *	सऊदी अरब, थाइलैंड, सिंगापुर, और यूएसए से इतर कोई अन्य देश	यूएसए	कोई	74.27	मी.टन	यूएसडॉलर

*विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 0.925 जीएम/क्यूबिक सीएम से अधिक घनत्व वाले यौगिक एलडीपीई और एलडीपीई शामिल नहीं हैं।

ठ. आगे की प्रक्रिया

204. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2022

FINAL FINDING**(Case No. AD (OI) 25/2020)**

Subject: Anti-dumping investigations concerning imports of “Low Density Polyethylene (LDPE)” from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America.

F. No.6/30/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA) (hereinafter referred to as the “applicant”) requesting initiation of an anti-dumping investigation under the Act and the Rules on the imports of “Low Density Polyethylene (LDPE)”, (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America (hereinafter referred to as the “subject countries”). Reliance Industries Limited (RIL), which is a member of CPMA and a producer of the product under consideration in India (herein after referred to as “applicant producer”), has provided the prescribed information in the application.
2. The Authority, on the basis of a duly substantiated application filed and sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/30/2020-DGTR dated 23rd October, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 23rd October 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 23rd October 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers and users in India, user associations and other interested parties, as per the details made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassies of the subject countries along with the details of the known producers/exporters from the subject countries.
 - f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested

parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 19th November 2020, the time was extended up to 27th December 2020. Further vide communication dated 21st December 2020, the time was extended up to 10th January 2021. Thereafter, vide communication dated 8th January 2021, the time was extended up to 24th January 2021.

- g. The following Governments made submissions during the course of the investigation:
 - i. Ministry of Economy, UAE
 - ii. General Authority of Foreign Trade, Saudi Arabia
- h. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C, Qatar
 - ii. Al-Jubail Petrochemical Company (KEMYA), Saudi Arabia
 - iii. International Polymers Company, Saudi Arabia
 - iv. Rabigh Refining & Petrochemical Company (“Petro Rabigh”), Saudi Arabia
 - v. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
 - vi. Saudi Ethylene and Polyethylene Company (SEPC), Saudi Arabia
 - vii. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
 - viii. Amiz Exports, Singapore
 - ix. Asia Polyfilm Singapore PTE Limited, Singapore
 - x. Euro Pacific Commodities Pte Limited, Singapore
 - xi. Nissen Chemical Singapore Pte Limited, Singapore
 - xii. The Polyolefin Company (S) Pte Limited, Singapore
 - xiii. PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand
 - xiv. Thai Polyethylene Company Limited, Thailand
 - xv. TPI Polene Public Company Limited, Thailand
 - xvi. Borouge, UAE
 - xvii. Chevron Philips Chemical, USA
 - xviii. Dow Inc., USA
 - xix. Equistar Chemicals LP., USA
 - xx. Exxon Mobil Corporation, USA
 - xxi. Farnosa Plastics Corporation, USA
 - xxii. Flint Hills Resources LLC, USA
 - xxiii. Sasol USA Corporation, USA
 - xxiv. Westlake Chemical Partners, USA
- i. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted exporters’ questionnaire responses and/or legal submissions:
 - i. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C, Qatar
 - ii. Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C, Qatar
 - iii. Al-Jubail Petrochemical Company (KEMYA), Saudi Arabia
 - iv. Aramco Chemicals Company, Saudi Arabia
 - v. Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) L.L.C, Saudi Arabia

- vi. Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V., Saudi Arabia
- vii. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
- viii. Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia
- ix. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
- x. Borouge Pte Limited, Singapore
- xi. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore
- xii. Marubeni ASEAN Pte Limited, Singapore
- xiii. SABIC Asia Pacific Pte Limited, Singapore
- xiv. Sumitomo Chemical Asia Pte Limited, Singapore
- xv. GC Marketing Solutions Company Limited, Thailand
- xvi. PTT Global Chemical Company Limited, Thailand
- xvii. SCG Performance Company Limited, Thailand
- xviii. SCG Plastics Company Limited, Thailand
- xix. Thai Polyethylene Company Limited, Thailand
- xx. Abu Dhabi Polymers Company Limited, UAE
- xxi. Basell Trading International FZE, UAE
- xxii. Dow Chemical International Private Limited, UAE
- xxiii. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, UAE
- xxiv. National Petrochemical Industrialization Marketing Company Limited, UAE
- xxv. Rabigh Refining & Petrochemical Company, UAE
- xxvi. Saudi Ethylene and Polyethylene Company, UAE
- xxvii. Equistar Chemicals LP, USA
- xxviii. Westlake Longview Corporation, USA
- xxix. Westlake Polymers LLC, USA
- xxx. Renuka Agencies Limited, Hong Kong
- xxxi. Tetra Pak Global Supply SA, Switzerland
- j. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Aculife Healthcare Private Limited
 - ii. Amanta Healthcare Limited
 - iii. Balmer Lawrie-Van Leer Limited
 - iv. Cipla Limited
 - v. Elite Industries
 - vi. Essel Propack Limited
 - vii. Huhtamaki PPL Limited
 - viii. International Packaging Products Private Limited
 - ix. ITC Limited
 - x. Jagriti Plastics Limited
 - xi. Kuloday Technopack Private Limited
 - xii. K V N Impex Private Limited

- xiii. Lila Polymers Private Limited
- xiv. Otsuka Pharmaceutical India Private Limited
- xv. Overseas Polymers Private Limited
- xvi. Polycab India Limited
- xvii. P P Products Private Limited
- xviii. Tetra Pak India Private Limited
- xix. The Supreme Industries Limited
- xx. Sterlite Power Transmission Limited
- xxi. Sumati Plastic Private Limited
- xxii. Uflex Limited
- xxiii. Uma Polymers Limited
- xxiv. Universal Cables Limited
- k. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:
 - i. Paharpur 3P Private Limited
 - ii. Tetra Pak India Private Limited
 - iii. SABIC Research & Technology Private Limited
 - iv. Uflex Limited
 - v. Ultimate Flexipack Limited
- l. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 23rd October 2020 to the following known Associations of the subject goods in India:
 - i. All India Federation of Plastics Industries
 - ii. All India Plastic Industries Association
 - iii. All India Plastic Manufacturers' Association
 - iv. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 - v. Chemicals & Petrochemicals Manufacturers Association
 - vi. Confederation of Indian Industry (CII)
 - vii. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
 - viii. The Southern India Mill's Association (SIMA)
- m. The following associations have made legal submissions during the course of the investigations.
 - i. Telangana And Andhra Plastics Manufacturers Association
 - ii. All India Plastics Manufacturers' Association
 - iii. Organization of Plastics Processors of India
- n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 19th May 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- o. In accordance with the provisions of Rule 17(1)(a), the Central Government extended the time period for extension of investigation by two months, till 31st January, 2022. Later, the Central Government extended the time period for completing the investigation by another two months i.e. till 31st March, 2022.
- p. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of

them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.

- q. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2019 – 30th June 2020 (15 months). The injury examination period has been considered as the period from 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 - 31st March 2018, 1st April 2018 - 31st March 2019, and the period of investigation.
- r. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) for the subject goods for the injury period, including the period of investigation, and analysed the data after due examination of the transactions.
- s. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- t. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether an anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- u. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding.
- v. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would form the basis of the final findings was issued to the interested parties on 17.01.2022 and the interested parties were allowed time up to 24.01.2022 to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- y. ‘***’ in these findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= Rs. 72.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration (hereinafter also referred to as “PUC”) was defined as-

“3. The product under consideration is "Low Density Polyethylene (LDPE)" or "high pressure polyethylene", excluding (a) compounded LDPE, and (b) LDPE having density greater than 0.925 GM/cubic CM (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration"). It is, however, clarified that base LDPE imported for the purpose of compounding in India is covered within the scope of product under consideration.

4. Polyethylene is a thermoplastic made by polymerisation of monomer ethylene. LDPE is a type of polyethylene, having a density range of 0.910-0.935 grams per cubic centimeter and is often referred to as the "branched" polyethylene. Its molecular structure is characterized by the presence of many asymmetrical branches (some relatively long) on the chain of carbon atoms

5. LDPE is produced using high-pressure reactors, either through tubular or stirred autoclaves. In a

typical high-pressure process, ethylene feed is mixed with a purified recycle stream. Initiator and chain transfer agents are added to the mixture, which is then compressed to approximately 300 bars. The feed is then further compressed to the polymerization pressure in a hyper-compressor (2,000 to 3,000 bars) and fed to the reaction section. At the outlet, unreacted ethylene is removed and recycled. Polyethylene is then fed to an extruder and the product is pelletized for shipment.

6. It is used in applications requiring clarity, inertness, processing ease, sealability, moisture barriers, and good electrical properties. It is also used for producing trash bags, carrier bags, heavy duty bags, agricultural films, automatic packaging films and bags for food and sanitary articles, frozen food packaging, shrink and stretch hood film, surface protection film, lamination film, bubble wrap, adhesive tape backing films, foam for manufacture of mattresses etc.

7. The product under consideration is classified under chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the custom heading 3901. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

C.1. Submissions by the other interested parties

5. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to the product under consideration and like articles:
 - a. The product under consideration was redefined vide letter dated 17th September 2020 to include grades not produced by the petitioner. However, the value and volume of imports were not revised post modification in the scope of the product under consideration.
 - b. The product under consideration includes those items which are not manufactured by the domestic industry. RIL does not produce all the film autoclave grades manufactured by Muntajat. For instance, it does not produce a grade similar to FB3003, which has no additives, has a lower melt index and is used in wide width film for agriculture use and shrink hoods as well as seamless multilayer tubes for cosmetic packaging. Grades produced by RIL are used mainly in shrink film applications.
 - c. Since grade EC4062AA of Westlake has been developed specifically for one Tetra Pak, It is a customised grade having distinct properties, usage and price and it does not compete with the goods produced by the domestic industry or other exporters.
 - d. Extrusion coating grade 1070LA17 manufactured by the domestic industry is not comparable and substitutable with EC4062AA. EC4062AA is used to manufacture 6-layer packaging material consisting of paperboard, aluminium foil and polymer which is used in packaging liquid food products and do not require cold chain. While EC4062AA has melt flow index of 8.5 g/10 min and density of 918-920 g/m³, 1070LA17 has melt flow index of 7.0 g/10min and density of 917 g/m³. Due to this difference, use of 1070LA17 would reduce the speed of production, cause edge instability, cause problems with high temperature and impact the food safety. EC4062AA is different from other grades in terms of good adhesion properties, ability to run at high-speed lines, ability to melt rapidly and adhere the paper board together, suitable rheological properties for extrusion coating and lamination.
 - e. The Authority has excluded products not manufactured by the domestic industry in various investigations such as those concerning imports of Hot rolled flat products, coated paper, high tenacity polyester yarn, straight length bars, nylon filament yarn, gypsum plaster board and PVC suspension grade resin.
 - f. In Oxo Alcohols Industries’ Association V. Designated Authority, CESTAT held that imports of a product not manufactured by domestic industry cannot cause injury to it and such product should be excluded from the scope of the product under consideration.
 - g. Extrusion coating grade PRC L705, produced by Petro Rabigh is not comparable and substitutable with 1070LA17 and is a customized grade having distinct properties and usage. It is used to manufacture food packaging bags and paperware and should be excluded from the scope of the product under consideration. PRC L705 has higher tensile strength, tear strength, bending resistance, punching resistance, heat seal strength and melt temperature than 1070LA17. It is also adequate for use in heavy industrial applications. While PRC L705 has melt flow index of 8.5 g/10 min and density of 0.919 g/cm³, 1070LA17 has melt flow index of 7.0 g/10min and density of 0.917 g/cm³. Due to this difference, PRC L705 is used in extrusion coating machines with speed below 300m/min.
 - h. Filing of product catalogue does not demonstrate that the applicant has produced and sold the product.
 - i. The applicant has considered certain transactions of compounded LDPE within scope of the subject

imports, which casts a doubt on the veracity of the data provided.

- j. It must be explained how the transaction-wise data has been sorted based on the use of the product.

C.2. Submissions by the domestic industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

- a. The product under consideration is low density polyethylene or high-pressure polyethylene excluding compounded LDPE and LDPE having density greater than 0.925 GM/cubic cm. The scope includes base LDPE imported for the purpose of compounding in India.
- b. The interested parties have contended that the petition was not updated post modification of the scope of the product under consideration. However, the revised product scope was a simplified version of the product scope given in the petition.
- c. FB3003 manufactured by Muntajat should not be excluded from the scope of product under consideration as the applicant has produced comparable grade, 22FA002. Both the grades are used for heavy duty film applications and the users are using them interchangeably. The comparability of the product is determined based on usage. Further, the grades produced by the applicant are comparable to the imported goods in terms of melt flow index and density to FB3003. A list of same customers which are using FB3003 and 22FA002 interchangeably has been provided by the applicant.
- d. Contrary to the claims of the interested parties, EC4062AA should not be excluded from the scope of the product under consideration as there is only a minor difference between EC4062AA and 1070LA17 produced by the applicant. Tetra Pak is importing EC4062AA as its global procurement is managed and controlled from its headquarters in Switzerland and not due to unavailability of domestic alternates. The applicant has sold 1070LA17 to numerous users who have used it for the same purpose, which is, paperboard coating and aluminium foil. The applicant have furnished invoices of sale of 1070LA17 to customers which use the said grade for the same purpose as that of use of EC4062AA by Tetra Pak.
- e. Contrary to the submissions of the interested parties, the melt flow index of 1070LA17 is 8.5 g/10 min. PRC L705 produced by Petro Rabigh should not be excluded from the scope of the product under consideration as it is comparable to 1070LA17 produced by the applicant. Both are meant for extrusion coating applications and used by the same users interchangeably.
- f. The applicant has filed invoices of sales of the Grade 1070LA17 manufactured by it.
- g. The inclusion of compounded LDPE within the scope of imports, as highlighted by the interested parties, was an inadvertent error. The impact of such inclusions is negligible. Correction of data shows that price of imports was lower than claimed.
- h. The import segregation methodology has been given in the petition. For transactions where product was not specified in the description, product under consideration has been identified based on use. For instance, for transactions where description was not clear and the transactions mentioned the word “lab purpose” were excluded from the scope of the product under consideration as the same pertain to medical grade LDPE.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration is Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene, excluding compounded LDPE, and LDPE having density greater than 0.925 GM/cubic CM. Base LDPE imported for the purpose of compounding in India is covered within the scope of the product under consideration. LDPE is a type of polyethylene, having a density range of 0.910-0.935 grams per cubic centimeter and is referred to as the branched polyethylene.
8. The product under consideration is classified under chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the custom heading 3901. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
9. Some of the interested parties have claimed that the product under consideration was redefined to include grades not produced by the applicant. The Authority notes that the scope of the product under consideration has remained the same throughout the investigation. Following pre-initiation discussions, the applicant has redefined the language of the product exclusion to make it simpler and easy to understand. However, there was no enlargement in the scope of the product under consideration.

10. Some of the interested parties have claimed that the Grade EC4062AA produced by Westlake Longview Corporation and Westlake Polymers LLC are completely different from the Indian products and should be excluded from the scope of the product under consideration. Further, they have submitted that PRC L705 manufactured by Petro Rabigh should be excluded from the scope of the product under consideration. The Authority notes that there is only a slight difference highlighted by the interested parties in terms of melt flow index and density between the grade 1070LA17 produced by the domestic industry and EC4062AA exported by the interested parties. However, the two grades are used for the same purposes, that is, paperboard coating and aluminium foil. This is evident from the product catalogues of the exporters and the domestic industry. The applicant has furnished data on record relating to sale of grade 1070LA17 to users in India which are using the product for the same purpose. Merely because a user chooses to import the product from a particular supplier does not imply that the product supplied by the domestic industry is not like article to the imported product. A product type can be excluded from the scope only if the domestic industry is not producing and selling like article. Thus, the same cannot be excluded from the scope of the product under consideration. Similarly, grade PRC L705 and 1070LA17 are comparable as both are used interchangeably by users in extrusion coating applications.
11. Some of the interested parties have claimed that grade FB3003 manufactured by Muntajat should be excluded from the product under consideration. However, the Authority notes that the domestic industry has provided evidence of production and sale of 22FA002 which is a comparable grade of FB3003. Both the grades have similar melt flow index and density and are used in application related to heavy duty films. Accordingly, the same cannot be excluded from the scope of the product under consideration. As per the information on record, the users are using grade FB3003 and 22FA002 interchangeably.
12. In view of the foregoing, the Authority concludes that the product produced by the domestic industry is like article to product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject countries in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.
13. As regards the concerns regarding appropriateness of segregation of transaction-wise data, the Authority had called for data from DGCI&S. The Authority has considered such data, after due segregation to exclude transactions not relating to the product under consideration. The present Final finding is based on the data called from DGCI&S and analysed by the Authority as well as discussions held with the domestic industry with regards to import segregation methodology adopted by them.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by the other interested parties

14. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. The applicant does not constitute domestic industry as it has imported significant quantities of the product under consideration, and has not shown existence of exceptional circumstances as required as per the Manual of Operating Practices.
 - b. The Authority must examine the purpose of imports by the domestic industry, regularity of such imports, whether the imports were made to supplement the product range and whether such imports were made to do some R&D.
 - c. The imported goods by the applicant, in the range of imports (0-10%) in relation to total imports is wide and 10% imports cannot be considered negligible.
 - d. Temporary shutdown of one of the plants is not a valid reason for importing substantial quantity of goods. The petitioner holds 75% market share, has three plants for production of the subject goods, as such imports cannot be for testing / sample purposes and the applicant has benefitted from low-priced imports.
 - e. CPMA has not submitted the documents prescribed for applicant association, including the copy of the minutes of the meeting in which it was resolved that such an application would be filed and list of members who supported, opposed or remained neutral. Therefore, it is unclear if CPMA has the locus to file the petition.

D.2. Submissions by the domestic industry

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- The Application has been filed by Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association and the data has been provided by Reliance Industries Limited which is the sole producer of the subject goods in India.
 - Regarding the contention that standing is not clear as CPMA has not provided its documents, it was submitted that RIL is the sole producer of the subject goods and even if other members of the association oppose the petition, it still satisfied the requirement of Rule 5(3).
 - The applicant has imported the subject goods from a subject country to cater to the demand of its customers during the period when the domestic plant was shut down. The imports were less than 1% as compared to total imports, demand in India as well as production and sales of RIL.
 - The order for the imported goods was placed prior to the period of investigation but they were shipped later by the exporter and were received by the applicant producer during the period of investigation.
 - The applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The application has been filed by Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA) and the data has been provided by Reliance Industries Limited (RIL) which is the sole producer of the subject goods in India. RIL has also sought imposition of antidumping duty. RIL has certified that it is not related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the product under consideration in India.
18. Reliance Industries Limited has imported the subject goods from Qatar at the time of temporary shutdown of its production. The volume of such imports is negligible in relation to the subject imports, demand in India, and its production and consumption as is evident from the table below. RIL has provided evidence that the order for these imports was placed prior to the period of investigation, but the material was received in the period of investigation. The fact has been verified by the Authority from the invoices and bills of entry placed on record by the domestic industry.

Particulars	Quantity (MT)	Imports in relation to (%)	Imports in relation to (%) Range)
Imports made by RIL	***		
Subject imports	***	***	<1%
Demand in India	***	***	<1%
Production of RIL	***	***	<1%
Domestic sales of RIL	***	***	<1%

The Authority notes that the imports by RIL are negligible in volume and were made during the period when its plant was shut down. In view of the same, the Authority finds it appropriate to consider that RIL is eligible to constitute domestic industry.

19. In view of the above, and after due examination, the Authority holds that the RIL (“applicant producer”) constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions by the other interested parties**

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality:
- The applicant has claimed excessive confidentiality as all the injury data in the petition is indexed.
 - Excessive confidentiality has been claimed by the applicant as no information has been disclosed in Section VI of the non-confidential version.
 - Even though the domestic industry disclosed production, capacity utilization and sales in the earlier investigations, it has claimed confidentiality in the present investigation.
 - The applicant has not followed Trade Notice 10/2018, has not shown good cause for excessive confidentiality and should be directed to furnish a revised petition. The non-injurious price has been provided in the range of +/-300%, Imports made by the domestic industry has been provided in the range of +/-10%. Purchase quantity and value of product under consideration, average industry norms for capacity utilisation, productivity per day, inventory, return on investment, R&D expenses, funds raised, export price per unit and sales realisation for SSI units have not been provided.
 - The applicant has claimed excessive confidentiality with regard to imports made by it, import volumes compared to demand and production, production capacity in India, demand-supply gap, excess imports, cost of ethylene, landed price of imports compared to cost of input, production of the domestic industry, market share, inventory holding days, cost of production, selling price, profit or loss, target return, price undercutting, injury margin, dates of plant shutdown, dates of dispatch of import consignments and data of RIL. No non-confidential summaries were provided.
 - Since utilities consumption, cost of production, raw material and packing material consumption are required to be provided for over a period, trend thereof should have been provided.
 - Justification table indicating reasons for confidentiality are not as per the format prescribed by the Authority.
 - In accordance with the decision of the Tribunal in the case of Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, transaction-wise import data relied upon by petitioner should be provided in a form and manner as was taken on record by the Authority, so that exporters can offer meaningful comments.
 - The confidentiality claims made by ADPCL have already been examined by the Authority and no deficiencies have been raised by the Authority in this regard.

E.2. Submissions by the domestic industry

21. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to confidentiality:
- The applicant has fulfilled its obligation under Trade Notice 07/2018 by providing PDF format of import data. No prejudice has been caused to the interested parties on not obtaining such data from the Authority as the Authority authorizes all the interested parties for obtaining such data from DGCI&S.
 - The applicant has not claimed excessive confidentiality as trends of export price has been provided. The applicant has not purchased the product under consideration and the range of imports has been provided.
 - The R&D expenses and funds raised are not identifiable separately for the product under consideration and reference has been given to the financial statements which are public documents.
 - Disclosure of non-injurious price would allow the customers to benchmark their prices from the domestic industry. The same has been disclosed in a broader range.
 - The information for which disclosure has been sought by the interested parties are confidential in nature and cannot be disclosed. The interested parties have themselves not followed the guidelines given in Trade Notice 10/2018.
 - The information in Section VI relates to business proprietary information and cannot be disclosed. While the interested parties have contended that such information has not been shared, they have themselves have not provided their own sales process.
 - Contrary to the claims of the interested parties, the justification table for reasons of confidentiality provided by the applicant is as per the format prescribed by the Authority.

- h. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has claimed confidentiality in line with Trade Notice 10/2018 and the Authority has duly verified its claims.
- i. Since the applicant is not aware of average industry norms for capacity utilisation, productivity per day, inventory and return on investment, the same could not be provided.
- j. As regards the contention that the domestic industry disclosed production, capacity utilization and sales in earlier investigation, it was submitted that there was no earlier investigation for the product under consideration and these parameters have been disclosed as per the requirement of the Trade Notice 10/2018.
- k. Regarding the contention that utilities consumption, cost of production, raw material and packing material consumption should be provided as a trend, it was submitted that the interested parties have themselves not disclosed such information.
- l. The other interested parties have claimed excessive confidentiality. The exporters have not disclosed whether they purchased any raw material from related parties.
- m. Rabigh Refining & Petrochemical Company has claimed its annual report and the fact that it procures ethane and butane from Saudi Aramco confidential in the present investigation, while it has disclosed the same in the anti-dumping investigation on imports of MEG.
- n. While Rabigh Refining & Petrochemical Company has disclosed that it supplied LDPE to Aramco Chemical Company, Aramco Chemical Company claimed the entity from which it purchased LDPE confidential.
- o. SABIC has claimed only Saudi Kayan Petrochemical Company, SABIC Asia Pacific Pte Limited and Al-Jubail Petrochemical as related parties in LDPE. In anti-dumping investigation on imports of MEG, it has claimed Arabian Petrochemical Company, Jubail United Petrochemical Company Yanbu National Petrochemical Company and Saudi Yanbu Petrochemical Company, in addition to the ones named in LDPE as related parties.
- p. While Saudi Kayan Petrochemical Company has disclosed the names of principal shareholders, it has claimed percentage of holding confidential in LDPE. In the anti-dumping investigation on imports of MEG, it has claimed the percentage of holding confidential while disclosing the names of the shareholders.
- q. While Saudi Kayan Petrochemical Company has named 7 related producers in MEG investigation, it has named only 3 in the LDPE investigation.
- r. Al-Jubail Petrochemical Company has not disclosed that it is related to SABIC. While it has not disclosed whether it has captively produced raw material, its related entities have disclosed the same in MEG investigation. Raw material for MEG being the same, the company forming part of the same group have claimed confidentiality arbitrarily.
- s. While Saudi Kayan Petrochemical Company and Al-Jubail Petrochemical Company have disclosed that they sold to SABIC Asia Pacific Pte Limited, SABIC Asia Pacific Pte Limited has claimed the information on producers confidential.
- t. The other interested parties were under an obligation to disclose all the relevant facts. The Supreme Court in Haldor Topsoe held that even if the burden of proof lies on a party, the court may draw an adverse inference if the other party withholds important documents in its possession.
- u. While a lot of facts have been disclosed in the MEG investigation, they have not been disclosed in the present investigation.

E.3. Examination by the Authority

22. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection as per Rule 6(7) of the Rules.
23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to

any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

24. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claims on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have significant adverse impact upon a person supplying the information or upon a person whom that person acquired the information.), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
25. The other interested parties have stated that the domestic industry has claimed excessive confidentiality relating to production, capacity utilization, sales, purchase quantity and value of product under consideration, export price per unit, sales realisation, market share, inventory holding days, cost of production, selling price, profit or loss, target return, price undercutting, injury margin, dates of plant shutdown, dates of dispatch of import consignments and data of RIL. The Authority notes that the information referred to by the interested parties is confidential information and the disclosure of such information would adversely impact the domestic industry. Further, it is noted that the domestic industry has provided trends of export price in their petition.
26. With regards the R&D expenses and funds raised, the Authority notes the submission of the domestic industry that such information is not product specific and can easily be accessed from the financial statements of the petitioning domestic producer. It has also been contended that the domestic industry has not shared the average industry norms for productivity, capacity utilization, inventory and return on investment. However, the domestic industry has submitted that it is not aware of such norms and hence the same have not been shared.
27. It has been contended that the domestic industry has shared the non-injurious price in a very broad range. The Authority notes that the domestic industry had submitted its non-injurious price and had disclosed the same in a broader range due to the sensitivity of the information as disclosure of the same would lead to the customers to demand lower prices from the domestic industry. However, the Authority has now determined the non-injurious price for the domestic industry upon verification of all information in consonance with Annexure III of the Rules.
28. With regards the claims of excessive confidentiality relating to imports made by the domestic industry, import volumes compared to demand and production, production capacity in India, demand-supply gap, excess imports, cost of ethylene and landed price of imports compared to cost of input, the Authority notes that such information is confidential by nature and disclosure of such information would be prejudicial to the interests of the domestic industry. With regards the information relating to the imports made by the domestic industry, the Authority notes that the volume of such imports in relation to its production has been provided in range in the petition itself.
29. With regards to disclosure of DGCI&S data, the Authority notes that Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for the domestic industry as well as other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests. Further, the applicant has provided a complete list of transaction-wise import data, and a soft copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertakings as per prescribed formats.
30. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested

parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. Due to Covid 19 pandemic, the Authority directed all the interested parties to share the non-confidential version of submissions made by each interested party with other interested parties through e-mail.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions by the other interested parties

31. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. Despite a period of one month between the initiation of investigation, and the last iteration of data, the Authority did not instruct the petitioner to file a corrected and updated petition.
- b. The petitioner first submitted a deficient petition with 12 months of period of investigation instead of 15 months. The revised petition was filed subsequently on the request of the interested parties.
- c. The Authority did not have the prima facie evidence of dumping or injury for the 15 months period of investigation before initiating the investigation.
- d. The Authority should explain the approach for choosing 15 months period of investigation which covers the period in which there was a national lockdown in India.
- e. Injury was claimed on erroneous and outdated data and hence does not constitute “positive evidence”. The claims hold no value in light of updated data.
- f. There are major discrepancies in the original petition and the updated information, including the data for cost of sales, PBIT per unit, total profits before interest and tax changed, interest/finance charges, return on investment, cash profits, net fixed assets and working capital changes for the injury period in the updated petition. The information provided in the original petition formed the basis for initiation and cannot be changed at a later stage.
- g. The injury data was updated on at least four occasions, which were not taken into account in presenting the case of material injury on behalf of the petitioner. Due to repeated changes made in the data, without providing any consolidated set of information and supporting arguments, the arguments in the petition cannot be said to be made based on adequate, verifiable, and reliable data.
- h. The evidence submitted to DGTR for initiation must be of adequate quality to constitute sufficient, adequate and accurate evidence, as held by the Panel in US – Softwood Lumber and Guatemala – Cement II. However, the Authority has initiated the investigation based on prima facie evidence.
- i. The initiation is bad in law as some of the relevant economic factors have not been evaluated. Data on price, costs, investments, employment and stocks are not provided and analysed in the narrative of the petition.
- j. The domestic industry has not demonstrated appropriateness of interim duties. As per the Manual, provisional duties may be imposed where imports have intensified since initiation of the investigation, causing injury to the industry.
- k. The applicant must clarify the reason for increase in interest and finance cost in the updated data, which might have been done deliberately to show increased injury.

F.2. Submissions by the domestic industry

32. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry, in response to the contentions of the other interested parties.

- a. There is no provision mandating filing of a revised petition post initiation, and accordingly, the same was not required.
- b. Submission filed by Telangana and Andhra Plastics Manufacturers Association should be rejected as it is not a registered interested party and has filed submission 3 days post the deadline announced by the Authority.
- c. Regarding the contention that a deficient petition with 12 months data was filed instead of 15 months, it was submitted that the investigation was initiated based on data for the period of investigation April 2019 – March 2020. Thereafter, the Authority updated the period of investigation to 15 months and the applicant filed the updated data within the time limit prescribed by the Authority.
- d. There is no change in the selling price and return on investment provided prior to initiation and post

initiation. A minor change in cost of sales, profits / loss per unit and cash profits is due to slight change in interest cost. The Authority can undertake the verification of the data as deemed necessary.

- e. The interested parties have contended that the data of the domestic industry has changed. However, such changes were not significant. Barring minor change in net fixed assets and updation of DGCIS data, the data was modified as per the instructions of the Authority. The Authority duly satisfied itself with the data provided and asked the domestic industry to change the methodology where it did not agree.
- f. Contrary to claims of the interested parties, the Authority needs to examine the information for the proposed period of investigation before initiation and can change the period of investigation at the stage of initiation. This has been consistently done by the Authority in multiple investigations.
- g. Contrary to claims of the interested parties, only prima facie evidence is required at the stage of initiation as was held by High Court in Rajasthan Textile Mills Association v. Dir. General of Anti-Dumping and by Tribunal in Huawei Technologies Co. Ltd. V. Designated Authority and Automotive Tyre Manufacturer's Association V. Designated Authority.

F.3. Examination by the Authority

33. The interested parties have highlighted that the investigation was initiated with 15 months as the period of investigation based on an application having a period of investigation of 12 months. The Authority notes that the application was filed by the applicant on 13th July 2020, with a period of investigation of April 2019-March 2020. However, the investigation was initiated on 23rd October 2020. In accordance with the explanation introduced to the definition of period of investigation, vide Notification No. 9/2020-Customs (N.T.) dated 2nd February 2020, the period of investigation cannot be more than six months old on the date of initiation. Therefore, the Authority included the period up to June 2020 within the period of investigation, in consonance with the said explanation.
34. The interested parties have also contended that the applicant did not file a revised petition for the period of investigation of 15 months. It is noted that the applicant had filed data for the updated period of investigation, post initiation of investigation. The non-confidential version of the same was circulated to all other interested parties.
35. The applicant has provided a duly substantiated application based on which the present investigation was initiated. The investigation was initiated after prime facie satisfaction regarding existence of dumping, injury and causal link based on the period of investigation proposed by the applicant. A non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation. Further, subsequent to initiation, further information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant.
36. The interested parties have stated that data of the domestic industry has changed on multiple occasions. The Authority has examined the changes made. The Authority notes that on two occasions, on 13th August 2020 and on 23rd September 2020, the domestic industry has changed the data pursuant to queries raised or instructions issued by the Authority. Further, on 18th August 2020, the applicant brought the transaction-wise data released by DGCIS for the month of March 2020 on record and made consequential changes to the injury parameters as a result of the same. Lastly, the domestic industry has made certain corrections to the interest cost reported for previous years, while filing data for the period of investigation post initiation. The interest cost reported by the applicant has been verified by the Authority in detail. Only such verified interest cost, subject to necessary modifications, has been considered for the present purposes.
37. The interested parties have also contended that there is no justification for imposition of interim duties. Since the Designated Authority has not recommended the imposition of interim duties, such concerns are not required to be addressed at this stage.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the other interested parties

38. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. Normal value cannot be determined based on published prices as the point of sale or terms of sale for the price cannot be ascertained, nor whether such sales are in the ordinary course of trade.
 - b. Prices published in trade journals cannot be considered, unless such information mentioned is based on public documents, as held in the case of Dye Stuff Manufacturers Association of India vs. Govt. of India.

The prices in the journals are based on assumptions and cannot be considered to correctly reflect the actual prices. Though there have been a number of investigations cited by the applicant in which data from journals has been relied upon, but such practice cannot overrule the CESTAT decision in Dye Stuff Manufacturer's Association.

- c. The normal value determined for Qatar and Saudi Arabia is not appropriate as the selling price can be disregarded only where volume of sales is low, there is a particular market situation or there are no sales in ordinary course of trade as held in EC-Tube or Pipe Fittings.
- d. The import price relied upon pertains to all GCC members and not to Qatar and Saudi Arabia. It is not permissible to establish normal value based on import price from third country. If out of country data is used for normal value, it needs to be adjusted to ensure it reflects conditions of competition in the subject countries.
- e. Adjustments made to import price are not based on costs relevant to Qatar, for instance, terminal handling charges have been determined based on port in UAE.
- f. The normal value determined for USA is not appropriate as the applicant has not provided the source of rail car cost claimed as adjustment and normal value does not take into account several post factory expenses.
- g. ICIS report, based on which the petitioner has determined normal value, and the basis of adjustment has not been provided. Without the evidence supporting normal value claims, the DGTR could not have examined the accuracy and adequacy of evidence according to Rule 5(3) of the Rules.
- h. Normal value is not set at an ex-factory level but also includes theoretical expenses to CFR Prices which need to be deducted to determine ex-factory price. Therefore, there is no fair comparison in determination of dumping margin.
- i. There is no basis for Authority to know whether delivered prices reported in the petition are fair as the applicant has not disclosed the Platts report or the basis for adjustment claimed. There are other post factory gate expenses such as commission and credit costs that need to be adjusted to calculate ex-factory normal value.
- j. The information provided with regard to normal value, export price and dumping margin does not qualify as positive evidence as it is not "affirmative, objective, verifiable, and credible".
- k. The applicant has not accounted for the factors such as difference in conditions and terms of sales for imports in the subject countries and exports to India, difference in volume of trade and difference in physical and technical characteristics of LDPE, and thus, there is no fair comparison between normal value and export price.
- l. The dumping margin should be calculated based on data submitted by the exporters.
- m. The allegation of a particular market situation in respect of Saudi Arabia is not valid as the issue was raised only during the oral hearing and was not considered by the Authority at the time of initiation.
- n. The table and HSBC report presented by the applicant for ethane prices cannot be considered reliable as the applicant did not provide the source of data in the table for ethane prices in Saudi Arabia and USA. Further, the prices presented were in an indexed form. Even if the table contains prices from some trade journals and articles, the same cannot be relied upon as held by CESTAT in Dye Stuff Manufacturers Association of India V. Government of India.
- o. The contention of the domestic industry that distortion of prices in Saudi Arabia has resulted in a particular market situation in GCC as the entire GCC region is a single customs territory, cannot be accepted.
- p. Since the prices of ethane are lower due to natural advantage enjoyed by the country, it cannot be considered as a particular market situation. DGTR has rejected the similar claims in several investigations against UAE, such as that on imports of clear float glass and plain gypsum plaster boards.
- q. After reforms in 2015-16, the prices of ethane in Saudi Arabia are comparable to prices in other oil rich nations. The feedstock prices in middle east and USA are lower due to oil abundancy and using ethane instead of naphtha for producing ethylene. The cracker plants in Saudi Arabia are located close to the plants which leads to reduction in transportation cost.
- r. Even if price of ethane is lower due to government regulation, such prices are applicable for both

domestic and export sales; and thus, the domestic prices allow a proper comparison with export prices. Reliance was placed on the decision in Australia – A4 Paper.

- s. Price of ethylene cannot be substituted for market price as the government only regulates price of ethane and not ethylene, which is merely an intermediate product made from ethane. The price of the product which is proved to be distorted due to particular market situation only can be substituted, as held by the Panel in Australia – A4 paper.
- t. Rejection of actual cost of the exporter due to government control is inconsistent with the WTO Agreement as held by the Panel in EU – Biodiesel (Argentina) and Ukraine – Ammonium Nitrate.
- u. In the investigation concerning Polypropylene from Saudi Arabia, the cost of production was adjusted as domestic price of propane was lower than its export price. However, it is not the situation in the present case as the government of Saudi Arabia regulates domestic prices which are based on international market prices adjusted for certain cost-based and other commercial considerations.
- v. Findings in case of Rubber Chemicals from China PR, Korea PR and USA, Rubber Chemicals from China PR and PX-13 from China PR and Korea RP dealt with procurement of raw material from non-market economy and cannot be applicable to the present case as Saudi Arabia is a market economy country and Sadara has not procured feedstock from any non-market economy country.
- w. Final findings of European Commission in the case of Biodiesel from Argentina and Indonesia, Mixture of Urea and Ammonium Nitrate from Russia, Trinidad and Tobago and USA, Ammonium Nitrate from Russia, Seamless pipes of iron or steel from Russia and Welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel from China PR, Belarus and Russia have been held as inconsistent with Article 2 of the Anti-dumping Agreement by the Appellate body in EU-Biodiesel (Argentina), EU – Biodiesel (Indonesia) and EU – Cost Adjustment Methodologies II (Russia) respectively. Thus, such findings cannot be relied upon in the present case.
- x. International feedstock prices cannot be used to substitute cost of ethylene in Saudi Arabia. The Appellate Body in EU – Biodiesel held that the Authority cannot simply substitute the cost from outside the country of origin and whatever information is used, it should ensure that such information is used to arrive at cost of production in the country of origin. It was further held that it is necessary to consider costs reflected in the records of the producer, provided that the records reasonably reflect the costs actually incurred.
- y. The Authority must reject the domestic industry's claim to adopt market price of ethylene since it obtains ethylene from affiliated parties, as such claim lacks factual foundation.
- z. Price of ethane purchased from affiliated cannot be rejected as ADPCL has provided detailed information regarding purchase of ethane at arm's length prices from its affiliated party ADNOC, cost of production of ethylene, the published prices of ethane and all other relevant information during the verification.
- aa. Cost of ethylene submitted by ADPCL already includes depreciation cost and thus, the argument of the domestic industry is baseless.
- bb. Since the prices of raw materials are regulated by the Saudi Arabian Government on a non-discriminatory basis, they cannot be considered as affected by any affiliation.
- cc. The findings of Australian Commission in Ammonium Nitrate from Russia are not applicable to the present case as prices of the subject goods in Saudi Arabia are decided by market forces and not by the government and the price of feedstock is regulated in non-discriminatory manner, which was not the case in the Australian case.
- dd. The Australian Commission in the investigation concerning zinc coated (galvanised) steel and aluminium zinc coated steel determined particular market situation for the product under consideration and not raw material, and thus, findings in such case are not applicable.
- ee. Normal value cannot be determined based on domestic sales of other producers.
- ff. If export prices from Saudi Arabia to third countries are considered for normal value, which is one of the options under Section 9A(1)(c), it would be seen that there is no dumping. In Ramchandra Keshav Adke v. Govind Joti Chavare, it was held that when a procedure has been provided in statute for doing a certain thing in a certain manner, it should be done in that manner alone or not at all.
- gg. The EC in its preliminary findings concerning imports of MEG from Saudi Arabia had adjusted the cost

of propane to remove the discount received by the Saudi producers from their affiliate company, Saudi Aramco. However, in the disclosure statement published by the EC, such determinations have been reversed in absence of evidence establishing distortion of input prices due to purchase from affiliated parties and the cost of propane as reported by the producer were used to determine dumping margin.

- hh. ADPCL has disclosed all relevant information to the Authority and hence, submission of domestic industry regarding existence of related entity in India, Borouge (India) Private Limited must be disregarded. Borouge (India) Private Limited is not engaged in import and resale of the PUC.
- ii. QAPCO India is not engaged in import and resale of the PUC.

G.2. Submissions by the domestic industry

39. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- a. There is a particular market situation in GCC and particularly in Saudi Arabia, UAE and Qatar leading to suppression of cost of production and prices in the region which do not allow proper comparison to export price. As evident from the Report of the Working Party on the Accession of Kingdom of Saudi Arabia to the WTO, the domestic prices of ethane and propane have been subject to price and profit control. These prices continue to be subject to regulation even after they were increased by Saudi Arabia in 2016.
- b. As per Platts reports, the price of ethane is fixed at \$1.75/MMBtu, according to the official Saudi Press Agency.
- c. When Saudi Aramco sells ethane and propane domestically at a price below the corresponding equalization prices, it is entitled to compensation from the Government of an amount equal to the cost of the revenues directly forgone as a result of Saudi Aramco's compliance with the Kingdom's current pricing mandates.
- d. The interested parties have contended that the prices of ethane and propane are lower due to regional advantages. However, these prices have not been determined by free market forces but have been decided by the government.
- e. Contrary to the claims of the interested parties, the prices of ethane and propane are regulated in Saudi Arabia even now and are lower than prices in North America. The price is not determined as per the market forces.
- f. Riyadh Capital, an investment banking company has reported that the regulated prices are lower than the prices at which Saudi Aramco would otherwise have sold the product. As per annual reports of Saudi Aramco, it has received about 11-12% of revenue as other income, pertaining to compensation arising from equalization scheme.
- g. In the response filed in the anti-dumping investigation concerning MEG, Petro Rabigh Refining & Petrochemical Company has entered into ethane and butane feedstock supply agreement with Saudi Aramco. They have stated that the price charged by Saudi Aramco is price commonly applied to all industrial producers in Saudi Arabia.
- h. Contrary to the submissions of the interested parties, the distortion in raw material prices in Saudi Arabia has suppressed the prices in the entire GCC region as there are no tariff barriers between the countries constituting GCC. While the information is publicly available only for Saudi Arabia, the facts for Qatar and UAE are the same. The producers from Qatar and UAE must establish that they procured inputs at international prices. GCC constitutes one unified market and price prevailing in one country influences the price in other countries. GCC countries undertake trade remedial investigations as a unified market and cannot take a dual stand when it comes to investigations against them.
- i. The price in Qatar and UAE is distorted as the supplier of input and producer of LDPE are government-owned entities. Further, the two are related due to government ownership.
- j. Foreign producers use natural gas, for the production of steam, nitrogen and power, which is distorted due to government decree in Saudi Arabia and supplied by government owned enterprises in Qatar and UAE. Cost of production of ethylene cannot be adopted without eliminating such distortions.
- k. Contrary to the claims of the interested parties, the particular market situation does not affect the domestic sales price and export price equally. The domestic prices are derived by cost of input and competition between the domestic producers while the export prices are determined based on

competition with other foreign producers which do not have access to distorted inputs. The prices of imports from Middle East have moved in tandem with the price of imports from other subject countries, when seen on a month-wise basis.

- l. In Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper, the Panel held that it is required to be examined whether input price distortion impacts domestic and export sales price unequally. In such a situation the costs adopted may be determined based on undistorted input price, which may be based on out of country benchmark, provided such benchmark is adjusted appropriately.
- m. Regarding the contention that international feedstock prices cannot be used to substitute the cost of ethylene in Saudi Arabia, it was submitted that the Government of Saudi Arabia compensates Saudi Aramco for revenue forgone due to the regulated price. The compensation depends upon comparison with the equalization price which is determined based on export or import parity. Equalization price is considered as a benchmark for unregulated price in the country and reflects the actual sales realization of Saudi Aramco. It does not amount to out-of-country benchmark. The Authority should call upon Aramco Chemicals Company to furnish information regarding equalization prices prevailing during the period based on records of the holding company and adverse inference should be drawn if it is unable to do it and higher of import or export price of ethane and propane may be considered in such a case.
- n. The Government of Saudi Arabia has not established the absence of input price distortion. The documents provided by the Government of Saudi Arabia does not address the concern raised by the petitioner.
- o. In the MEG investigation, it has also been disclosed that the price at which Saudi Aramco supplies fuel oil to Rabigh Refining & Petrochemical Company is government regulated.
- p. Saudi Aramco supplies gas to Rabigh Refining & Petrochemical Company at prices prevailing in Saudi Arabia as established by the Government.
- q. Saudi Aramco has made available revolving corporate facilities for Rabigh Refining & Petrochemical Company. It has leased land to Rabigh Refining & Petrochemical Company at 1 Saudi Riyal per square meter per annum. It granted exclusive rights to use and operate Rabigh Terminal Facilities.
- r. Saudi Aramco and Sumitomo Chemical depute some personnel and technical support to Rabigh Refining & Petrochemical Company to assist in conducting business and operations.
- s. Raw material, utilities and other inputs provided by Saudi Aramco to Rabigh Refining & Petrochemical Company are applicable to other companies as well in Saudi Arabia.
- t. Since the exporters have not put all relevant information on record, it is infeasible at this stage to correctly assess the cost of production of LDPE. To ensure fair comparison, the cost of production of the subject goods should be adjusted for market price of ethylene.
- u. The price of exports of ethylene from Saudi Arabia and UAE provides the market price of ethylene. Since there are no exports of ethylene from Qatar, the price of exports from Saudi Arabia and UAE may be considered for the same.
- v. If the market price of ethylene is not considered, full cost of ethylene must be considered including interest and depreciation cost. This is necessary as the investment in ethylene cracker is significant as compared to LDPE. The major value addition is converting ethane into ethylene and not LDPE from ethylene.
- w. In anti-dumping investigation on imports of Polypropylene from Oman, Saudi Arabia and Singapore, the Authority modified the cost of production in respect of propane prices in Saudi Arabia due to existence of a particular market situation. In anti-dumping investigation on imports of rubber chemical PX-13 from China PR, Korea RP and USA, the Authority adjusted the prices of raw material as the same was distorted due to procurement from non-market economy.
- x. The WTO members continue to examine the possible existence of input price distortion even after the WTO decision in Copy Paper. In 2020, US DOC in anti-dumping investigation on imports of Forged Steel Fluid End Blocks from Germany has concluded the existence of particular market situation.
- y. The European Commission has rejected input prices due to distortion in investigations on imports of biodiesel from Argentina and Indonesia; mixture of urea and ammonium nitrate from Russia; seamless pipes and tubes of iron or steel from Russia and welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel from China PR, Belarus and Russia.

- z. The Australia Anti-Dumping Commission rejected the input prices in investigations on imports of ammonium nitrate from Russia, zinc coated (galvanised) steel and aluminium zinc coated steel from China PR, Korea RP and Taiwan due to market distortions.
- aa. As regards the contention that particular market situation cannot be used to discredit the feedstock cost as it reasonably reflects the cost of production and sales, it was submitted that the applicant has not relied upon the provisions related to “reasonably reflect the cost of production”, but on the provision of particular market situation.
- bb. In response to the contention that the issue of particular market situation was raised at a belated stage, it was submitted that the arguments were raised only after the applicant got questionnaire response after initiation and oral hearing is the first formal opportunity thereafter. There is no bar to raising a contention post initiation.
- cc. The producers in Qatar and UAE are related to suppliers of ethane / propane. The producers in Saudi Arabia are related to Saudi Aramco, supplier of ethane, directly or indirectly. All purchases of raw material and utilities or natural gas for production of utilities are from related parties.
- dd. Saudi Kayan Petrochemical Company and Al-Jubail Petrochemical Company have purchased inputs from Saudi Aramco which is a related entity of SABIC. SABIC has been acquired by Saudi Aramco which is a wholly owned entity of Saudi Government. Even before acquisition, SABIC was a 100% state owned entity, making it related to the government-owned Saudi Aramco. Trade Notice 09/2018 states that person shall be related if under the direct or indirect control of a third person.
- ee. Reliance placed by the other interested parties on disclosure statement issued by the European Commission can only have a persuasive value, while the Trade Notice is binding. The issue involved in the European case is entirely different from the issue in the present case.
- ff. For producers sourcing captive input from affiliates, the input price should be based on market price of the raw material. This is because the prices do not reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration, these need to be rejected and the cost of production needs to be determined based on market price of raw material. In US – OCTG, the Panel held that the authority can reject the price of raw materials purchased from an affiliate which are not at arm’s length prices and do not reasonably reflect the cost associated with the production.
- gg. In a number of anti-dumping investigation including those on imports of digital versatile discs – recordable, PVC suspension resin and Vitamin AB2D3K, the Authority determined normal value based on facts available as the exporter failed to establish procurement of raw material from related party at arm’s length prices.
- hh. As per the US and Canadian law, the authority determines cost of input, when procured from related entity, based on higher of price paid by exporter, cost incurred for production of input or market price of input. In Australia, price paid or payable is not considered as if such prices are influenced by relationship between buyer and seller and are not at arm’s length prices.
- ii. A number of authorities including those in Argentina, Brazil, China PR and Korea RP require information regarding purchase of inputs from affiliate and related suppliers in order to check whether the same are at arm’s length basis.
- jj. Marubeni ASEAN Pte Limited has filed an incomplete response without any appendices.
- kk. Response filed by Sadara Chemical Company and Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) LLC should be rejected as they have misrepresented that they had not purchased raw material from related entities.
- ll. Related entities of Aramco Chemicals Company namely, Aramco Trading Fujairah ATL, UAE and Aramco Trading Singapore ATS, Singapore which are engaged in sales and distribution of the subject goods, have not participated in the investigation.
- mm. Related entity of Saudi Ethylene and Polyethylene Company namely, Sahara Petrochemicals Company which is engaged in production and sales of the subject goods, has not participated in the investigation.
- nn. Related entities of Saudi Kayan Petrochemical Company and Al-Jubail Petrochemical Company namely, Yanbu National Petrochemical Company, Eastern Petrochemical Company and Jubail United Petrochemical which are engaged in production of the subject goods, have not participated in the investigation.

- oo. Related entity of Qatar Petrochemical Company namely, Qatofin Company Limited which is engaged in production of the subject goods, has not participated in the investigation.
- pp. In the absence of participation of related producers involved in production and sales of product under consideration, the dumping margin for the group cannot be determined.
- qq. The response filed by Al-Jubail Petrochemical Company (Kemya) should be rejected as it has exported through Exxon Mobil which has not participated in the present investigation. Since Kemya is related to Saudi Kayan Petrochemical Company, the response filed by it cannot be accepted.
- rr. The value chain for Equistar Chemicals, LP is incomplete as the affiliate producer whose goods are sold in the domestic market, producer whose goods are exported to India, affiliate trading company engaged in selling goods in India and other trading companies that exported the goods to India have not participated in the investigation.
- ss. Sadara Chemical Company may not have sufficient domestic sales. The normal value must be determined based on sales of other producers in the same market since it is not producer specific. Section 9(A)(1)(c) and Article 2 of the WTO Agreement does not refer to own price of producer for determination of normal value. In US – Oil Country Tubular Goods Sunset Review, the Panel held that the starting point for normal value is domestic prices. Reliance was placed on the decision of Supreme Court in Designated Authority vs. Haldor Topsoe A/s.
- tt. Marubeni ASEAN Pte Limited has failed to disclose its related entity in India, Marubeni India Private Limited, which has purchased goods from the exporter as well as received commission and reimbursement of expenses from it.
- uu. Borouge Pte Limited has not explained the role of Borouge (India) Private Limited in its operations. The Indian entity is providing marketing and support services in India for polyolefins. Its entire revenue is from related parties, and the exporter has reimbursed its expenses totalling to Rs. 14.99 lakhs.
- vv. While Qatar Petrochemical Company has stated that it does not have an office in India, they have a liaison office in India, namely, Qatar Petrochemical Company Limited (QAPCO India).
- ww. SABIC has not disclosed their related entities in India, namely, SABIC Innovative Plastics Indian Private Limited and SABIC India Private Limited. These entities have purchased goods from the exporters and provided marketing services to them respectively.
- xx. Aramco Chemicals Company has not disclosed its related entity in India, namely, Aramco Asia India Private Limited, which provides procurement, logistics, marketing, business support to Saudi Aramco and its affiliates.
- yy. Basell Trading International FZE has not disclosed its related entity in India, namely, Basell Polyolefins India Private Limited, which has received traded goods, income and raw material from the exporter.
- zz. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company has a related entity Muntajat India Private Limited, which is providing marketing services. The entire revenue by the company is received from Muntajat BV, which is a subsidiary of the exporter.
- aaa. Sumitomo Chemical Asia Pte Limited has a related entity in India engaged in sales and distribution of the subject goods namely, SCA South Asia Petrochemicals Pte Limited which has been set up as an agent of the exporter. The entire income of the company is received for services rendered to the exporter. The related party in India has not participated in the investigation.
- bbb. SCG Group has a related entity in India, namely, SCG International India Private Limited, which is involved in trading activities.
- ccc. The financials and website of Dow Chemical International Private Limited, a related entity of Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Limited, shows that it purchased goods from the exporter, and is supplying polyethylene in India.
- ddd. Where the existence or role of the related Indian entities has not been disclosed by the exporters, the response filed should be rejected, in accordance with the decision of the Supreme Court in Designated Authority vs. Haldor Topsoe.
- eee. Disclosure of related entities in India is essential so that the Authority is able to assess whether these related entities are involved in any manner in sales of the subject goods.
- fff. PTT Global Chemical Public Company Limited has not disclosed that it has related entities namely, GC

Logistics Solutions Company Limited, PL Global Transport Company Limited and GC Marketing Solutions Company Limited which are engaged in distribution of the subject goods. The Authority should examine whether the services provided were at arm's length basis. There is no information on whether such costs are adequately taken in costs or prices.

- ggg. The Authority should verify that the cost of captive inputs or raw material reflect the total cost of input and not merely the direct and factory cost.
- hhh. Sadara Chemical Company has agreements with Dow entities and Abu Dhabi Polymers Company Limited has agreement with Borouge Pte Limited for distribution of the subject goods. The producers pay commission for sales made through these entities. The Authority should verify whether the commission paid is duly reported by calling for supply copy of agreement.
- iii. The dumping margin should not be calculated based on response of the exporters whose responses are grossly deficient.
- jjj. The producers in GCC sell to trading companies, which are involved in exports, at low prices. Since such sales are not meant for consumption in domestic market, such price is de-facto export price. These sales must be excluded from the determination of domestic sales since they suppress normal value and dumping margin.
- kkk. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has submitted ICIS report forming the basis of normal value to the Authority before the initiation and the Authority has verified the same. In reference to adjustments for credit costs and commission, the applicant has provided the information reasonably available to it and it was not aware of any such commission being paid or the difference between the credit cost in domestic and export market. As held by the Panel in Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico, the evidence required for initiation may not be of the same quality and quantity as that required for final findings.
- lll. Regarding the contention that the normal value determined for Qatar and Saudi Arabia is not appropriate, it was submitted that the imports into the country are intended for consumption within the country, the price thereof is the best available information for price of the subject goods for consumption. The Authority has considered import price as the basis of determining normal value in various investigations.
- mmm. As regards the contention the normal value for USA does not take post-factory expenses into account, it was submitted that the interested parties have not identified the post-factory expenses not adjusted. Normal value is based on rail car delivered prices reported by Platts and the adjustment has been done for rail car cost based on market agencies information.
- nnn. In response to the contention that the data provided for determining normal value is for GCC as a whole, it was submitted that the Authority has in the past as well, taken prices prevailing in the region for determining normal value for the country. GCC undertakes an anti-dumping investigation collectively and hence, can be treated as one for determining price prevailing in the region for normal value. The applicant is required to only provide information reasonably available to it.
- ooo. As regards the contention that the prices published in the journals cannot be considered as held in Dye Stuff Manufacturers Association of India V. Govt. of India, it was submitted that the normal value in the said case was based on an article in the journal, Chemical Week, which did not publish the prices regularly and its credibility could not be ascertained. The applicant in the present case, has submitted the ICIS and Platts report which are world-renowned market agencies and the Authority has consistently relied on these for the purpose of anti-dumping investigations. In the present case the interested parties have neither disputed the correctness of the normal value nor provided any contrary facts. In Huawei Technologies Company Limited V. Designated Authority, the Tribunal held that in Dye Stuff case, the journal was used for the purpose of the final findings, however, there is no impropriety in a situation where it is used for the purpose of initiation.
- ppp. The prices of market research agencies are reliable which is evident from the fact that even the producers, in the subject countries, in their presentation to the investors have used such prices.
- qqq. As regards the contention that normal value is not set at ex-factory level but included theoretical expenses, it was submitted that the expenses added are appropriate as the applicant was required to add customs duty, insurance, port expenses and inland freight to CFR prices to arrive at price paid by customer. Freight paid was reduced to arrive at ex-factory price in order to compute normal value.

- rrr. Regarding the contention that the proof of adjustments claimed for net export price has not been shared, it was submitted that the applicant has provided the best available information accessible to it. Ocean freight has been provided as per the rates on World Freight Rates and inland freight has been provided based on market intelligence with regard to rates prevailing in Middle East. The other adjustments are in line with consistent practice of the Authority.

G.3. Examination by the Authority

40. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

41. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C, Qatar

ii. Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C, Qatar

iii. Al-Jubail Petrochemical Company (KEMYA), Saudi Arabia

iv. Aramco Chemicals Company, Saudi Arabia

v. Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) L.L.C, UAE

vi. Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V., Saudi Arabia

vii. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia

viii. Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia

ix. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia

x. Borouge Pte Limited, Singapore

xi. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore

xii. Marubeni Asean Pte Limited, Singapore

xiii. SABIC Asia Pacific Pte Limited, Singapore

xiv. Sumitomo Chemical Asia Pte Limited, Singapore

xv. GC Marketing Solutions Company Limited, Thailand

xvi. PTT Global Chemical Company Limited, Thailand

xvii. SCG Performance Company Limited, Thailand

xviii. SCG Plastics Company Limited, Thailand

xix. Thai Polyethylene Company Limited, Thailand

- xx. Basell Trading International FZE, UAE
 - xxi. Dow Chemical International Private Limited, UAE
 - xxii. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore National Petrochemical Industrialization Marketing Company Limited, Saudi Arabia
 - xxiii. Rabigh Refining & Petrochemical Company, Saudi Arabia
 - xxiv. Saudi Ethylene and Polyethylene Company, Saudi Arabia
 - xxv. Equistar Chemicals LP, USA
 - xxvi. Westlake Longview Corporation, USA
 - xxvii. Westlake Polymers LLC, USA
 - xxviii. Renuka Agencies Limited, Hong Kong
 - xxix. Tetra Pak Global Supply SA, Switzerland
42. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.
43. The domestic industry has alleged that there exists a particular market situation with regards to price of ethane, propane, natural gas, butane, etc. in Saudi Arabia, Qatar and UAE, as the price of such inputs are distorted due to government intervention. In this regard, the domestic industry has relied upon price controls in Saudi Arabia over the supply of inputs. As regards Qatar and UAE, the domestic industry has submitted that the sole supplier in each of the countries is a government-owned entity, that is, Qatar Gas and Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) respectively. In view of the particular market situation in the form of distorted costs, the domestic industry has claimed that cost of production of the producers should be adjusted to reflect the undistorted costs.
44. The other interested parties have contended that the factors highlighted by the domestic industry do not permit and warrant any adjustment to the cost of production. It has been emphasized that the inputs are available to all producers on a non-discriminatory basis in Saudi Arabia. The interested parties have further cited the Panel reports in Australia –A4 Copy Paper to claim that particular market situation can be concluded only when the particular market situation is such that it prevents a proper comparison of domestic sales with the export price. Reference has also been made to decisions in the case of European Union – Cost Adjustment Methodologies, European Union – Biodiesel and Ukraine – Ammonium Nitrate to claim that no adjustment can be made to the cost of production, as the records of the responding producers are kept in accordance with the generally accepted accounting principles of the subject countries, and reasonably reflect the cost associated with the production and sale of the subject goods. It has also been highlighted that the Designated Authority is required to arrive at the cost of production in the country of origin.
45. In order to address the issue, the Authority finds it necessary to examine the factual aspects involved having regard to the legal principles governing the issue. The Authority notes that as per the provisions of Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, normal value is required to be determined based on comparable price, in the ordinary course of trade, of the like article, when destined for consumption in the exporting country. However, when because of a particular market situation, such sales do not permit a proper comparison, the normal value may be determined on alternative basis.
- “(c) “normal value”, in relation to an article, means -*
- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules*

made under sub-section (6)”

46. The first step is to examine whether a particular market situation exists in a particular country or not and the next step is to examine whether the effect of the particular market situation is such that it does not permit a proper comparison between the domestic selling price and the export price. The Authority notes that in the present case, the evidence on record shows that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas, etc. are fixed by the Government of Saudi Arabia. The supply of these inputs in the country is controlled by Saudi Aramco, a government owned company. Pursuant to a series of Council of Ministers Resolutions, the Kingdom has established regulated prices for domestic sales of certain hydrocarbons, including ethane. The price of ethane has been regulated at USD 1.75 per MMBtu, while the price of natural gas is fixed at USD 1.25 per MMBtu. The prices of propane and butane have been set at a discount of 20% to the FOB Japan price. The other interested parties have also not disputed that the prices of the inputs are set in this manner.
47. With regard to the distortion of input prices, the interested parties have contended that that after reforms in 2015-16, the prices of ethane are comparable to the prices in other oil rich countries. It has also been contended that the prices in Saudi Arabia are lower due to natural advantages. The Authority, however, notes that the very fact that prices of ethane and other inputs are regulated implies that they are not determined by free market forces. The domestic industry has relied on the Trade Policy Review of Saudi Arabia and has stated that Saudi Aramco, a government-owned entity, is entitled to compensation from the Government if it sells crude oil and certain refined products domestically at regulated price, equal to the cost of the revenue forgone by Saudi Aramco by complying with the Government's pricing mandates. The Authority notes that once the prices are regulated by the Government, it cannot be considered that the prices are lower due to natural advantages or competitively set.
48. Therefore, the Authority concludes that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas etc. in Saudi Arabia are influenced by government intervention and to this extent particular market situation exists in Saudi Arabia. The Authority also notes the decision of the WTO Panel in the case of Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper. The Panel has specifically considered whether input price distortion can be construed as a particular market situation. The Panel noted that “capable of preventing a proper comparison” is not a necessary qualification for a situation to constitute “particular market situation”.

“7.27 In our assessment, the phrases “particular market situation” and “permit a proper comparison” function together to establish a condition for disregarding domestic market sales as the basis for normal value. Specifically, that domestic sales “do not permit a proper comparison” must be “because of the particular market situation”. If domestic sales do permit a proper comparison, then they cannot be disregarded as the basis for normal value, regardless of the existence of the particular market situation and its effects, whatever those may be. We find no functional purpose is served by incorporating into the meaning of “particular market situation” part of the function that will necessarily be served by the terms “because of” and “not permit a proper comparison”. Accordingly, we find that “capable of preventing a proper comparison” is not a necessary qualification for a situation to constitute the “particular market situation”. Indeed, incorporating such a meaning into the term “particular market situation” would alter the functioning of this provision. Thus, we find that the term “particular market situation” does not require or contemplate an analysis relating to the capability of causing domestic sales to not permit a proper comparison in the abstract. Rather, the terms “because of” and “not permit a proper comparison” in Article 2.2 already properly and adequately fulfil this function.

7.28 Turning to the specific issue posited by Indonesia of a low-priced input used identically to produce merchandise for the domestic and export markets, we are again unpersuaded that a categorical disqualification from constituting the “particular market situation” can be sustained as a matter of interpretation. We understand that Indonesia is arguing that a situation that equally affects the cost of producing merchandise for sale in domestic and export markets will necessarily equally affect the sales prices in both markets and will, therefore, permit a proper comparison between domestic market sales and export sales. First, we find no legitimate interpretative basis for incorporating this proposed meaning into the term “particular market situation”, particularly where such considerations are more appropriately examined in relation to the terms “because of” and “permit a proper comparison” as suggested by the above analysis. Second, we do not accept as a given that an equal impact on cost of merchandise produced for domestic and export markets would necessarily affect sales prices in both markets equally such that a proper comparison between domestic sales and export sales would not be prevented. We consider that these assertions are not appropriate elements for an interpretation of the term “particular market situation”, but rather are better suited to an analysis of whether domestic sales do not permit a proper comparison because of a particular market situation identified by an investigating authority. We will return to these points in our examination of Indonesia’s arguments

relating to the meaning of the term "permit a proper comparison".

49. The Authority also notes the decision of the WTO Panel in the case of Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper on the issue that input price distortion can be considered as a particular market situation, even if it has some effect on the export price. This is evident from the conclusions of the Panel as under.

"7.57 On the basis of the above findings, we determine that Indonesia has not demonstrated that the ADC acted inconsistently with Australia's obligations under Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement when it found that a "particular market situation" existed in the Indonesian domestic market for A4 copy paper. Indonesia's arguments have not persuaded us that a domestic market situation resulting in a lower cost for an input used to produce both exported and domestically sold product is necessarily excluded from constituting "the particular market situation". Nor are we persuaded that, as a general proposition, any situation which has or may have some impact on export sales in addition to domestic market sales is necessarily excluded from constituting "the particular market situation" because we consider that, in at least some cases, differences in the impact on domestic and export sales could prevent a proper comparison. Finally, we are also not persuaded that "the particular market situation" referenced in this provision necessarily excludes any situation that arises from a subsidy or other governmental action."

50. The Authority takes note of the fact that no evidence has been placed on record that raw material prices are fixed or regulated by the Government in Qatar or UAE. Therefore, the Authority concludes that there does not exist a particular market situation in Qatar and UAE.
51. After reaching the conclusion that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas etc. in Saudi Arabia are influenced by government intervention and to this extent particular market situation exists in Saudi Arabia the next issue to be examined is whether the effect of the particular market situation is such that it does not permit a proper comparison between the domestic selling price and the export price.
52. In this regard, the Panel in Australia Copy Paper has also observed as under.

"7.73. Where a "particular market situation" is found to exist, the investigating authority must examine whether "a proper comparison" of the domestic and the export price is permitted or not. We consider that the "proper comparison" language calls for an assessment in respect of the comparison of domestic and export prices.

7.74. The ordinary meaning of the term "proper" is "suitable for a specified or implicit purpose or requirement; appropriate to the circumstances or conditions; ... apt, fitting; correct, right". The term "comparison" can be understood as "the action, or an act, of comparing, or noting the similarities and differences of two or more things". The function of the "permit a proper comparison" test is to determine whether the domestic price can or cannot be used as a basis for comparison with the export price to identify the existence of dumping. It is implied here in Article 2.2 that the words "a proper comparison" refer to the comparison between the domestic price and the export price. Thus, the purpose of an investigating authority's examination under the second clause of Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement is to determine whether domestic sales of the like product in the ordinary course of trade do not permit a proper comparison between the export price and the domestic sales price because of the particular market situation or the low volume.

7.75. While the proper comparison in Article 2.2 refers to the comparison between the domestic and export prices, a purely numerical comparison between the two prices may not reveal anything about whether the domestic price can be properly compared with the export price. Rather, it is necessary to conduct a qualitative comparison of the domestic and export prices. The phrase "because of the particular market situation" makes clear that the qualitative assessment of whether the domestic and export prices can be properly compared should focus on how the particular market situation affects that comparison. We therefore consider that the "proper comparison" language calls for an assessment of the relative effect of the particular market situation on domestic and export prices. We understand that, in certain circumstances, as a result of this assessment, the investigating authority may conclude that the particular market situation has no effect on the export prices.

7.76. Turning to the assessment of whether "a proper comparison" is not permitted because of the particular market situation, we note that the focus of the analysis is on whether the effect of the particular market situation is such that a proper comparison between domestic sales prices and export prices under examination is not permitted. In other words, the investigating authority must examine the domestic sales in order to determine whether a proper comparison between the two prices is permitted in spite of the effect of the particular market situation. The point is to determine if there is a comparable

domestic price (i.e. if there is "the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country" in the sense of GATT 1994 Article VI:1(b) and Article 2.1 of the Anti-Dumping Agreement). That determination is fact-specific and should be made on a case-by-case basis by the investigating authority assessing the effect of particular market situation on the domestic price in relation to the effect on the export price, if any. This relative assessment is necessary because, as we explain in the following subsection, while a particular market situation may have an effect on both domestic and export prices, it does not follow that the impact on domestic and export prices will be the same. If the investigating authority finds that because of a particular market situation a proper comparison of the domestic price and the export price is not permitted, it is required to give a reasoned and adequate explanation of its conclusion."

53. The Authority has determined existence of particular market situation in Saudi Arabia due to lower price of inputs arising out of government intervention. The Authority has examined all the available evidence on record regarding the cost of the PUC, the domestic selling price and the export price of the PUC and notes that there is no sufficient evidence to conclude that the particular market situation prevailing in Saudi Arabia has specifically impacted domestic selling price of the product under consideration in such a manner that a proper comparison between domestic selling price and export price is not permitted.
54. Thus, the Authority concludes that there is no sufficient evidence on record to reject actual cost of raw material and domestic selling price of producers/exporters from Saudi Arabia for determining the dumping margin.
55. With regard to the issue of non-participation of related companies of ADPCL and QAPCO in India, namely, Borouge (India) Private Limited and QAPCO India, the Authority notes that based on the information on record, Borouge (India) Private Limited and QAPCO India are not engaged in import and resale of the PUC. The Authority therefore finds no merit in the submission of the domestic industry.
56. The Authority further notes that Equistar Chemicals LP had sold the products produced by an affiliate in the domestic market. Further, it exported goods produced by another producer, through two trading companies. However, neither the producer producing the goods, nor the trading companies have filed a response to provide required information to the Authority. Accordingly, the Authority notes that Equistar Chemicals LP cannot be allowed an individual dumping margin.

Saudi Arabia

Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya") (Producer), Saudi Kayan Petrochemical Company ("Saudi Kayan") (Producer), Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC") (Exporter/Trader), SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL") (Exporter/Trader) and SABIC Research & Technology Private Limited ("SRTPL") (related importer)

Normal Value

57. The Authority notes that Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya") and Saudi Kayan Petrochemical Company ("Saudi Kayan") are related producers of the subject goods in Saudi Arabia and have made sales of the subject goods in the domestic market during the POI through a related trader, Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC"). SABIC holds ***% shares in Kemya and ***% in Saudi Kayan. Further, SABIC is the ultimate shareholder of SABIC Asia Pacific Pte. Ltd ("SAPPL").
58. The Authority has decided not to accept the response filed by above mentioned producers/exporters and not to determine individual dumping margin for them. The detailed reasoning in this regard is given below.

Export Price

59. From the response filed by the parties, it is noted that Kemya and Saudi Kayan are related producers of the subject goods in Saudi Arabia. It has been submitted by Kemya and Saudi Kayan that the subject goods manufactured by them have been exported to India through their related entities SABIC and SAPPL.
60. Kemya and Saudi Kayan have also submitted that they do not have full visibility on the final destination of the subject goods sold through SABIC. Therefore, Kemya and Saudi Kayan have reported all the sales made to SABIC as domestic sales under Appendix 4A and have requested that the Authority should refer to the appendices of SABIC and SAPPL for complete details of resale on domestic sales and export sales to India.
61. The response filed by both the producers and exporters/traders have been examined. It is noted that M/s Kemya is a Joint Venture between SABIC and ExxonMobil Arabia. In the Exporter Questionnaire Response ("EQR") filed by Kemya, it has been stated that Kemya sells the subject goods to SABIC and ExxonMobil. Thereafter, SABIC and ExxonMobil export the subject goods to various countries. In the EQR filed by Kemya, it was

claimed that SABIC has exported the subject goods manufactured by Kemya to India.

62. During the course of the investigation, while examining the official Indian import data, the Authority noted that significant exports of the subject goods originating in Saudi Arabia were made by ExxonMobil Asia Pacific to India. The Authority issued a letter to Kemya highlighting this gross mis-representation made by them in the EQR and sought clarification from them in this regard. The Authority also invited the attention of exporters to the provision in the para 7 of the Annex-II to WTO Antidumping Agreement, which states that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the Authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate.
63. The Authority also issued letters to some Indian importers seeking clarification from them regarding the name of the producer of the subject goods in Saudi Arabia whose product was imported by them from ExxonMobil Asia Pacific.
64. In reply, Kemya submitted that the company does not have full visibility on the final destination of the subject goods sold through SABIC and ExxonMobil, who is also the joint venture partner. Kemya did not reply to the crucial issue whether the subject goods manufactured by them were exported to India or not by their related party ExxonMobil. The Authority notes that it is the responsibility of the producer to get accurate details regarding the export of goods manufactured by them from their Joint Venture partners and report the correct details to the Indian Authority. It is noted that in each and every investigation being conducted by the Authority, the related producers submit complete details of the domestic sales and exports to India of the goods manufactured by them even if the domestic sales and exports to India are done by related traders.
65. M/s ExxonMobil in the letter dated 13th December, 2021, confirmed that the subject goods exported to India by ExxonMobil Chemical Asia Pacific and other ExxonMobil affiliates were actually manufactured by Kemya. However, they have stated that volume of such exports represents less than ***% of the total estimated volume of LDPE exported from Saudi Arabia to India over the same period. Further, in response to the letter issued by the Authority, some of the Indian importers also confirmed that the subject goods imported by them from ExxonMobil Chemical Asia Pacific and other ExxonMobil affiliates were actually manufactured by Kemya. Thus, it is noted that ExxonMobil & its affiliates engaged in exports of the subject goods to India have failed to cooperate in the present investigation and have not filed any information. Kemya has failed to disclose this crucial fact to the Indian Authority that the goods manufactured by them have been exported to India through ExxonMobil.
66. In view of the above, it is abundantly clear that Kemya has made gross mis-representation of facts in the EQR filed by them. Even after the Authority pointed out this issue to Kemya, they did not come out with clean hands and provide appropriate information and justification to the Authority. In anti-dumping investigations, it is of utmost importance that information relating to all the exports of the subject goods to India manufactured by a producer is provided and accounted for, so that the accurate dumping margin can be determined. In the EQR formats the following instructions have been clearly provided:

2. This questionnaire is to be filled in by the producer(s) and/ or exporter(s) along with their related entities including importer (s), if any in India. If the related importer is also a user of the subject goods, then such related importer has to fill the user questionnaire. It is in the interest of the producer(s)/ exporter(s) to reply to the questionnaire accurately and adequately and to attach supporting documents, wherever required.

8. The duly filled formats are to be filed along with the response whether you are a producer or exporter or producer and exporter. The entities related to you are also required to participate by giving relevant information as mentioned in subsequent paragraphs.

9. -In case-you are only a producer-of product under-consideration which is being exported to India directly or indirectly, you are required to submit the questionnaire response in Part I, Part II and Part III. Also, it should be accompanied by following information as applicable:

(i) Any other related producer involved in the production of PUC has to separately furnish information in Part I, II, III;

(ii) Any other non-producer related entities involved in export of the PUC are required to submit response in part I and part II along with Appendix 5;

(iii) Any related importers in India are required to file response in Part-IV. However, if related importer is also a user of the product under consideration, such related user shall be required to fill User Questionnaire instead of Part-IV.;

67. In addition to above, Authority noted that Kemya and Saudi Kayan have failed to submit information in Appendix-3C relating to exports to India. The Authority issued a letter to Kemya and Saudi Kayan highlighting this deficiency to them. In reply to Authority's letter, Kemya and Saudi Kayan submitted that they do not have full visibility on the final destination of the subject goods sold through SABIC. They submitted that the Authority should refer to the appendices of SABIC and SAPPL for complete details of resale on domestic sales and export sales to India.
68. In order to determine the dumping margin, Authority has to determine the ex-factory export price at producer level and examine the profitability of each trader involved in export chain to India. Authority works out the ex-factory export price based on the information provided by producer in Appendix-3C relating to exports to India. In the absence of Appendix-3C, Authority cannot determine the ex-factory export price for the subject goods exported to India. In all the other investigations being conducted by the Authority involving related producers and exporters, Appendix-3C is being submitted by the producers. It should be noted that it is responsibility of the producer to provide information in Appendix-3C and producer can easily obtain the complete details regarding the final destination from their related trader and also the net price realised by the producers for each and every transaction.
69. On the basis of above, it is noted that Kemya and Saudi Kayan have failed to discharge this responsibility even after the Authority pointed out this deficiency to them. There was no plausible justification given by both the producers that why they cannot obtain the information from their related exporters and provide the same to the Authority.
70. In view of the above, the Authority has decided not to accept the EQR filed by Kemya, Saudi Kayan, SABIC and SAPPL and not to determine an individual dumping margin for them.

Rabigh Refining and Petrochemical Company (Producer), Aramco Chemicals Company (Exporter), Sumitomo Chemicals Asia Pte Limited (Exporter) , Marubeni Asean Pte Ltd., Singapore (Exporter), Renuka Agencies Limited, Hongkong(Exporter)

Normal Value

71. From the response filed by Petro Rabigh, the Authority notes that the company has sold the PUC directly and through affiliated trader, M/s Aramco Chemical Company (Aramco) in the domestic market during the POI. The company has sold *** MT of the PUC directly to independent customers and *** MT through Aramco in the domestic market. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to -India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority has considered the cost of production after taking into account all submissions and information on record. If profit making percentage of all the transactions is more than 80%, then all the transactions in the domestic sales is considered for determination of the normal value and if the profit-making percentage of all transactions is less than 80%, only the profitable domestic sales are taken into consideration for determination of the normal value. In the present case since more than 80% of domestic sales are profitable, hence all the domestic sales have been considered to determine the normal value for Petro Rabigh after allowing adjustments for inland transport, credit cost, rebate and marketing fee. The normal value so calculated is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

72. Petro Rabigh has filed Exporter questionnaires in the prescribed format for the POI. It has exported *** MT of the subject goods to India at an average CIF value of \$***/MT through its related traders-exporters M/s Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. (Sumitomo) and M/s Aramco Chemical Company (Aramco) during the POI. Out of the total exports of the PUC to India by Petro Rabigh, Sumitomo has exported *** MT and Aramco has exported *** MT. It is also noted that M/s Aramco has exported the subject goods to India through M/s Marubeni, and Renuka, MT, and some of the subject goods have been exported through non cooperative exporters. For working out export price of the producer M/s Rabigh, the Authority has considered the actual export price for chain comprising Rabigh and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of Rabigh who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for Rabigh has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.
73. The producer/exporter has claimed the adjustment of ocean freight, ocean insurance, inland transportation, port expenses, credit cost and marketing fee which have been examined and accepted by the Authority. Accordingly, the Net Export Price for producer has been worked out and the same is mentioned in the dumping

margin table below.

Sadara Chemical Company (Producer), DOW Saudi Arabia Product Marketing BV (Exporter), Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (Exporter), Dow Chemical International Private Limited (Exporter)

74. Sadara is jointly owned and controlled ***% by Excellent Performance Chemicals Company, formerly Performance Chemicals Holding company, a wholly owned subsidiary of Saudi Aramco and ***% by Dow Saudi Arabia Holding B.V. (“DSAH”), an indirectly wholly owned subsidiary of Dow USA.
75. It is noted that Sadara is the producer of the subject goods from Saudi Arabia engaged in domestic sales of the subject goods as well as exports to India through related entities namely Dow Marketing, Dow Singapore, Dow Singapore Dubai Branch and DCIPL Dubai Branch. Sadara is a limited liability company existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. The head office of the company is located at Eastern Province at Jubail, Kingdom of Saudi Arabia.

Normal Value:

76. Based on the response filed by Sadara, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. The cost of sales claimed by M/s Sadara has been suitably adjusted after desk verification. On the basis of cost of sales as adjusted, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of the subject goods. The Authority has considered the cost of production after taking into account all the submissions and information on record. Upon examination of the POI data, the Authority noted that more than twenty percent of domestic sales in volume are at loss. Therefore, the Authority computed the normal value based on profitable domestic sales after allowing adjustments for inland transport, credit costs, and marketing fee. and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price:

77. It is noted from exports to India, M/s Sadara sells the entire quantity of the subject goods to Dow Marketing. For exports to India, Dow Marketing raises invoice on Dow Singapore, Dow Singapore – Dubai Branch, DCIPL – Dubai Branch for resale to unrelated Indian importers. All these related parties have also filed questionnaire responses.
78. During the POI, Dow entities namely Dow Singapore invoiced *** Kg, Dow Singapore Dubai Branch invoiced *** Kg, and DCIPL Dubai Branch invoiced *** Kg subject goods to Indian unrelated customers. On consolidated basis, Dow entities exported *** kg of the subject goods to India during the POI. Further for arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of post sales expense including freight, insurance, inland transportation, etc. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

Saudi Ethylene and Polyethylene Company (SEPC) (Producer), National Petrochemical Industrialization Marketing Co. Ltd. (Exporter), Basell Trading International FZE (Exporter)

Normal Value

79. From the response filed by SEPC, the Authority notes that SEPC has sold the PUC through its affiliated trader, M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Co. Ltd. (‘Tasnee Marketing’) in the domestic market during the POI. The company has sold *** MT of the PUC through Tasnee marketing in the domestic market. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority has considered the cost of production after taking into account the submissions and information on record. If profit making percentage of all the transactions is more than 80%, then all the transactions in the domestic sales are considered for determination of the normal value and if the profit-making percentage of all transactions is less than 80%, only the profitable domestic sales is taken into consideration for determination of the normal value. In the present case since more than 80% of domestic sales are profitable, hence all the domestic sales have been considered to determine the normal value for SEPC after allowing adjustments for inland transport and marketing fee. The normal value so calculated is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

80. SEPC has filed Exporter questionnaires in the prescribed format for the POI. It has exported *** MT of the subject goods to India at an average invoice value of \$***/MT through its related traders-exporters M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Co. Ltd. (‘Tasnee Marketing’) and M/s Basell Trading International

FZE (“BIT”) during the POI. Out of the total exports of PUC to India by SEPC, Tasnee marketing has exported *** MT and BIT has exported *** MT. The producer/exporter has claimed the adjustment of ocean freight, inland transportation, port and other related expenses and marketing fee which have been examined and accepted by the Authority. The Authority also noted that Tasnee Marketing and BIT has resold *** MT of the subject goods through unrelated traders, who have not filed the EQR. The Authority has taken the best available information for these quantities exported through non-cooperative traders. For working out export price of the producer M/s SEPC, the Authority has considered the actual export price for chain comprising SEPC and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of SEPC who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for SEPC has been determined based on the weighted average export price of all exports’ channels to India.

81. Further the Authority has also made appropriate adjustment for the loss incurred by the trader i.e. M/s Tasnee Marketing, and bank charges. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value and Export price for Non-Cooperative exporters in Saudi Arabia

82. The Authority notes that no other exporter/producer from Saudi Arabia has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Saudi Arabia the Authority determines the normal value and export price on the basis of facts available. The normal value and the export price so determined is given in the dumping margin table below.

Thailand

- A. Thai Polyethylene Company Limited (Producer), SCG Performance Chemicals, (Exporter), SCG Plastic Company (Exporter)**

Normal Value

83. The response is based on the data filed by Thai Polyethylene Co., Ltd. (“TPE”), SCG Performance Chemicals Co., Ltd. (“SCG Performance”) and SCG Plastics Co., Ltd (“SCG Plastics”) (hereinafter referred to as “SCG Group”), a group of cooperating producer and exporters from Thailand. It is noted that during the POI, TPE has sold the PUC to both SCG Performance and SCG Plastics which further sold to unrelated domestic customers. The Authority notes that TPE sold *** MT of the PUC in the domestic market. The domestic sales were found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.
84. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of a trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods.
85. The Authority notes that the majority of the Ethylene consumed in the production of the PUC has been purchased from the related parties. Further, the Authority notes that Ethylene purchased from the related parties is in line with the international prices published by reputed publications agencies i.e., ICIS. In view of the same, the Authority notes that the purchases of the raw materials are made at arm’s length prices. Accordingly, the Authority has considered the cost of the production of the subject goods as maintained in the records of the company.
86. For the purpose of conducting the ordinary course of trade test, the Authority has considered the price of SCG Performance and SCG Plastics and made adjustments on account of post factory expenses, SGA expenses, and profits/losses as applicable to bring the prices to ex-factory at producer’s level. Upon ordinary course of trade test, the Authority notes that ***% of the sales transactions in the domestic market found to be profitable, therefore, the Authority has considered all the sales made in the domestic market for determination of the normal value.
87. SCG Group claimed adjustments on account of inland freight, packing cost, credit cost, and other expenses. The Authority has accepted all the adjustments claimed by the SCG Group provisionally. The normal value at the ex-factory level for SCG Group has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

88. The Authority notes that TPE has exported a quantity of *** MT, directly to Indian customers and through traders, namely M/s Sonata General Trading FZC and Gemini Corporation N.V. The Authority notes that both the traders (i.e., M/s Sonata General Trading FZC and Gemini Corporation N.V.) have not filed a separate questionnaire response, and accounts for exports of *** MT out of the total exports listed above. The Authority

notes that the cooperating entities account for ****% of the total sales made by SCG Group to India. The Authority has taken the best available information for these quantities exported through non-cooperative traders. For working out export price of the producer, the Authority has considered the actual export price for chain comprising producer and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of producer who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for producer has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.

89. TPE claimed adjustments on account of inland freight, shipping cost, ocean insurance, packing cost, credit cost, port, and related expenses, and other expenses. In addition, the Authority also made adjustments on account of SGA expenses of the traders to arrive at the ex-factory price at the producer's level.
90. Accordingly, the export price for TPE has been determined based on the weighted average export price to India, and the same is shown in the dumping margin table below.

PTT Global Chemical Public Company Limited (Producer), GC Marketing Solutions Company Limited (Exporter)

Normal Values: PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand (PTTCG)

91. During the POI, PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, has sold the subject goods in the domestic market to related parties only. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority has considered the cost of production after taking into account all submissions and information on record. If profit making of all transactions is more than 80%, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable of all transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since ****% of domestic sales are profitable hence all the domestic sales have been considered to determine normal value.
92. PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, has claimed adjustment on account of inland transportation and packing expenses and the same have been allowed by the authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price:

93. During the POI: JSC PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, sold *** MT of the subject goods to India, through a related exporter namely, GC Marketing Solutions Company Limited, Thailand. It is further noted that GC Marketing Solutions Company Limited, Thailand, has exported the subject goods to India directly to Indian buyers. PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, has claimed adjustment on account of inland transportation and packing expenses and the same have been allowed. Accordingly, export price at ex-factory level for PTT Global Chemical Public Company Limited, Thailand, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value and Export price for non-cooperative exporters in Thailand

94. The Authority notes that no other exporter/producer from Thailand has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Thailand, the Authority determines the normal value and Export Price on the basis of facts available. The normal value and Export Price so determined is given in the dumping margin table below.

UAE

Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) L.L.C. (Producer) and Borouge Pte Ltd (Exporter/Trader)

Normal Value

95. Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) L.L.C. ("ADPCL") is engaged in the production of the subject goods in UAE. ADPCL is a Joint Venture between Abu Dhabi National Oil Company ("ADNOC") and Borealis.

ADPCL makes domestic sales in UAE and also exports to India through its related company Borouge Pte Ltd. Both ADPCL and Borouge Pte Ltd have provided all the relevant information in the requisite formats. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

96. During the course of the investigation, it was noted that ADPCL is captively producing Ethylene, which is used in the production of LDPE. The key raw material used by ADPCL for manufacturing Ethylene during the POI was Ethane. ADPCL procured Ethane from its related party ADNOC during the POI under feedstock supply agreement. The Authority requested ADPCL to provide justification with documentary evidence substantiating that the price at which Ethane is procured by them from ADNOC is an arm's length price. ADPCL has provided feedstock supply agreement with ADNOC for supply of Ethane. The price between ADNOC and ADPCL is governed by the said agreement. Apart from providing the feedstock supply agreement, ADPCL has provided the published market prices of Ethane (sourced from marketwatch.com).
97. As ADPCL has provided sufficient evidence substantiating that the price at which Ethane is procured by them from ADNOC is an arm's length price, the Authority has adopted the price of Ethane as claimed by ADPCL. The Authority has also sought justification that utilities are purchased at arm's length price. ADPCL has provided detailed explanation along with backup documents justifying those utilities are purchased at arm's length price. Further, the Authority has also examined the other conversion costs. Therefore, Authority has adopted all costs as claimed by ADPCL as amended during the verification exercise and determined the cost of sales for ordinary course of trade test.
98. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test using the cost of sales determined as above to determine profit making domestic sales transactions. It was noted that ADPCL has sold*** MT of the subject goods having total invoice value of USD ***.
99. The Authority examined whether the profit-making transactions are more than 80% or not. If the profitmaking transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case, the profit-making transactions were more than 80% and therefore all domestic sales transactions have been considered for determination of normal value. ADPCL has claimed adjustments for inland transportation, handling expenses, credit cost and packing cost and the same have been allowed by the Authority.
100. Accordingly, normal value at ex-factory level has been determined for ADPCL and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

101. During the POI, ADPCL has exported the subject goods to India through its related trader namely, Borouge Pte Ltd ("Borouge"). ADPCL and Borouge have provided all the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, ADPCL has directly exported *** MT through Borouge having total invoice value of USD ***. ADPCL has claimed adjustments on account of freight, port and other related expenses, packing expenses and credit cost. All the adjustments have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Normal Value and Export Price for Non-Cooperative exporters in UAE

102. The Authority notes that there are no known producer and exporter in UAE, and it is also noted that the applicant has not mentioned any other producer and exporter from UAE in his petition. Accordingly, it has been decided not to determine residual dumping margin for UAE.

(i) Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C. and Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C.

Normal Value

103. Based on the data filed by Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C., a producer of the PUC and its related exporter Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C., it is noted that during the POI, domestic sales have been made to unaffiliated customers. It is noted that Muntajat, being the selling arm of QAPCO, procures the PUC from QAPCO and subsequently sells it to all markets, including the domestic market, in line with the applicable agreement between QAPCO and Muntajat. The Authority notes that Muntajat sold *** MT of the PUC in the domestic market during the POI. The domestic sales were found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.
104. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of a trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. With regard

to the cost reported by QAPCO, the Authority assessed the captive consumption and purchases of ethylene, the primary raw material, as well as other inputs and utilities. The Authority notes that QAPCO has provided evidence to establish that the purchase price of ethylene was in line with the contractual terms with the supplier, which is based on the published prices from reputed journals as ICIS, Dewitts, Argus Media, etc. Further, the feedstock purchased for the captive manufacture of ethylene was also established to be based on relevant contractual terms, whereby the prices were substantially above the published market prices. In view of the same, the Authority notes that the purchases / transfer of the raw materials are made at arm's length prices. Accordingly, the Authority has considered the cost of the production of the subject goods as maintained in the records of the company.

105. For the purpose of calculating the ex-factory price at the producer's level, the Authority has considered the invoice price and made adjustments on account of post-factory expenses, trader's SGA expenses, and Muntajat's marketing fee (as per the applicable agreement) to bring the prices to ex-factory at producer's level. Upon conducting the ordinary course of trade test, the Authority notes that all the transactions in the domestic market are found to be profitable, whereby the Authority has considered all the sales made in the domestic market for determination of the normal value.
106. Muntajat and QAPCO have claimed adjustments on account of discounts, inland freight, inland insurance, bank charges, credit cost, and other adjustments. The Authority has accepted all the adjustments claimed based on the verification documents filed. The normal value at the ex-factory level for QAPCO and Muntajat has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

107. The Authority notes that QAPCO, through its related exporter Muntajat, has exported a total quantity of *** MT to Indian customers. The Authority, for calculating the export price has considered the data filed by the Muntajat and QAPCO based on the verification documents filed, thereby allowing adjustments on account of shipping cost, ocean insurance, handling charges, bank charges, and other expenses. In addition, the Authority also made adjustments on account of SGA expenses and marketing fee of the related exporter (Muntajat) as per the applicable agreement to arrive at the ex-factory price at the producer's level.
108. Accordingly, the export price for QAPCO and Muntajat has been determined based on the weighted average export price to India, and the same is shown in the dumping margin table below.

Normal Value and Export Price for Non-Cooperative exporters in Qatar

109. The Authority notes that there are no known producer and exporter in Qatar, and it is also noted that the applicant has not mentioned any other producer and exporter from Qatar in his petition. Accordingly, it has been decided not to determine residual dumping margin for Qatar.

USA

A. Equistar Chemicals LP

110. The response filed by Equistar Chemicals LP ("Equistar") shows that it has exported goods through two traders, which have not participated in the investigation. Further, Equistar has supplied goods produced by producers, that have also not participated. Accordingly, the Authority finds that Equistar cannot be allowed an individual dumping margin.

B. Westlake Longview Corporation (Producer), Westlake Polymers LLC (Producer), Tetra Pak Global Supply SA (Exporter)

(ii) Westlake Longview Corporation and Westlake Polymers LLC

Normal Value

111. During the POI, two legal entities i.e. Westlake Longview Corporation and Westlake Polymers LLC (hereinafter collectively referred to as "Westlake") that are part of the Westlake Chemical Group were involved in the production of PUC. The two aforementioned entities have filed their questionnaire responses.
112. The two entities have sold the PUC to unrelated traders / users in the domestic market and the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.
113. With regard to the claims made against Westlake regarding raw material procurement price from related parties, the Authority notes that Westlake has procured the major raw material Ethylene from its related company. Further, the Authority notes that Ethylene purchased from the related parties are in line with the international prices published by reputed publications agency namely "The PetroChem Wire, part of OPIS by

IHS Markit". In view of the same, the Authority notes that the purchases of the raw materials are made at arm's length prices. Accordingly, the Authority has considered the cost of the production of the subject goods after taking into account all submissions and information on record.

114. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since the profit-making transactions were more than 80%, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.
115. Westlake has claimed adjustments on account of debit note, credit note, inland freight, packing cost, credit costs and other adjustments. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for the two entities has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

116. The Authority notes that only one of the aforementioned entities i.e., Westlake Longview Corporation has exported a quantity of *** MT to India through its unrelated traders (i) Tetra Pak Global Supply SA, who in turn sold the PUC to its related user i.e., Tetra Pak India Private Ltd and (ii) Bamberger Group, who in turn sold the PUC to Indian customers during the POI. Westlake polymers LLC has not exported the subject goods to India
117. Westlake Longview Corporation along with Tetra Pak Global Supply SA and Tetra Pak India Private Ltd have filed their questionnaire responses.
118. The Authority notes that the cooperating entities account for about ***% of the total sales made by Westlake Longview Corporation to India, whereby the quantity reported by it and its traders has been adopted by the Authority as exports to India by Westlake for determining the dumping and injury margin. The Authority has taken the best available information for these quantities exported through non-cooperative traders. For working out export price of the producer, the Authority has considered the actual export price for chain comprising producer and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of producer who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for producer has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.
119. The Authority, while calculating the export price has considered verified actual data of the producer, Westlake Longview Corporation. Westlake has claimed adjustments on account of debit note, credit note, shipping cost, credit cost and other expenses and the same have been allowed.
120. Accordingly, the Authority has determined weighted average dumping margin for both related producers i.e Westlake Longview Corporation and Westlake Polymers LLC and the same is mentioned in the dumping margin table.

Normal value and Export Price for Non-Cooperative exporters in the United States of America

121. The Authority notes that no other exporter/producer from USA has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in USA, the Authority determines the normal value and Export Price on the basis of facts available. The normal value and Export Price so determined is given in the dumping margin table below.

G.4. Determination of dumping price

122. It is noted that in the present investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been the consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and, thus, to establish one single dumping margin for them. This is, in particular, because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus, rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
123. It is noted from the examination of the responses filed by M/s Sadara and M/s Rabigh that both the companies are related in the sense that the majority shareholding in Sadara is held by a wholly owned subsidiary of Saudi Aramco, and Saudi Armco is also related to Petro Rabigh. It is also noted that most of the exports from Petro Rabigh are made to India through Aramco Chemicals Co. (ACC) which is a fully owned subsidiary of Saudi Aramco. In accordance with the above, related producers and exporters i.e Rabigh and Sadara have been

regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margin of the cooperating related producers and exporters.

124. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject countries have been determined as follows:

Subject Countries	Name of Producer	Net Export Price	Normal Value USD/MT	Dumping Margin	Dumping Margin %	Wt Dumping Margin	Wt average DM %	Range
Qatar	Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C	***	***	***	***	***	***	Negative
USA	Westlake Longview Corporation	***	***	***	***	***	***	20-30%
	Westlake Polymers LLC							
	All Others	***	***	***	***	***	***	40-50%
Thailand	Thai Polyethylene Co., Ltd.	***	***	***	***	***	***	20-30%
	PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTCG)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	All Others	***	***	***	***	***	***	40-50%
Saudi Arabia	Rabigh Refining & Petrochemical Company	***	***	***	***	***	***	0-10%
	Sadara chemical company	***	***	***	***	***	***	0-10%
	Saudi Ethylene and Polyethylene Company (SEPC)	***	***	***	***	***	***	0-10%
	All others	***	***	***	***	***	***	0-10%
UAE	Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) L.L.C. (ADPCL)	***	***	***	***	***	***	Negative
Singapore	All producers	***	***	***	***	***	***	30-40%

H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the other interested parties

125. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- Imports from Qatar should not be cumulated with imports from the other subject countries because there is no dumping from Qatar, imports from Qatar have been influenced by different dynamics and face different conditions of competition, the applicant has not produced autoclave grade and there is no competition between such goods. Further, while price of imports from Qatar is higher and the price undercutting is negligible, volume of imports from Qatar has declined in absolute and relative terms.
 - The prices of imports from Westlake are not undercutting the prices of the domestic industry.
 - The exports of Borouge cannot cause injury as they are negligible as compared total imports in India.
 - The petitioner has not provided country-wise market share with an intention to conceal critical information.
 - There is no injury to the domestic industry as the capacity and production of the domestic industry has increased. In a multi-product plant, trends of production are the best parameter to assess volume effect of the subject imports instead of capacity utilisation. The production of the domestic industry has increased over the injury period. The number of employees and productivity of the domestic industry increased.
 - The domestic industry has not suffered any injury as the volume of imports has declined in absolute and

relative terms, market share of imports has declined and that of the applicant has improved.

- g. There is no correlation between profits and price undercutting as the profits have moved independently of price undercutting. The decline in selling price of the domestic industry is due to other factors as it has moved independently of the cost and import prices.
- h. The landed price, capacity, production, productivity, sales volume and value, number of employees, wages, fixed assets, profits before interest and capacity utilisation have improved in the period of investigation, despite the lockdown due to COVID-19 and the applicant has done well and achieved highest ever polymer production.
- i. Imports have declined while the sales of petitioner increased.
- j. There is no correlation between volume and value of imports and profitability of the domestic industry.
- k. The Appellate Body, in Thailand – H Beams (WT/DS122/AB/R), noted that all the factors listed in Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement must be evaluated by the Authority in examining injury. The Panel in the case noted that when there is a positive movement in a number of factors, a finding on injury would require a compelling explanation from the investigating authorities.
- l. The domestic industry has suffered injury due to increase in capacity leading to high depreciation and interest costs, and initial operational fixed costs.
- m. The petrochemical segment of the domestic industry was impacted in quarter 1 of 2020-21 due to nationwide lockdown and supply chain disruption. The period of investigation should be divided into two, period of lockdown and period during which there was no lockdown in order to ensure that the injury caused due to lockdown is not attributed to the subject imports.
- n. In United States – Anti-Dumping Measures on Certain Hot Rolled Steel Products from Japan, the Appellate Body held that injury caused to the domestic industry by factors other than dumped imports must be segregated from the injury caused due to dumping.
- o. The applicant uses Naptha to produce ethylene which costs more than cost of producing ethylene from ethane. The product is a capital intensive product. In safeguard investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 4400 Series, the Director General held that high depreciation and finance charges were responsible for losses and as a result the causation analysis failed.
- p. Increase in depreciation and amortization expenses shows unusual trend as it is more than the increase in installed capacity. Increase in average capital employed is much more than the increase in installed capacity.
- q. There is no causal link as the injury is due to unstable global macro-economic environment as mentioned by the applicant in its annual report. Trade barriers, excess capacities, geo-political uncertainties and regulatory pressure had a negative impact on performance of the applicant.
- r. Increase in cost of ethylene led to increase in losses and not imports.
- s. The petitioner has suffered due to weak demand in domestic market and diversion of production to exports, which resulted in lower margins.
- t. The petitioner has suffered injury as a result of the product imported by it. Injury caused due to imports made by the domestic industry cannot be considered and the same should be removed from the volume of the subject imports.
- u. Increase in inventory cannot be taken in isolation for determining injury. It may be due to increase in capacity and domestic and export sales of the domestic industry and the decline in cash profits is due to fall in oil prices and effect of COVID-19 in the last quarter of 2019-20.
- v. Impact of Covid-19 restrictions on the operations of the petitioner and its customers should be considered.
- w. The domestic industry has admitted that it has been forced to resort to unremunerative exports. The Authority should seek information regarding the export obligations that the domestic industry under any advance licenses or if any capital goods have been imported under EPCG.
- x. Imports of the subject goods is inevitable as there is demand-supply gap in India and the demand is growing. The applicant increased its capacity, and its plant is working at optimum level, hence there is no scope for enhancement of production. The applicant exports the product and maintains limited

inventory to fulfil such demand. Due to limited inventory maintenance, it had to import the subject goods during its plant shutdown

- y. Within the polymer value chain, RIL uses ethylene feedstock for a number of products. Being a profit-oriented organization, RIL would naturally allocate resources towards more profitable products. Therefore, to obtain an accurate picture of the performance of RIL, it is important to assess the overall performance of entire polymer value chain. Such an examination would show that average 5-year margin of the polyester segment has improved.
- z. A return of 22% should not be allowed as it was introduced as a guideline to Price Control Order 1976-77 and the interest cost has reduced since then. A fixed and pre-determined formula cannot be considered reasonable. In the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority, CESTAT has observed that the practice of granting a return of 22% on capital employed gave an inflated picture of price underselling.
- aa. Format L indicates that advertisements, other admin overheads, other selling & distribution overheads, commission on sales, discounts / rebates, freight outward and export related expense have been included in non-injurious price, which is not appropriate.
- bb. Claim of the applicant to disregard Annexure – III in computation of non-injurious price should not be considered. As per the Manual, the Authority is bound by the principles laid down in Annexure III, as held in Designated Authority v. Andhra Petrochemicals Limited.

H.2. Submissions by the domestic industry

126. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- a. Cumulative analysis of injury is appropriate as the conditions for cumulation are met.
 - b. Cumulative assessment of injury is appropriate for Qatar, as the prices of imports from Qatar moved in tandem with the prices from the other subject countries.
 - c. The profitability of the domestic industry was lower in 2018-19 due to shutdown of one of the plants. The profitability of the domestic industry has witnessed a decline even if the effect of such shutdown is excluded.
 - d. The imports from the subject countries, in relation to production and consumption, first declined in 2018-19 due to the enhanced domestic capacities, and thereafter, increased significantly in the period of investigation.
 - e. Even post enhancement of capacities, the volume of imports has increased much more than the increase in demand as compared to 2018-19.
 - f. The imports in relation to demand-supply gap have increased over the injury period.
 - g. The landed price of imports has declined over the injury period despite an increase in the price of raw material, ethylene.
 - h. The domestic industry has been forced to sell at low prices as the mark-up of import price over ethylene cost has reduced over the injury period.
 - i. Contrary to the claims of the interested parties, the price of domestic industry has declined during the period.
 - j. Even though the domestic industry is selling at lower prices, the price undercutting is positive and significant.
 - k. The interested parties have argued that the price undercutting has reduced over the injury period. However, the price undercutting for only the period of investigation is relevant as is evident from various findings of the Authority. Even other jurisdictions such as Australia and European Union determine price undercutting only for the period of investigation.
 - l. The decrease in price undercutting shows that the domestic industry was forced to compete with the prices of the subject imports.
 - m. In response to the contention that the imports from Westlake are not undercutting the prices of the domestic industry, it was submitted that price undercutting is seen for the subject countries as a whole. Even if price undercutting is negative, it does not imply that the duties cannot be imposed against Westlake as the duties depend upon the dumping margin and injury margin.

- n. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- o. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has analysed the parameters of price suppression or depression, employment, stocks and return on investment in the petition. Price, costs and investments are not injury parameters and do not require analysis.
- p. Despite there being ample demand in the country, the increase in sales is not commensurate with the increase in production.
- q. The market share of the domestic industry has declined as compared to the previous year.
- r. The domestic industry has lost its potential market share to the subject imports. The domestic industry had the capacity to cater to much higher share of demand than it held in the period of investigation.
- s. As regards the contention that country-wise market share was not provided, it was submitted that since cumulative analysis is required, country-wise market share is of no relevance.
- t. Due to availability of the cheaper imports in India, the domestic industry was forced to export the subject goods.
- u. Contrary to claims of interested parties, the applicant did not export under advance license or EPCG license and is willing to provide any information in this regard to the Authority.
- v. Even though the domestic industry exported the subject goods, its average inventories have increased.
- w. The domestic industry has earned profits much less than the target profits in order to achieve 22% return on investment.
- x. The profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry has declined over the injury period.
- y. On the contention that increase in average capital employed and depreciation expenses is more than increase in installed capacity, it was submitted that in a capital-intensive product, significant investment is required to expand capacity and it is not necessary that increase in capacity is the same as capital employed. Increase in depreciation is linked with net fixed assets and not increase in capacity.
- z. The mark-up of landed price over raw material cost has reduced, which shows injury is not due to high finance and depreciation costs. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) and the mark-up earned over variable cost of the domestic industry has decreased over the injury period.
- aa. The interested parties have contended that there is no correlation between the imports and profitability of the domestic industry. However, the profitability of the domestic industry has moved in tandem with the mark up of the import price over the raw material cost.
- bb. Regarding the contention that even with decline in ethylene, PBIT per unit has declined, it was submitted that the interested parties have compared the profits in the base year to the period of investigation while ethylene prices have been compared between the period of investigation and the previous year.
- cc. No other known factors have caused injury to the domestic industry, and the injury to the domestic industry is caused due to dumping.
- dd. Regarding the reliance by the interested parties on annual report that injury is due to unstable global macro-economic environment, it was submitted that the statement in the annual report refers to petrochemical as a whole and not the subject goods.
- ee. The applicant has no objection to dividing the period of investigation in two parts which is the period of lockdown and the period during which there was no lockdown. The applicant has submitted data for 2019-20 and April – June 2020. It is evident from the data that in April 2020 – June 2020, the volume of imports in absolute and relative terms has declined, price undercutting has declined, volume parameters of the applicant have improved, and it has earned a reasonable return on investment. Thus, the domestic industry did not suffered injury due to lockdown.
- ff. As regards the contention that the applicant has suffered due to weak demand and diversion to exports, it was submitted that the demand for subject goods has increased and was sufficient for the applicant to utilize its whole capacity. The applicant was forced to export due to unfavourable market conditions.
- gg. There is no impact of COVID-19 restrictions on the applicant or the customers as the applicant has operated its plant at optimum capacity and even the demand for imports has increased.

- hh. No injury has been caused due to imports by the domestic industry as they are negligible in volume, priced higher than price of imports from Qatar and are not at injurious prices.
- ii. Regarding the contention that the injury caused due to imports made by the domestic industry cannot be considered and such volumes should be removed, it was submitted that the applicant has no objection to such approach. The price of its imports is higher than average price of the subject imports and exclusion of the same would substantiate the injury suffered by it.
- jj. Only one of the plants of the domestic industry was shut down for two months. Even if the effect of shutdown is excluded, there would not be a difference in trends of injury.
- kk. Contrary to the claims of the interested parties, the supply by RIL cannot be erratic as the applicant is operating at optimum capacity and supplying 64% market. It has huge inventories, had there been more orders, the applicant would have fulfilled them. The applicant was forced to export as it was not getting orders in the domestic market.
- ll. Regarding the contention that injury is due to high cost of ethylene using naptha, it was submitted that the applicant has been producing the subject goods using naptha throughout the injury period but did not suffer injury in the earlier period. In European Union – Biodiesel (Argentina) the Appellate Body held that the Authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features inherent to the domestic industry and have remained unchanged over the injury period.
- mm. In response to the contention that Borouge cannot cause injury as the exports by it are negligible, it was submitted that the injury determination is made for the subject countries as a whole and not exporter-wise. Negligible quantity of imports may not reflect actual export price and may be influenced by many factors. It should not be considered for determination of individual dumping margin.
- nn. Regarding the contention that overall performance of the entire polymer chain should be evaluated, it was submitted that such analysis is against the legal provisions. The analysis of dumped imports has to be assessed in relation to like article. Further, ethylene has not been diverted to any other product as the domestic industry has increased its capacity utilization for LDPE.
- oo. Regarding the contention that the injury was claimed on outdated data, it was submitted that the applicant has filed post initiation submissions demonstrating injury based on updated data.
- pp. Contrary to the claims of the interested parties, the data for post investigation period is not required as the applicant has established that the injury suffered is not attributable to any of the factors listed by the interested parties.
- qq. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has not requested to disregard the principles of Annexure – III. The applicant has requested for consideration of return on investment on the captive input, ethylene which is recorded at cost. The applicant has invested a significant amount for its cracker plant, and it should be able to earn a return on the cracker to the extent it is utilized for LDPE. The Authority on multiple instances has acknowledged that it allows a return for captive input valued at cost.
- rr. Contrary to the claims of the interested parties, advertisement expenses and other administrative overheads cannot be excluded from determination of non-injurious price as they are not post ex-factory expenses and such exclusion is not provided in the law.
- ss. Contrary to the claims of the interested parties, the Tribunal has taken a consistent view of allowing 22% return unless a need for taking a different return is demonstrated. In Bridge Stone Tyre Manufacturing V. Designated Authority, the interested parties had placed evidence on record that the global return of the industry was lower. Even if the past returns of the domestic industry are considered, it would be higher than 22%.
- tt. In response to the contention that some months in the period of investigation of 15 months was affected by the lockdown in India, it was submitted that there is no requirement that the period of investigation should be unaffected by any other factor. The only requirement is that injurious effect of any other factor should be segregated.

H.3. Examination by the Authority

- 127. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 128. Annexure-II Para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one

country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
129. With regards to the argument raised by the other interested parties about decumulation of imports from Qatar, the Authority notes that though the volume of imports from Qatar is more than 3% of the total imports, the imports of the subject goods from known producer and exporter from Qatar i.e QAPCO are un dumped, and since there is no other known producer and exporter from Qatar, and therefore, the entire volume of imports from Qatar are not included in the injury analysis.
130. Similarly, it is noted that exports from UAE are un dumped, and since there are no other known producer and exporter from UAE, the volume of imports from UAE are excluded from the injury analysis.
131. Accordingly, the subject countries would herein after comprise of USA, Saudi Arabia, Singapore, and Thailand.
132. With regards to the rest of the imports of the subject goods from the other subject countries, the Authority notes that:
- a. The subject good are being dumped into India from the subject countries except UAE and Qatar. The margins of dumping from each of these subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of these subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
133. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries except Qatar and UAE on the domestic industry.
134. The Authority has taken note of the argument and counter arguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereinunder addresses the various submissions made by the interested parties.
135. With regards the arguments of individual producers / exporters that imports by such producers / exporters have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that, once the conditions of cumulation are satisfied, the analysis of alleged injurious impact of imports is required to be examined for the subject countries as whole and not for individual countries or individual exporters.
136. With regards the contention that examination of the polyester segment of Reliance Industries would show an improved performance, the Authority notes as per the provisions of para (vi) of Annexure – II to the Anti-Dumping Rules, the effect of imports on parameters of the domestic industry shall be assessed in relation to the like article only.

“(vi) The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers’ sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.”

Therefore, analysis of the effect of dumped imports is required to be undertaken in relation to the domestic production of the like product where the separate data permit such examination. Only in the cases where such examination is no possible due to collective data, the Authority is required to examine the production of narrowest group or range of products which includes the domestic like product. In the present case, separate data for the performance of the domestic industry in terms of production, sale and profitability of the like

article has been provided by the domestic industry. Since such separate data is on record, and has been verified by the Authority, it shall form basis of the injury analysis, in accordance with the provisions of para (vii) above. Accordingly, the performance of polymer segment as whole of Reliance Industries Limited is not relevant.

137. Since the period of investigation is not of 12 months, in order to ensure that the actual/indexed figures are directly comparable with preceding years, the actual/indexed data has been annualized and mentioned in this finding.

H.3.1 Volume effect of the dumped imports on domestic industry

a) Assessment of demand/ Apparent consumption

138. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	225	224	224
Subject imports	MT	1,15,583	1,20,485	92,659	1,44,248	1,15,398
Trend	Indexed	100	104	80	100	100
Other imports	MT	1,79,197	2,20,453	1,43,835	1,66,950	1,33,560
Trend	Indexed	100	123	80	75	75
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	139	141	141

139. It is seen that the demand for the subject goods increased throughout the injury period and was the highest during the period of investigation. Demand has increased by 41% over the injury period.

b) Import volumes from the subject countries

140. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Import volume						
Subject countries	MT	1,15,583	1,20,485	92,659	1,44,248	1,15,398
Saudi Arabia	MT	90,408	83,381	40,134	66,980	53,584
Singapore	MT	980	1,899	18,686	21,584	17,267
Thailand	MT	7,716	20,447	12,996	19,944	15,955
USA	MT	16,479	14,758	20,842	35,741	28,592
Other countries	MT	1,79,197	2,20,453	1,43,835	1,66,950	1,33,560
Total imports	MT	2,94,780	3,40,938	2,36,494	3,11,198	2,48,958
Subject imports in relation to						
Total imports	%	39%	35%	39%	46%	46%
Production	%	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	66	29	33	33
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	58	71	71

141. The Authority notes:

- The subject imports increased in 2017-18 but declined thereafter, in 2018-19, as the domestic industry increased its capacity. The volume of the subject imports increased during the period of investigation as compared to the previous year.
- The subject imports in relation to Indian production have declined over the injury period.
- The imports in relation to consumption showed a decline in 2018-19, but increased during the period of investigation. The decline as compared to the base year is a result of increase in the capacity of the domestic industry.

H.3.2 Price effect of the dumped imports on the domestic industry

142. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

143. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject countries. Accordingly, the price undercutting of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Price undercutting	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Saudi Arabia					
Landed price	Rs/MT	86,969	88,430	84,647	76,116
Trend	Indexed	100	102	97	88
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	55	41
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	15-25%	5-15%	5-15%	5-15%
Singapore					
Landed price	Rs/MT	81,903	77,742	78,756	72,295
Trend	Indexed	100	95	96	88
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	71	50
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	25-35%	20-30%	15-25%	10-20%

Thailand					
Landed price	Rs/MT	90,349	91,482	92,258	78,596
Trend	Indexed	100	101	102	87
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	39	3	31
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	5-15%	0-10%	0-10%
USA					
Landed price	Rs/MT	69,081	80,346	84,090	72,691
Trend	Indexed	100	116	122	105
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	26	29
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	45-55%	15-25%	5-15%	10-20%
Subject countries					
Landed price	Rs/MT	84,601	87,789	84,401	75,039
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	49	41
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	15-25%	5-15%	5-15%	5-15%

144. It is seen that the subject imports are entering the Indian market at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting throughout the injury period

b) Price suppression/depression

145. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	137	111
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	81

Landed price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	100	89

146. The Authority notes that the cost of sales of the domestic industry increased till 2018-19, but declined thereafter in the period of investigation as compared to the previous year. The cost of raw material has followed the same trend. In particular, it is noted that over the injury period, the cost of sales has increased by ***%, despite that the landed price of imports has declined by 11%. Since the price of imports was lower, the domestic industry also reduced its price. Therefore, the Authority finds that the imports of the subject goods from the subject countries have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

c) Evolution of prices

147. The cost of production of the domestic industry increased by ***% from 2016-17 to the period of investigation. One of the factors impacting the cost of production was the increase in the raw material price, namely, ethylene, which is the feedstock for the subject goods. The price of such raw material increased by 5% over the same period. However, despite an increase in the price of raw material, the landed price of the subject imports has declined. As a result, the selling price of the domestic industry has also declined in order to compete with the imports in the market.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

148. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

149. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales

150. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	170	311	311	311
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	89	97	97
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	275	302	302
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	225	224	224
Export sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	172	201	201

151. The Authority notes that:

- The installed capacity and production of the domestic industry has increased over the injury period.
- The domestic sales of the domestic industry increased till 2018-19 but declined marginally during the period of investigation.

- c. The capacity utilization declined till 2018-19 but increased thereafter during the period of investigation. The decline in capacity utilization in 2018-19 may be attributable to the plant shutdown witnessed by the domestic industry. However, despite the same, the capacity utilization of the domestic industry remained high throughout the period.
- d. The capacity utilization has been increased slightly in POI over injury period. However, it is observed that export has been increased substantially during POI. This is due to the fact that the dumped imports of subject goods from subject countries have disrupted the domestic market condition and forced the Domestic Industry to export even at a lower price than the domestic price. Although, this has resulted higher capacity utilization but it has eroded the Industry's profitability.

b) Market share

152. Market share of the domestic industry is shown in table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Sales of domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	162	159	159
Subject imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	58	71	71
Other imports	%	36%	38%	21%	19%	19%
Trend	Indexed	100	106	58	53	53
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

153. The Authority notes that the market share of the domestic industry increased till 2018-19 and declined marginally during period of investigation. The market share of the subject imports declined till 2018-19 and increased thereafter in the period of investigation. Overall, the market share of domestic industry increased during the injury period.

154. With regards to the claim that individual market share of each subject country should be provided, it is noted that the Authority has considered it appropriate cumulatively analyze the effect of imports from all the subject countries. Accordingly, the market share of each individual subject country is not relevant for the purpose of examination of injury.

c) Inventories

155. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	534	569	543

156. The Authority notes that the average inventories of the domestic industry have increased the injury period. The piling up of stocks has an adverse effect on its operational financial efficiency of the domestic industry.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

157. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Profit/(Loss) per unit	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	10	28	28

Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	23	62	62
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	38	75	75
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	24	5	7	7

158. The Authority notes the following:

- The profits per unit of the domestic industry have declined by 72% over the injury period.
- The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined over the injury period. However, this decline can be partly attributed to plant shutdown.
- Cash profits of the domestic industry have also declined over the injury period.
- The return on capital employed declined significantly over the injury period. The return on capital employed achieved during POI is not adequate to serve interest, profit and taxes.

159. Some of the interested parties have submitted that the injury caused to the domestic industry is due to capacity expansion and increase in depreciation and the interest cost. The Authority, in the table below, has analysed the Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (“EBITDA”) per unit of the domestic industry in order to segregate the effect of increase in depreciation and interest cost.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
EBITDA	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	75	36	54

160. The Authority notes that the EBITDA per unit of the domestic industry has declined over the injury period. Therefore, the injury to the domestic industry is not due to capacity expansion leading to higher depreciation cost or the interest cost.

e) Employment, wages and productivity

161. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	130	252	201
No. of employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	147	127	127
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	275	302	302

162. The Authority notes that the number of employees, wages and productivity per day have increased over the injury period.

f) Growth

163. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales, profits, cash profits and return on capital employed is as per the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI(A)
Capacity	%	-	70	82	0
Production	%	-	59	73	9.49
Domestic sales	%	-	17	92	-0.08
Profits/(loss) per unit	%	-	-30	-86	175.19
Cash profits	%	-	-14	-56	97.05
Return on capital employed	%	-	-76	-80	49.33

164. The Authority notes that the capacity and production of the domestic industry has shown a positive growth throughout the injury period. The domestic sales have also shown a positive growth in 2017-18 and 2018-19 but have shown a decline in the period of investigation. On the other hand, the profits per unit, cash profits and return on capital employed has shown a negative growth in 2017-18 and 2018-19. The profitability parameters have, however, shown a positive growth in the period of investigation. However, they continue to be significantly lower than that at the beginning of the injury period.

g) Magnitude of dumping margin

165. The subject goods from the subject countries are being imports into India and the dumping margin is positive and significant.

h) Ability to raise capital investment

166. The Authority notes that the domestic industry has already increased capacity. However, the profits per unit, cash profits and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly in the POI as compared to base year. Nevertheless, since the domestic industry is a multi-product company, having a number of businesses, it cannot be considered that the ability of the domestic industry to raise further capital investment has been hampered.

i) Factors affecting prices

167. The landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry. The domestic industry has been forced to reduce its prices, despite an increase in raw material cost, due to the presence of dumped imports in the country. This shows that the dumped imports are impacting the prices of the domestic industry.

iii. Price underselling/injury margin

168. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, utilities and production capacity by the domestic industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

169. In line with the determination of dumping margins, the injury margin has also been determined for the related companies together taking them as one entity.

170. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

Subject Countries	Name of Producer	Landed Value USD/MT	Non-injurious Price USD/MT	Injury Margin	Injury Margin %	Wt Injury Margin	Wte average IM %	Range
Qatar	Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.P.J.S.C	***	***	***	***	***	***	10-20%
USA	Westlake Longview Corporation	***	***	***	***	***	***	Negative
	Westlake Polymers LLC					***	***	Negative
	All Others	***	***	***	***	***	***	0-10%
Thailand	Thai Polyethylene Co., Ltd.*	***	***	***	***	***	***	0-10%
	PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTCG)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	All Others	***	***	***	***	***	***	20-30%
Saudi Arabia	Rabigh Refining & Petrochemical Company	***	***	***	***	***	***	10-20%
	Sadara chemical company	***	***	***	***	***	***	10-20%
	Saudi Ethylene and Polyethylene Company (SEPC)	***	***	***	***	***	***	10-20%
	All others	***	***	***	***	***	***	10-20%
UAE	Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) L.L.C.(ADPCL)	***	***	***	***	***	***	10-20%
Singapore	All producers	***	***	***	***	***	***	10-20%

H.3.4 Non-attribution analysis and casual link

171. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have caused injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

172. Other than the subject countries, there are significant imports from European Union and Korea RP. However, the imports from these countries are priced above the prices of the domestic industry and are not injurious to the domestic industry. Imports from other countries are negligible in volume. Thus, imports from third countries have not caused injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

173. As the demand for the subject goods has increased over the injury period, contraction in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority does not find any merit in the contentions that the domestic industry suffered injury due to weak demand.

c) Changes in the pattern of consumption

174. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration.

d) Trade restrictive practices or conditions of competition

175. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are not the cause for injury to the domestic industry.

d) Development in technology

176. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e) Export performance of the domestic industry

177. The domestic industry submitted that considering the demand for the product in the country, there is no necessity for the domestic industry to undertake exports, especially when these exports are at a price and profitability much adverse as compared to the domestic market. The only reason for exports by the domestic industry is lack of orders from the domestic market. The domestic industry is faced with a situation where it has continuous production of the product, but the domestic sales are less than its production and demand for its product from the market. Faced with absence of orders from the domestic market, the domestic industry has no option but to undertake exports, even when these orders are far less profitable to the domestic industry. The domestic industry also contended that even when the adverse performance of the domestic industry has been segregated to show the impact of dumped imports on the domestic industry, the adverse performance and profitability of the domestic industry in the export market is because of dumping of these products in the Indian market, leading to insufficient demand for its product from the domestic market. Should the domestic industry get an opportunity to sell the material in the domestic market, it would not only be able to improve its profitability but also its viability. Thus, adverse performance of the domestic industry in export market is a consequence of dumping of the product in the country. The Authority also notes that the contention of the domestic industry on this account has remained un rebutted.

SN	Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
1	Sale Volume	MT	***	***	***	***
2	Domestic	MT	***	***	***	***
3	Export	MT	***	***	***	***
4	Sales Value	₹ lacs	***	***	***	***
5	Domestic	₹ lacs	***	***	***	***
6	Export	₹ lacs	***	***	***	***
7	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
8	Domestic	₹/MT	***	***	***	***
9	Export	₹/MT	***	***	***	***
10	Cost	₹/MT	***	***	***	***
11	Domestic	₹/MT	***	***	***	***
12	Export	₹/MT	***	***	***	***

13	Profit	₹/MT	***	***	***	***
14	Domestic	₹/MT	***	***	***	***
15	Export	₹/MT	***	***	***	***
16	PBT Value	₹ Lacs	***	***	***	***
17	Domestic	₹ Lacs	***	***	***	***
18	Export	₹ Lacs	***	***	***	***
19	Interest/ Finance Cost	₹ Lacs	***	***	***	***
20	Domestic	₹ Lacs	***	***	***	***
21	Export	₹ Lacs	***	***	***	***
22	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
23	Domestic	₹ Lacs	***	***	***	***
24	Export	₹ Lacs	***	***	***	***
25	Capital Employed	₹ Lacs	***	***	***	***
26	Domestic	₹ Lacs	***	***	***	***
27	Export	₹ Lacs	***	***	***	***
28	Return on Investment	%	***	***	***	***
29	Domestic	%	***	***	***	***
30	Export	%	***	***	***	***

SN	Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
1	Sale Volume	MT/Indexed	100	154	288	298
2	Domestic	MT/Indexed	100	117	225	224
3	Export	MT/Indexed		100	172	201
4	Sales Value	₹ lacs/Indexed	100	138	254	227
5	Domestic	₹ lacs/Indexed	100	110	205	181
6	Export	₹ lacs/Indexed		100	180	170
7	Selling Price	₹/MT/Indexed	100	90	88	76
8	Domestic	₹/MT/Indexed	100	94	91	81
9	Export	₹/MT/Indexed		100	105	85
10	Cost	₹/MT/Indexed				
11	Domestic	₹/MT/Indexed	100	112	139	111
12	Export	₹/MT/Indexed		100	141	101
13	Profit	₹/MT/Indexed				
14	Domestic	₹/MT/Indexed	100	63	7	28
15	Export	₹/MT/Indexed		100	-61	11
16	PBT Value	₹ Lacs/Indexed	100	87	1	65
17	Domestic	₹ Lacs/Indexed	100	74	15	62
18	Export	₹ Lacs/Indexed		100	-105	21

19	Interest/ Finance Cost	₹ Lacs/Indexed	100	2,164	10,925	9,322
20	Domestic	₹ Lacs/Indexed	100	1,737	8,825	7,434
21	Export	₹ Lacs/Indexed		100	492	442
22	PBIT	₹ Lacs/Indexed	100	99	63	118
23	Domestic	₹ Lacs/Indexed	100	84	65	104
24	Export	₹ Lacs/Indexed		100	-12	87
25	Capital Employed	₹ Lacs/Indexed	100	607	2,051	2,303
26	Domestic	₹ Lacs/Indexed	100	362	1,388	1,559
27	Export	₹ Lacs/Indexed		100	270	303
28	Return on Investment	%/Indexed	100	16	3	5
29	Domestic	%/Indexed	100	23	5	7
30	Export	%/Indexed		100	-5	29

f) Performance of other products

178. The Authority has considered segregated data for product under consideration for injury analysis. Thus, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

g) COVID-19

179. Some of the interested parties have claimed that the first quarter of 2020-21 was impacted by the COVID-19 pandemic. The Authority notes that there is no significant impact of COVID-19 on the operations of the applicant. The applicant did not face any shut down due to COVID-19. The demand for the product under consideration has consistently increased over the injury period. Further, while the volume parameters have marginally declined in April-June 2020 as compared to 2019-20, the profitability of the domestic industry has been better in this period as compared to 2019-20.

h) Imports by domestic industry

180. The interested parties have contended that the domestic industry has suffered injury due to its own imports. However, as noted hereinabove, the volume of imports by the domestic industry is negligible, less than 1% of the subject imports. Further, the price at which the domestic industry has imported the product is significantly higher, by around 20%, than the average price of imports from the subject countries. Such low volume of imports at significantly higher prices cannot be considered as having caused injury to the domestic industry.

H.3.5 Examination by Authority on causal link and injury

181. The Authority, has examined whether the domestic industry has suffered injury in the period of investigation due to other factors. The following factors are relevant in this regard:

- There is significant dumping of the subject goods in India.
- While the volume parameters of the domestic industry are not affected by the imports, the price and profitability parameters show a significant adverse impact.
- The imports are undercutting the prices of domestic industry and are priced below the cost of the domestic industry in the period of investigation.
- The imports have forced the domestic industry to reduce its prices and have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- As a result, profits per unit of the domestic industry have declined by 72% over the injury period. Cash profits and the return on capital employed of the domestic industry have also declined over the injury period.
- The imports entered the market at prices below the prices of the domestic industry. The price of imports has declined, despite an increase in the price of ethylene. It is, therefore, evident that while the domestic industry has not suffered injury in terms of its volume parameters, the imports have adversely impacted

the profitability of the domestic industry.

- g. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the domestic industry, and the domestic industry has suffered material injury because of dumped imports of the subject goods from the subject countries.

I. POST-DISCLOSURE COMMENTS

I.1. Submissions by the other interested parties

182. The interested parties have re-iterated their submissions regarding exclusions of certain grades of LDPE, non-existence of particular market situation, injury to the domestic industry, and causal link. The following additional submissions have been made by the other interested parties post issuance of the disclosure statement.
 - i. EC4062AA goes through additional rheological testing parameters. The domestic industry has not sold EC4062AA and the disclosure statement does not clarify that grade 1070LA17 is used for the same purpose as EC4062AA, and the use of 1070LA17 would create an off-flavour and impact food safety. The extruders installed by Tetra Pak are made for melt flow index 8.5 g/min and density of 918-920 g/m³.
 - ii. It is not clear whether CPMA provided the relevant documents and had locus standi to file the application.
 - iii. The change in the data of the domestic industry post initiation of the investigation has not been examined.
 - iv. Mere government determination of prices of input is insufficient to conclude a particular market situation. A particular market situation must exist for the product under consideration, and not only for feedstock.
 - v. The feedstock prices in Saudi Arabia, even though regulated, are applied on non-discriminatory basis to all manufacturers of LDPE whether for domestic consumption or exports. As is evident from the report of the Working Party, the price of feedstock is based on commercial standards as it covers the cost of production, and a reasonable margin and price of propane and butane are based on a formula which ensures that NGL prices are based on international market prices.
 - vi. The WTO members have accepted the feedstock prices in Saudi Arabia as commercial price which is evident from the fact that no additional conditions were introduced in the Accession Protocol based on such prices.
 - vii. The prices of feedstock do not affect the price comparability between the domestic and export sales of the product under consideration.
 - viii. Non-existence of particular market situation has been confirmed by the DGTR in a number of previous investigations. The European Commission also did not find a particular market situation in anti-dumping investigation on imports of MEG from USA and Saudi Arabia.
 - ix. The determination of export price for Petro Rabigh based on the weighted average of export price by related and unrelated entities is not appropriate since PetroRabigh should not be punished for non-participation by unrelated traders.
 - x. SEPC cannot be faulted for non-participation of some unrelated traders on whom SEPC and its related marketers do not exercise any control.
 - xi. M/s Saudi Kayan and M/s Kemya has submitted that the questionnaire format applicable during the investigation, required certification by the respective producers. The producer does not have the visibility over the destination. The required information was presented in the questionnaire responses of the entities that performed the respective sales transactions. From the same files submitted earlier, using only pivot table functionality, separate Appendices 3C and 4A for the two producers have been drawn and now submitted as two separate excel files. The Authority must prefer substance over form. There is no specific instruction that a producer shall collect all the information from its related entities and file it as part of its questionnaire response.
 - xii. While the Authority has stated that the loss suffered by Tasnee Marketing has been adjusted, it has earned a profit on sales of the product under consideration to India.
 - xiii. The Authority has currently adjusted the export price to the extent of 51% which is much higher than the global practice of adjustment to the tune of 5-8%.

- xiv. While the Authority has noted that there is price undercutting, it has not noted that the price undercutting is “significant” to cause price effect.
- xv. There is no impact of price undercutting as the PBIT of the domestic industry has moved independently of price undercutting throughout the injury period.
- xvi. Imposition of anti-dumping duty will lead to monopolistic behavior of the domestic industry as RIL is the only producer in India and the subject imports are the only competition for the domestic industry.
- xvii. While the Authority has noted that inventories of domestic industry has increased, it is contradictory to the fact that RIL has acknowledged in its annual report that inventory level of products under polymer division has reduced.
- xviii. Any impact on performance of the domestic industry is a result of Covid-19, increase in capacity leading to higher operational cost and startup cost, shut down of plant, increase in interest cost and depreciation, and use of naphtha which has a higher cost.
- xix. The price of raw material for packaging industry has already increased due to logistic challenges, increase in oil prices and other input cost, shortage of material etc. Imposition of anti-dumping duty would further increase the burden on the food industry by 8-10%.
- xx. The Authority should consider the impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry.
- xxi. Hon’ble CESTAT in the case of Indian Spinners Association vs. Designated Authority reported in 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. – Del.) wherein it was observed that if the selling price of the domestic industry moves independently of the landed value of the imports, it would establish that price suppression and depression, if any, cannot be attributed to imports.
- xxii. Since price underselling is negative for Westlake, there can be no injury due to imports from the said entities.
- xxiii. Exxon Mobil and SABIC are indeed independent entities with no relationship with each other. They source the PUC from one common entity and there ends the relationship, if any.
- xxiv. The import prices of the subject goods by Westlake are not undercutting the prices of the domestic industry.
- xxv. It is requested that fixed form of duty should be considered as the prices for the product under consideration have increased post period of investigation, and ad valorem duty would lead to over protection.

I.2. Submissions by the domestic industry

183. The domestic industry has reiterated its submissions with regard to particular market situation in Qatar and UAE, injury to the domestic industry, and public interest. Additionally, the following submissions have been made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement:
- i. The Authority has not disclosed the facts under consideration with regards to certain injury parameters such as price suppression and depression, profitability of domestic industry and growth of domestic industry which shall form the basis of final determination of the Authority. Only verified information with regards to the said parameters have been shared by the Authority.
 - ii. The disclosure statement shows that procurement prices of ethylene and ethane by the exporters in Qatar and UAE have been compared to market prices as per information made available by these exporters. The non-confidential version of such information has not been shared with the domestic industry, and no reason has been provided for rejection of the information provided by the domestic industry.
 - iii. Since ethylene is used for manufacturing various products including LDPE, MEG, Polyethylene and PVC, any decline in production of LDPE will lead to decline in production of ethylene increasing per unit cost of production of ethylene. This will impact the prices of other products which use ethylene as a raw material and have an adverse impact on the downstream industry of such products.
 - iv. The major cost of production of the product under consideration is conversion of ethane into ethylene/naphtha. The applicant is able to operate in the market due to its own cracker plant.
 - v. The users have not provided any substantial evidence to show that their operations would be adversely impacted due to the imposition of duties.

- vi. The exporters in the subject countries enjoy unfair advantage due to Government control of prices of feedstock and the particular market situation in the GCC countries. The domestic industry is unable to compete due to the distorted cost of production of the exporters in GCC.
- vii. While the main aim of the exporters is to maximize profits and will not hesitate to exit the market, the domestic industry has a long-term commitment to the Indian market, as it is involved in multiple segments in India since 1960s.
- viii. Since the product under consideration is used in food packaging, the quality needs to be maintained. While the domestic industry takes all precautions to achieve the best possible quality, the production process of exporters is not known.
- ix. While the bound rate for the product under consideration is 40%, the importers are enjoying a concessional rate of customs duty on imports of the product under consideration.
- x. It cannot be said that the operations of downstream industry will become unviable in case of imposition of anti-dumping duty and merely because fair conditions of competition are restored in the market.

I.3. Examination by the Authority

184. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and the domestic industry and notes that though most of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant parts of the finding, the Authority has examined the fresh issues raised by the interested parties.
- a. As regards the exclusion of grade EC4062AA, the Authority notes the grade 1070LA17 produced by the domestic industry can be used for food packaging and lamination. The specification sheet provided by the domestic industry shows that it meets the regulatory requirements concerning safe contact with foodstuffs, thereby making it safe for use in food packaging. Tetra Pak has claimed that its extruders can only use goods with melt flow index 8.5 g/min and density of 918-920 g/m³. In this regard, it is noted that the product specification sheet of both EC4062AA and 1070LA17 shows a density of 917 g/m³. Further, while EC4062AA has a melt flow index of 10 g/min, 1070LA17 has a melt flow index of 8.5 g/min. Therefore, both the grades would satisfy the requirements of the extruders, as explained by Tetra Pak. The Authority, therefore, does not find any merit in the request for exclusion.
 - b. With regards to non-submission of the documents of CPMA, it is noted that M/s Reliance Industries Limited has simultaneously filed application for imposition of the anti-dumping duty, and is the sole producer of the domestic like product in India and it has provided relevant information. Thus, it is clear that there are no other producers producing the domestic like product, and hence it can be said that producer accounting for 100% production of domestic like product in India have supported the filing of the petition, and have submitted information pertaining to the PUC, dumping and injury.
 - c. With regards to the change in data submitted by the domestic industry, it is noted that the Authority has already examined the issue in detail in the relevant headings of this findings. Further, the data filed by the domestic industry has been duly verified and only after such verification, the same has been analyzed in this Final Finding.
 - d. The contentions with regard to the existence of particular market situation in Saudi Arabia have already been dealt with in the relevant parts of this final findings.
 - e. With regard to the submission made by Petro Rabigh that they should not be penalised for non-participation of unrelated traders, the Authority notes that it is required to calculate the export price for the producer taking into account all the exports made by the producer to India, either directly or through traders. Thus, it is required that all traders involved in the export chain should participate in the investigation and provide relevant information regarding the export price. In case of Petro Rabigh, some traders involved in export chain to India have not participated in the investigation and have not provided the necessary details. Accordingly, the Authority has made appropriate adjustment for the exports made through non-cooperative traders as per its consistent practice.
 - f. Regarding the submission of Appendix-3C by Kemya and Saudi Kayan after the disclosure statement, the Authority notes that the Appendix-3C was submitted at a belated stage and as noted by the Authority in the relevant portion of the findings, in the absence of non-submission of relevant information in the form and manner required, the Authority cannot determine the ex-factory export price for the subject goods exported to India. Further, the Authority has not granted individual dumping margin to these producers and exporters as per detailed reasons recorded in the relevant parts of the findings.

- g. With regard to the submission of Tasnee Marketing that the adjustment for loss done by the Authority is not appropriate as the company did not suffer any losses, the Authority notes that the audited financial statements provided by Tasnee Marketing clearly show that the company incurred losses during the POI. However, in the questionnaire response filed by Tasnee Marketing, it was claimed that the company did not suffer any losses during the POI. On a closer scrutiny of their questionnaire response, the Authority noted that the allocation methodology adopted by Tasnee Marketing was not appropriate and was also at variance with the allocation methodology adopted by its related entity. The Authority accordingly applied the appropriate allocation methodology and worked out the dumping margin for Tasnee Marketing and its related producer.
- h. Regarding the concerns that the adjustments to export price are high, it is noted that the adjustments made have been duly explained in the relevant portion of the findings. The interested parties have not been able to demonstrate that any undue adjustments have been made in the determination of ex-factory export price.
- i. As regards the contention that there is only one producer and supplier of LDPE in India, the Authority notes that the existence of sole supplier, in fact, underscores the importance of anti-dumping measures. If the operations of the sole producer are hampered and become unviable, the country would become entirely dependent on imports. However, existence of sole supplier does not imply that the producer would be able to enjoy monopoly. To the contrary, the product can also be imported from other countries, and therefore, the users would continue to have access to multiple sources of supply.
- j. As noted by the Authority in the relevant portion of the findings, reference to performance for polymer segment as a whole is not appropriate, having regard to the provisions of para (vi) of Annexure – II of the Anti-Dumping Rules. Therefore, the volume of inventories for the polymer segment are not relevant. The Authority has examined the inventory for the subject goods in its analysis.
- k. With regards to the submission that the performance of the domestic industry has been hampered due to COVID-19, it is noted that there is no significant impact of the pandemic on the operations of the domestic industry, as it did not face shutdowns due to COVID-19. The demand for the product under consideration has increased over the injury period.
- l. With regards to the contention that the injury to the domestic industry is due to use of naptha as a raw material, it is noted that the use of naptha has in fact declined over the injury period in total production of LDPE. Further, the domestic industry has been using naptha as a raw material and importing ethane throughout the injury period. Despite the same, the selling price of the domestic industry declined by *** per MT which could not have been attributed to the use of naptha. Profitability of the domestic industry has declined due to this price decline over the injury period. Injury to the domestic industry over the injury period cannot be attributed to the raw material as there has been no change in the consumption of raw material over the injury period. The injury to the domestic industry is thus, not due to the use of a particular raw material.
- m. The Authority notes that the downstream industry is a pass-through industry and any increase in the prices of the product under consideration will be eventually passed on to the ultimate consumer. Hence, the downstream industry will be able to maintain its current margins. Further, since the product under consideration forms an insignificant part of cost of the final product, thus the imposition of the anti-dumping duty will not adversely impact the ultimate consumer of the product under consideration.
- n. The interested parties have submitted that profitability of the domestic industry has not followed the trend of the price undercutting. The matter has been examined, and it is noted that it may not be appropriate to compare the profitability trends only with the price undercutting margin during the injury period. There may be cases where the price undercutting may remain in similar region throughout the injury period, but profitability of the domestic industry may decline, due to the trends in cost being different from trends in prices. Trends in profitability are linked to trends in costs and prices, whereas the price undercutting is linked to import price and domestic industry price. Reducing price undercutting is a clear indicator of increasing competition between the domestic and imported product.
- o. The Authority notes that not only are the subject imports significantly undercutting the prices of the domestic industry, but also have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. Over the period, the cost of sales of the domestic industry increased by ***, whereas the raw material price has increased by ***. Despite that, the landed price of imports has declined by 11% over the period. Since the price of imports was lower, the domestic industry has also reduced its price, despite increase in cost.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price	Rs/MT	85,242	87,782	84,690	75,570
Trend	Indexed	100	103	99	89
Price of ethylene	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	118	105

- p. As regards the contention that negative injury margin implies absence of injury, the Authority notes that injury margin is only intended for imposition of duty based on lesser duty rule, and does not reflect on the injury suffered by the domestic industry. No conclusions can be drawn regarding the injury parameters based on the injury margin.
- q. With regard to the submission made by the domestic industry that the Authority has not disclosed facts under consideration with regard to certain injury parameters such as price suppression and depression, profitability of domestic industry and growth of domestic industry which shall form the basis of final determination of the Authority and only verified information with regard to the said parameters have been shared by the Authority, it is noted that the Authority had disclosed all the essential facts to the interested parties in the disclosure statement and no conclusions were derived based on such essential facts in the disclosure statement. The Authority has now given its final conclusion regarding dumping, injury and causal link in the present final findings.
- r. With regard to the submission made by the domestic industry concerning interest of user industry, the Authority notes that it has examined Indian industry's interest in the relevant parts of the final findings.
- s. With regards to the submission made by the domestic industry about comparison of feedstock prices with the market prices for UAE and Qatar, it is noted that same has been dealt in the relevant parts of the findings pertaining to determination of normal value for exporters in both the countries.
- t. Some of the interested parties have submitted that the injury caused to the domestic industry is due to capacity expansion and increase in depreciation and interest cost. The Authority, in the table below, has analysed the EBITDA per unit of the domestic industry in order to segregate the effect of increase in depreciation and interest cost.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
EBITDA	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	75	36	54

The Authority notes that the EBITDA per unit of the domestic industry has declined over the injury period. Therefore, the injury to the domestic industry is not due to capacity expansion leading to higher depreciation cost or interest cost.

- u. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, the fair competition in the Indian market will not be reduced by imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of a wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product under consideration to the consumers.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

185. The Authority considered whether imposition of proposed anti-dumping duty shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration would be against the large public interest. This determination is based on consideration of

information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product under consideration.

J.1. Submissions by other interested parties

186. The other interested parties have made the following submissions with regards to public interest:

- a. As the applicant is the sole producer of LDPE in India, there is likelihood that it will dominate the market and create barriers for market entry which will hamper the competitive environment in India.
- b. In the recent past there has been an unprecedented increase in price of LDPE resulting in loss of business proposition for small-scale downstream manufacturers. The applicant is already dominating the market by inflating the price of LDPE frequently.
- c. There is a demand-supply gap in the country, as the demand in India is 1100KT, whereas the supply is 600KT. Imposition of anti-dumping duty will stop all imports and result in monopoly of RIL in India.
- d. Corona Virus has already impacted the world including India adversely and the imposition of duty will further aggravate the situation in terms of loss of livelihood, reduction in export of downstream goods, market asymmetry, undue protection to domestic industry making bumper profits, adverse effect on small end users, demand-supply gap.
- e. Imposition of anti-dumping duty will be contrary to policy of Government of India and budget 2020-21 on protection of MSME sector post COVID-19. MSME is struggling to survive at present. The unemployment rate in India is at the highest and MSME sector is the main employment generator.
- f. There are thousands of end users in India who are mostly in MSME sector and cost of LDPE in their final production is 60-70% of total cost. Imposition of anti-dumping duty will adversely affect economies of these end users.
- g. The purpose of anti-dumping duty is to protect the fair international trade order. Anti-dumping measures should not be used to protect the industry.
- h. Imposition of anti-dumping duty will make the finished goods manufactured by small-scale industries expensive and uncompetitive. It will lead to increase in price of basic commodity material packed in the films manufactured by using LDPE as a raw material.
- i. Increase in prices of downstream products will reduce the consumer preference for such products. This will cause competitive asymmetry in the India market.
- j. Imposition of duty will lead to reduction in export of finished downstream goods, demand-supply gap in downstream products and wastage of food due to unavailability of good packaging material.
- k. Imposition of duty will result in protection to only one company, that is RIL.
- l. LDPE is imported in India as supplies by RIL are erratic and cannot feed continuous process of packaging industry, quality of imported product is better for using on high speed blown films and extrusion coating machines and all grades of LDPE are not produced by RIL.
- m. The applicant cannot meet the demand in India as there is a waiting period of 15 days to 1 month for supply of LDPE.
- n. The value chain of raw material in LDPE is completely inverted as there is only one producer and supplier of LDPE in India. Imposition of anti-dumping duty on LDPE will make the downstream users uncompetitive in the international market.
- o. The applicant has been misusing trade remedy measures as it has applied for various trade remedial investigations on many of its products.

J.2. Submissions by the domestic industry

187. The domestic industry has made the following submissions with regards to public interest:

- a. Contrary to the claims of the interested parties, the users will not be effected by the imposition of anti-dumping duty as the user industry is a pass-through industry which is evident from the fact that the prices of the subject goods were higher in 2017-18 but the operations of users did not become unviable and the demand increased. In any case, the impact of duties on the end product will be negligible.
- b. As the product under consideration forms a very small part of the price of the eventual product, the impact on the final product to the consumer would be negligible.

- c. In response to the contention that RIL will create barriers for market entry, it was submitted that imposition of anti-dumping duty will encourage further investment in the product. The subject goods can be imported from other countries such as European Union, Japan, China PR and Korea RP. Imposition of anti-dumping duty does not ban imports but only ensures that they are available at un-dumped prices.
- d. As regards the contention that imposition of anti-dumping duty will protect only one company, it was submitted that dumping should not be allowed even when there is a single producer. If the investments made by the sole producer in India become unviable, it will close down its operations with regards to product under consideration and India will become totally reliant on the imports. It will also discourage further investment in the product which will lead to widening of demand-supply gap.
- e. If the investments in LDPE become unviable, the investment in upstream product, ethylene will become unviable as well.
- f. The applicant can cater to 87% demand in India based on its current production and the remaining demand can be fulfilled by imports from other countries which currently cater to 10.5% demand. Demand-supply gap is not a ground for non-imposition of duties as held by the Tribunal in DSM Idemitsu Limited V. Designated Authority. The Authority has recommended imposition of anti-dumping duties in numerous investigations even though there was a demand-supply gap.
- g. Regarding the contention that the purpose of anti-dumping duty is to protect fair international trade order and should not be used to protect the industry, it was submitted that the applicant is seeking redressal of injury caused to it due to dumping and not seeking undue protection.
- h. Exports of downstream products are not significant. If the downstream industry wants to export, it can import the subject goods duty free under advance authorization or avail RIL's deemed export pricing policy where it sells the goods to customers who have import license. RIL is a renowned brand and is using the same technology as being used globally, hence, the quality cannot be an issue.
- i. Contrary to the claims of the interested parties, there is no anti-dumping duty at present and the same cannot be a reason of MSME sector being uncompetitive in the international market.
- j. Regarding the contention that the value chain of LDPE is completely inverted, it was submitted that value chain of most products subject to anti-dumping duty is inverted in the sense claimed by the interested parties as there are more users than the producers. However, this has no relevance on whether duties are in public interest.
- k. Contrary to the claims of the interested parties, imposition of anti-dumping duty cannot cause competitive asymmetry as the duties will impact all the users equally. The user industry develops products as per the specifications provided by the customers and the threat of imports in such an industry is minimal.
- l. As against submissions of interested parties, RIL is renowned for its quality and is using the same technology as being used globally.
- m. The contention of the interested parties that the applicant is misusing trade remedy measures as it has applied for various measures has no relevance in determining whether duties should be levied on LDPE. Globally duties are levied more frequently on chemical and petrochemical products, in which the applicant is involved. Out of 75 products of the applicant only some attract anti-dumping duty. In every case where duties have been imposed, the Authority found dumping and injury.
- n. In response to the contention that there is a waiting period for supply of LDPE from RIL, it was submitted that there is no waiting time as 90% orders are dispatched by the applicant within 24 hours, while there is a significant transit time involved in case of imports. Even if, arguendo, RIL takes 1 month to deliver the orders, it will be substantially less than the time taken for orders from the subject countries, which take 45-70 days.
- o. Contrary to the claims of the interested parties, the downstream industry has not been affected by the COVID-19 pandemic as the demand for packaging normalized and increased post lockdown period. This was due to increase in demand for e-commerce, food delivery, pharmaceuticals, frozen food, breads, fresh produce, beverages and squeezable bottles.

J.3. Examination by the Authority

188. The authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide

relevant information with regard to present investigations, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty, impact of imposing the present duty. The authority notes that following consumers filed questionnaire response:

- i. Paharpur 3P Private Limited
- ii. Tetra Pak India Private Limited
- iii. SABIC Research & Technology Private Limited
- iv. Uflex Limited
- v. Ultimate Flexipack Limited

189. Further, the following associations representing users have participated in the present investigation.

- i. Telangana And Andhra Plastics Manufacturers Association
- ii. All India Plastics Manufacturers' Association
- iii. Organization of Plastics Processors of India

190. These consumers also attended the oral hearing and made submissions, which have been taken into account. The Authority notes that these interested parties have not shown with quantified information that imposition of anti-dumping duty shall have significant adverse effect either on these consumers or at public at large.

191. Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand-supply gap in India and they would be forced to pay higher price for the imports. The Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge demand-supply gap.

192. The Authority also notes that while there is a demand-supply gap in the country, the imports at present far exceed such gap. that the product under consideration can also be imported from other countries, such as Qatar, UAE, Belgium, Netherlands and Korea RP. The volume of imports historically made from these countries were sufficient to address the demand-supply gap. The imports from the other countries have declined only because of increased imports at cheaper prices from the subject countries. Therefore, in the event of imposition of the duty, users can continue to source the subject goods from other countries.

193. With regard to import from other sources, the Authority has also considered the price of imports from the other countries, versus the price of imports from the subject countries. The volume and price of imports from the other countries and the subject countries are given in the table below. It is seen that the price of imports from the rest of the world is higher than the price of imports from the subject countries. Further, import price of the subject goods from the rest of the world are higher than the selling price of the domestic industry

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Volume of imports						
Subject countries	MT	204,500	225,212	160,797	219,641	175,713
Other countries	MT	91,978	116,511	76,006	91,557	73,245
Price of imports						
Subject countries	Rs./MT	85,242	87,782	84,690	75,570	75,570
Other countries	Rs./MT	97,403	100,836	114,839	101,763	101,763

194. The Authority further notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product under consideration to the consumers.

195. Some of the interested parties have contended that the imposition of anti-dumping duty will make downstream

product uncompetitive and lead to reduction in exports. The Authority notes from the information on record that the imposition of antidumping measures would not have any significant impact on the prices of downstream products.

196. Some of the interested parties have contended that they are forced to import due to the inferior quality of the subject goods produced by the applicant and the delay in deliveries. The Authority notes that the applicant has been catering to a large share of the market and has been using its plant at high-capacity utilisation. This would not have been possible if the subject goods produced by the applicant were of the inferior quality. The Authority further notes that as per the data on record, the applicant has piled up inventories and a delay in delivery is unlikely in such a situation. The domestic industry has also submitted that it takes only 24 hours for delivery of 90% of the orders, whereas the transit time for imports is between 45-60 days for the Middle East, and 70 days for the USA.
197. Some of the interested parties have contended that COVID-19 has impacted the downstream industry. The Authority notes that the effects of COVID-19 are not restricted to the downstream industry but to all entities not just in India, but globally.
198. The interested parties have emphasized that the applicant has sought trade remedial measures on a number of products. In response, the applicant has highlighted that it produces 75 products, of which duties are in force against very few. The Authority notes that the number of products on which duty has been sought cannot be a consideration for the decision concerning imposition of duty. Irrespective of the number of products on which a producer may seek duty, any duty would be imposed only if the Authority finds that there is dumping, injury and causal link. Therefore, any duty that has been imposed on any of the products produced and supplied by the applicant, is only after due examination of the relevant factors, and having regard to the merits of the case.
199. While none of the users have substantiated a significant impact of duties on their operations, the domestic industry has provided details of impact of duties on the downstream products, as below.

Sector	End use	Price of end product	Use of LDPE material (gms) per unit	Cost of LDPE material per unit	Cost escalation of LDPE material	% of cost increment as end product price
LD Foam	4" Mattress (PU+PE)	3,500	1500	116.0	8.2	0.23%
LD Foam	43" TV packing	35000	1000	77.3	5.5	0.02%
LD Foam	250 lts Fridge packing	16000	500	38.7	2.7	0.02%
Milk film	1 ltr Milk pouch	50	2	0.2	0.0	0.02%
Shrink film	Cold drink 12x2.25 ltr	1140	17	1.5	0.1	0.01%
Laminates	Snack Packaging 50 gm	10	1	0.1	0.0	0.05%
LD EC	Tarpaulin (200 GSM, 3X4) sqm	550	528	50.6	2.9	0.53%
LD EC	Pondliner (500-micron, 3 x 4) sqm	1200	1200	115.0	6.6	0.55%
LD W&C	185 Sqmm 11KV XLPE Aluminium Cable	1600	400	30.9	0.0	0.00%

200. The Authority notes that there is no significant impact on the downstream industry.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

201. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- a. The subject goods produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration imported from the subject countries.
- b. While there is a particular market situation in Saudi Arabia, there is no evidence to show that it prevented a proper comparison between the domestic and export sales.
- c. The Authority has determined that dumping margin for exports from Qatar and UAE is negative. Thus, the Authority concludes that imports from Qatar and UAE into India are not dumped imports. Rule 14(c) of the Rules require that the Authority shall terminate an investigation immediately if it determines that the margin of dumping is less than two per cent of the export price. Thus, the investigation is terminated against exports of the subject goods from UAE and Qatar in accordance with Rule 14(c) of the Rules. Accordingly, the subject countries comprise of USA, Saudi Arabia, Singapore, and Thailand only.
- d. The subject goods are being dumped into India from the subject countries i.e USA, Saudi Arabia, Singapore and Thailand. Considering the normal value and the export price of the product under consideration, the dumping margin has been determined for the subject countries. The dumping margin is positive and significant for subject countries.
- e. The volume of imports into India declined in 2018-19, as the domestic industry increased capacity. However, during the period of investigation, the imports have increased, in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- f. The imports of the subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
- g. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry, as the landed price and selling price of the domestic industry declined despite an increase in raw material price.
- h. The capacity, production and capacity utilization of the domestic industry increased. The domestic sales of the domestic industry increased till 2018-19, but declined marginally in the period of investigation.
- i. While the market share of domestic industry has declined slightly in the period of investigation, it has increased over the period. By comparison, the market share of imports has reduced over the injury period, though is higher than the preceding year. The domestic industry has maintained its market share by lowering its selling price to match with the dumped imports.
- j. The inventories of the domestic industry have increased over the period.
- k. The profits, the cash profits and the return on capital employed of the domestic industry have declined significantly during the injury period.
- l. The EBITDA per unit of the domestic industry has declined over the injury period. Therefore, the decline in profitability of the domestic industry cannot be attributed to increase in finance and depreciation costs.
- m. While the volume parameters of the domestic industry are not affected by the imports, the price and profitability parameters show a significant adverse impact. This implies that while the domestic industry was able to increase its market share, it was forced to compromise on its profits and reduce its prices to achieve the same. This is because the imports entered the market at prices below the prices of the domestic industry. The price of imports has declined, despite an increase in the price of ethylene. It is, therefore, evident that while the domestic industry has not suffered injury in terms of its volume parameters, the imports have adversely impacted the profitability of the domestic industry. Thus, the domestic industry has suffered material injury.
- n. The domestic industry is engaged in production of a number of polymers. However, injury analysis is required to be conducted with reference to the performance of the like article, or the narrowest range or group of products, which includes the like article. Therefore, the performance of the polymer segment as a whole is not determinative of the performance of the domestic industry for the subject goods.
- o. The injury to the domestic industry has been caused by the dumping of the subject imports in India, and the injury cannot be attributed to other known factors, including Covid-19, shutdown of plant, increase in capacity, imports by the domestic industry or use of naptha.
- p. The price of imports from other countries is much higher than the price of imports from the subject

countries.

- q. The information on record shows that non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production, while imposition of anti-dumping duty will not materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large.
- r. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at fair prices. Further, the product under consideration can also be imported from other sources, such as Qatar, UAE, Belgium, Netherlands, Korea RP.
- s. The impact of duties on the prices of the downstream products would be negligible.
- t. On the basis of the information provided by the interested parties and the investigation conducted, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty will not be against public interest.
- u. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury due to the significant dumping of the product under consideration from the subject countries.

202. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers and the other interested parties to provide the positive information on the aspect of the dumping, the injury, the causal link and the impact of proposed measures. Having initiated and conducted the investigation into the dumping, the injury and the causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that the imposition of the anti-dumping duty is required to offset the effect of dumping and remedy the injury to the domestic industry. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries

203. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five years from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Rabigh Refining and Petrochemical Company	48.73	MT	USD
2	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	48.73	MT	USD
3	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Saudi Ethylene and Polyethylene Company	17.05	MT	USD
4	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-	Saudi Arabia	Any country including	Any producer other than at serial number	70.09	MT	USD

		pressure polyethylene*		Saudi Arabia	1,2 and 3			
5	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Any country other than Saudi Arabia, Thailand, Singapore, and USA	Saudi Arabia	Any	70.09	MT	USD
6	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Singapore	Any country including Singapore	Any	185.17	MT	USD
7	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Any country other than Saudi Arabia, Thailand, Singapore, and USA	Singapore	Any	185.17	MT	USD
8	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Thailand	Any country including Thailand	Thai Polyethylene Company Limited	89.14	MT	USD
9	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Thailand	Any country including Thailand	PTT Global Chemical Public Company Limited	134.47	MT	USD
10	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than at serial number 8 and 9	216.76	MT	USD
11	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Any country other than Saudi Arabia, Thailand, Singapore, and USA	Thailand	Any	216.76	MT	USD
12	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	USA	Any country including USA	Westlake Polymers LLC	NIL	MT	USD
13	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	USA	Any country including USA	Westlake Longview Corporation	NIL	MT	USD

14	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	USA	Any country including USA	Any producer other than at serial number 12 and 13	74.27	MT	USD
15	3901	Low Density Polyethylene (LDPE) or high-pressure polyethylene*	Any country other than Saudi Arabia, Thailand, Singapore, and USA	USA	Any	74.27	MT	USD

*The scope of product under consideration excludes compounded LDPE and LDPE having density greater than 0.925 GM/cubic CM.

L. FURTHER PROCEDURE

204. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority